खण्ड-453, अंक-9
गुरुवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(17 मार्च, 2005 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | ... | ... | ... | क-ङ |
| प्रश्नोत्तर | ... | ... | ... | 1-45 |
| विधान सभा के एक दल विशेष के सदस्यों द्वारा सदन में उपस्थित होने के बावजूद कार्यवाही में भाग न लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न | | | ... | 45-51 |
| तारांकित प्रश्न संख्या-2 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न | | | ... | 51-52 |
| क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर द्वारा दस हजार रन पूरा करने पर नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव लाने की मांग | | | ... | 52-53 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं | ... | ... | ... | 53-54 |
| लखनऊ शहर पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत बालागंज के निकट बंसी विहार कालोनी में पक्की सड़कें, नाली बनवाने एवं पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | | ... | ... | 54-55 |
| कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत अफजलपुर में रामगंगा कैनाल पम्प बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | | ... | ... | 55 |
| जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | | | ... | 55 |
| जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री की घोषणानुरूप प्रस्तावित 5 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ... | ... | ... | 55-56 |
| जनपद बाराबंकी की ग्राम सभा पाटमऊ में गलत तरीके से की गई चकबन्दी प्रक्रिया को रोकने/निरस्त कर पुनः चकबन्दी कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ... | ... | ... | 56 |
| जनपद आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक तहबरपुर के सोफीपुर सब स्टेशन में लगे ट्रांसफारमर की क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | ... | ... | ... | 56-57 |
| वाराणसी कैंट के कतिपय गांवों में वर्षा जल निकासी हेतु पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से बनाये जा रहे अधूरे नाले को पूर्ण कराये जाने हेतु शेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | | | ... | 57 |
| जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों को पुनर्निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | | ... | ... | 57-58 |
| जनपद लखनऊ के ग्राम खदही की कुमारी अर्चना की पुश्तैनी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | | | ... | 58 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| मैनपुरी नगर के अध्यापक कालोनी देवी रोड निवासी श्री गीतम सिंह के मकान को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 58-59 |
| प्रतापगढ़ नगरपालिका द्वारा ऐय जलापूर्ति हेतु 3 वर्षों से ठप्प पड़े ट्यूबवेल की रिबोरिंग कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 59 |
| कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत दुदहां से बरवा पट्टी थाने तक सड़क के शेष निर्माण कार्य को पूरा कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... | 59 |
| नगर पूर्वी बस्ती क्षेत्रान्तर्गत महुआपार कला एवं गंगापुर में पांच सौ इन्दिरा आवास बनवाने के सबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 60 |
| उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 60 |
| उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 60 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 61 |
| मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ... | 61 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ... ... ... | 61-62 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित ) | 62-64 |
| प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर चर्चा जारी) ... ... | 64-81 |
| प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट विषयक चर्चा [illegible] समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) | 81 |
| प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न [illegible]ति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर चच ... ... | 81-85 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 85-86 |
| गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 18 फरवरी, 2005 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ... | 86-94 |
| नामावलियां ... ... ... | 95-108 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2005

---

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।)

## • उपस्थित सदस्य-313

| | |
|---|---|
| अर्कीलुर्रहमान खां, श्री | मुरादाबाद |
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच |
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अजय कुमार, डा0 | बागपत |
| अजीम भाई, श्री | फिरोजाबाद |
| अताउल रहमान, श्री | बरेली |
| अनवर महमूद, श्री | बलरामपुर |
| अनार सिंह दिवाकर, श्री | एटा |
| अनिल कुमार, श्री | बुलन्दशहर |
| अनिल कुमार पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| अनिल कुमार मौर्य, श्री | मिर्जापुर |
| अनिल कुमार वर्मा, श्री | सीतापुर |
| अनिल कुमार पासवान, श्री | हरदोई |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा |
| अनिल सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत |
| अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री | देवरिया |
| अनूप कुमार पाण्डेय, श्री | बस्ती |
| अन्सार अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अब्दुल कलाम, श्री | संत कबीर नगर |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री | फतेहपुर |
| अमरमणि, श्री | महराजगंज |
| अमर सिंह यादव पुत्र सुन्दर सिंह, श्री | हाथरस |
| अमीता सिंह, श्रीमती | सुल्तानपुर |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| अम्बेश कुमारी, श्रीमती | महोबा |
| अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री | बाराबंकी |
| अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 | जालौन |
| अरुण कुमारी, श्रीमती | कानपुर देहात |
| अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच |
| अरुणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| अशोक कुमार कटियार, श्री | कानपुर देहात |
| अशोक सिंह चौहान, श्री | मैनपुरी |
| आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री | सिद्धार्थनगर |
| आनन्द प्रकाश लोधी, श्री | फतेहपुर |
| आर0 एस0 कुशवाहा, श्री | खीरी |
| आर0 के0 सिंह पटेल, श्री | चित्रकूट |
| आलमबर्दी, श्री | आजमगढ़ |
| आलोक कुमार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| आशा किशोर, श्री | रायबरेली |
| आर्शीष यादव, श्री | बदायूं |
| आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री | बदायूं |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रजीत सरोज, श्री | कौशाम्बी |
| इन्द्रदेव सिंह, डा0 | बिजनौर |
| इलम सिंह, श्री | सहारनपुर |
| उदयराज यादव, श्री | उन्नाव |
| उमा किरन, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| उमा शंकर कुशवाहा, श्री | गाजीपुर |

| | |
|---|---|
| ओइमवेश, स्वामी | बिजनौर |
| ओमकार सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| ओम प्रकाश, श्री | सीतापुर |
| ओम प्रकाश, (ओ0पी0 सिंह) श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| कपिल देव यादव, श्री | मऊ |
| कमलेश कुमार, श्री | गोरखपुर |
| कमाल यूसुफ मलिक, श्री | सिद्धार्थनगर |
| कल्यान सिंह दोहरे, श्री | कन्नौज |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| कालीचरन राजभर, श्री | गाजीपुर |
| काशीराम, श्री | रामपुर |
| किरण पाल कश्यप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री | हरदोई |
| कृष्णा पासवान, श्रीमती | फतेहपुर |
| केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| कैलाश, श्री | गाजीपुर |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कोविद कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| कौशल किशोर, श्री | लखनऊ |
| गंगा बक्श सिंह, डा0 | उन्नाव |
| गया चरन दिनकर, श्री | बांदा |
| गीता सिंह, श्रीमती | बलरामपुर |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद |
| घूरा राम, श्री | बलिया |
| चन्द्र किशोर, श्री | महराजगंज |
| चन्द्र भद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री | श्रावस्ती |
| चितरंजन स्वरूप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| छेदीराम, श्री | गाजीपुर |
| छोटे लाल यादव, श्री | बाराबंकी |
| छोटे लाल वर्मा, श्री | आगरा |
| जगदम्बिका पाल, श्री | बस्ती |
| जगदीश नारायण (राय), श्री | जौनपुर |
| जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री | कुशीनगर |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जगदीश सोनकर,श्री | जौनपुर |
| जगन प्रसाद गर्ग, श्री | आगरा |
| जगराम सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| जटाशंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री | फर्रुखाबाद |
| जय प्रकाश यादव, श्री | गोरखपुर |
| जय प्रताप सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| जयराम विमल, श्री | अम्बेडकरनगर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया |
| डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री | चित्रकूट |
| तेजपाल सिंह, श्री | मथुरा |
| दयाराम, श्री | कौशाम्बी |
| दया शंकर वर्मा, श्री | जालौन |
| दिनेश सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दिलीप कुमार वर्मा, श्री | बहराइच |
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दीनानाथ भाष्कर, श्री | सन्त रविदास नगर, भदोही |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री | गोरखपुर |
| देवेन्द्र प्रताप, श्री | एटा |
| देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | रायबरेली |
| द्वारिका प्रसाद, श्री | सन्त कबीर नगर |
| धर्मपाल सिंह, श्री | गाजियाबाद |
| धर्मपाल सिंह, श्री | बरेली |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकरनगर |
| धर्म सिंह सैनी, डा0 | सहारनपुर |
| धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री | बरेली |
| धू राम लोधी, चौधरी | हमीरपुर |
| नत्थू सिंह, श्री | उन्नाव |
| नन्दिता शुक्ला, श्रीमती | गोण्डा |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| नरेन्द्र कुमार, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 | इलाहाबाद |
| नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री | सीतापुर |
| नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री | गाजियाबाद |
| नवाब सिंह नागर, श्री | गौतमबुद्धनगर |
| नारद राय, श्री | बलिया |
| परमेश्वर दयाल, श्री | सोनभद्र |
| पी0 के0 राय, डा0 | कुशीनगर |
| पीतम राम, श्री | पीलीभीत |
| पूरन सिंह बुन्देला, श्री | ललितपुर |
| पूर्णमासी देहाती, श्री | कुशीनगर |
| प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा |
| प्रभु दयाल, श्री | मेरठ |
| प्रभु नारायण, श्री | वाराणसी |
| प्रमोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रमोद गौड़, श्री | अलीगढ़ |
| प्रागी लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| प्रेमलता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| प्रेम सिंह, श्री | मथुरा |
| फतेह बहादुर, श्री | महराजगंज |
| फागू, श्री | मऊ |
| बंशीधर राज, श्री | खीरी |
| बादशाह सिंह, श्री | हमीरपुर |
| बाबूराम, एम0काम0, श्री | जालौन |
| बाबूलाल, श्री | गोण्डा |
| बाबू लाल, चौधरी | आगरा |
| बाबू लाल कुशवाहा, श्री | बांदा |
| बीजू पटनायक, श्री | गाजीपुर |
| बीना भारद्वाज, श्रीमती | रामपुर |
| बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री | झांसी |
| बृजेन्द्र पताप सिह कुंवर, एडवोकेट | जालौन |
| बैजनाथ पासवान, श्री | मऊ |
| बैजनाथ दुबे, श्री | गोण्डा |
| ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगवत शरन गंगवार, श्री | बरेली |
| भगेलू राम, श्री | सुल्तानपुर |
| भूपेन्द्र सिंह, श्री | बदायूं |
| मतेश चन्द्र सोनकर, श्री | कौशाम्बी |
| मदन गोपाल वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद |
| मदन भैया, श्री | बागपत |
| मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | रायबरेली |
| मलिक मसूद, श्री | आजमगढ़ |
| मशहूद खां, श्री | बलरामपुर |
| मस्तराम चौधरी, एडवोकेट | उन्नाव |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री | सीतापुर |
| महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री | इटावा |
| महेश त्रिवेदी, श्री | कानपुर देहात |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| मान पाल सिंह, श्री | एटा |
| माया प्रसाद, श्रीमती | खीरी |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| मुकुट बिहारी वर्मा, श्री | बहराइच |
| मुकुल उपाध्याय, श्री | अलीगढ़ |
| मुंशीलाल गौतम, श्री | बुलन्दशहर |
| मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर, | बिजनौर |
| मोहन देव शंखवार, श्री | फिरोजाबाद |
| मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री | मुरादाबाद |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| मोहम्मद रिजवान, श्री | मुरादाबाद |
| मोहम्मद शफीर, श्री | फतेहपुर |
| यशपाल चौधरी, श्री | खीरी |
| योगेन्द्र कुमार, श्री | बदायूं |
| योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री | गोण्डा |
| रणवीर राणा, श्री | मेरठ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| रतन लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 | मिर्जापुर |
| रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 | मेरठ |
| राकेश पाण्डेय, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राकेश सचान, श्री | कानपुर देहात |
| राज किशोर सिंह, श्री | बस्ती |
| राज नाथ यादव, श्री | वाराणसी |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजपाल सिंह बालियान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजपाल सिंह सैनी, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राजरानी रावत, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री | लखनऊ |
| राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री | एटा |
| राजेन्द्र अग्रवाल, श्री | बरेली |
| राधेश्याम सिंह, श्री | कुशीनगर |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| राम करन आर्य, श्री | बस्ती |
| राम किशुन, श्री | वाराणसी |
| राम कृपाल, श्री | इलाहाबाद |
| राम कृष्ण, श्री | सीतापुर |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| रामजी शुक्ला, श्री | औरैया |
| राम नरेश यादव, श्री | आजमगढ़ |
| रामनाथ, श्री | प्रतापगढ़ |
| रामपाल यादव, श्री | सीतापुर |
| राम पाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री | कन्नौज |
| राम प्रताप सिंह, श्री | गोण्डा |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| रामबाबू हरित, डा0 | आगरा |
| राम बिशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| राम भुआल निषाद, श्री | गोरखपुर |
| राम मगन, श्री | बाराबंकी |
| राम लाल अकेला, श्री | रायबरेली |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | हाथरस |
| रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| राम सेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | बिजनौर |
| रामहेत, श्री | सीतापुर |
| रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा |
| रिजवान अहमद खां, श्री | ज्योतिबाफूले नगर |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 | मेरठ |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकर नगर |
| लाल बहादुर यादव, श्री | जौनपुर |
| वकार अहमद शाह, डा0 | बहराइच |
| वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| विजमा यादव, श्रीमती | इलाहाबाद |
| विजय कुमार मिश्रा, श्री | सन्त रविदासनगर |
| विजय बहादुर पाल, श्री | कन्नौज |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्या सागर गुप्ता, श्री | लखनऊ |
| विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री | इटावा |
| विनोद कुमार सिंह, श्री | जौनपुर |
| विनोद तिवारी, डा0 | पीलीभीत |
| विमला राकेश, श्रीमती | सहारनपुर |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विश्राम सिंह यादव, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री | शाहजहांपुर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | वाराणसी |
| वेदराम भाटी, श्री | बुलन्दशहर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री | सन्त रविदासनगर, भदोही |
| शब्बीर, श्री | बहराइच |
| शमीमुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| शरदवीर सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| शहजिल इस्लाम, श्री | बरेली |
| शाकिर अली, श्री | देवरिया |
| शारदा देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| शारदानन्द अंचल, श्री | बलिया |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव कुमार बेरिया, श्री | कानपुर देहात |
| शिव चरन प्रजापति, श्री | हमीरपुर |
| शिव तपस्या पासवान, श्री | चन्दौली |
| शिवपाल सिंह यादव, श्री | इटावा |
| शिव प्रताप यादव, डा0 | बलरामपुर |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | महराजगंज |
| शिशुपाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री | जौनपुर |
| श्याम सिंह अहेरिया, श्री | मथुरा |
| श्यामदेव राय चौधरी, श्री | वाराणसी |
| श्याम नारायन, श्री | महराजगंज |
| श्याम प्रकाश, श्री | हरदोई |
| श्याम लाल रावत, श्री | सीतापुर |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| श्रद्धा यादव, श्रीमती | जौनपुर |
| श्रीराम भारती, श्री | मिर्जापुर |
| संजय गर्ग, श्री | सहारनपुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर |
| सन्ध्या कठेरिया, कु0 | मैनपुरी |
| सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 | मुरादाबाद |
| सलिल विश्नोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिद्ध गोपाल साहू, श्री | महोबा |
| सियाराम सागर, डा0 | बरेली |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| सुखदेवी वर्मा, श्रीमती | इटावा |
| सुन्दर लाल, श्री | उन्नाव |
| सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | जौनपुर |
| सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री | रायबरेली |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| सुशील चौधरी, डा0 | सहारनपुर |
| सोमारू राम सरोज, श्री | जौनपुर |
| स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | रायबरेली |
| हरि प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| हरि शंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री | वाराणसी |
| हीरालाल गौतम, श्री | आजमगढ़ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

### प्रदेश के किसानों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ

***1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-**

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी किसानों की दुर्घटना बीमा योजना का मुफ्त लाभ दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

जी हां।

प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषकों, जिनकी न्यूनतम आयु 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष के मध्य है। उन्हें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ शासनादेश सं0-1751/1-9-2004-262 एल0सी0/2004, दिनांक 20 अगस्त, 2004 के द्वारा दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, योजना तो बहुत अच्छी है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो आयु की एक सीमा निश्चित की गई है और उसमें अधिकतम आयु 70 वर्ष रखी गई है, उसके पीछे कारण क्या है ? और क्या सरकार ने इसकी कोई गणना करायी है कि जो शासनादेश निर्गत किया गया है, उसके नियमों के तहत प्रदेश के कितने कृषक आच्छादित हुए हैं और इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है ?

**श्री अम्बिका चौधरी-**

श्रीमन्, जो प्रदेश के कृषकों की गणना कराने का प्रश्न है, यह प्रासंगिक प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कृषक जब आच्छादित होता है तो इसकी गणना कराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए गणना नहीं करायी गई है। प्रत्येक कृषक से हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमने बीमा किया है और व्यक्तिगत बीमा योजना का जो लाभ हम दे रहे हैं, उसमें वह प्रत्येक कृषक आ जाता है, जिसका भूमिधर के रूप में खतौनी में नाम दर्ज हो तथा जिसकी उम्र 12 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो। इसलिए मान्यवर, इसमें अलग से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री श्यामदेव राय चौधरी-**

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि जिनका नाम खतौनी में दर्ज है ...

**श्री अम्बिका चौधरी-**

श्रीमन्, पूरा सुन लीजिए। दूसरा जो आपने पूछा कि कितने लोगों को अब तक दिया गया है तो अब तक स्वीकृत दावे 149 है और निस्तारण हेतु दावों की संख्या 325 है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी किसानों को मुफ्त दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? जो जवाब दिया गया है, उसमें कहा गया है कि सभी किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जी हां और उसके बाद जो उत्तर आगे दिया उसमें अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब प्रश्नकर्ता ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्या सरकार सभी किसानों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिये जाने पर विचार कर रही है, तब आपने हां कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि उनकी क्या योजना है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मुलायम सिंह यादव जी, की यह सरकार प्रदेश की पहली सरकार है, जिसने किसानों की इस तकलीफ को समझने का काम किया है और आज तक कोई भी सरकार किसानों के लिए चिन्तित नहीं थी। सरकार ने पूरी तरह से इसका प्रीमियम दिया और हम किसानों को इसका लाभ दे रहे हैं। उनकी एक रुपये की भी सहभागिता प्रीमियम में नहीं है, पूरा प्रीमियम सरकार ने दिया है। न सिर्फ कृषि से जुड़ी कोई बात हो बल्कि सड़क पर चलते दुर्घटना हो जाये, सांप काटने से मृत्यु हो जाये या नदी, तालाब, पोखरे में डूबने से या फिर मकान का छत गिरने से मृत्यु हो जाये। इस सबको बीमा योजना में कवर किया है। आपने कभी नहीं किया और आप सबकी परिभाषा जानना चाहते हैं। हमने बीमा का लाभ देने के लिए कृषकों की आयु सीमा 12 वर्ष से 70 वर्ष तक रखा है। आप सभी जानते हैं कि एक आयु सीमा होती है जिसके ऊपर बीमा पालिसी अपने आप मेच्योर हो जाती है। सामान्य रूप से बीमा पालिसी में 70 वर्ष की आयु नहीं होती लेकिन यह विशिष्ट पालिसी है और हमने 12 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के सभी किसानों को कवर किया है। इस प्रकार प्रत्येक किसान कवर है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों के लिए ये सरकार ने कृषक बीमा करने का निर्णय लिया है और न्यूनतम 12 वर्ष की आयु रखी है तो इसका आधार क्या है ? दूसरे इस दुर्घटना बीमा में कितनी राशि दी जाती है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि न्यूनतम आयु का आधार यह है कि खतौनी में 12 से कम आयु का कोई खातेदार दर्ज नहीं होता है। दूसरे जो दुर्घटना राशि के बारे में पूछा है तो अधिकतम राशि 1 लाख रुपये देते हैं मृत्यु की स्थिति में और दोनों हाथ या पैर खराब हो जाये, अपंग हो जाये या एक पैर और एक हाथ भी खराब हो जाती है तो भी हम 1 लाख रुपये देते हैं। अगर एक हाथ, एक पैर और एक आंख से अपंग हो जाये तो 50 हजार रुपये और हाथ-पैर या दोनों की 4 अंगुलियां कट जाए तो उसको 40 हजार रुपये देते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक अनुपूरक अनुत्तरित रह गया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि कृषकों की कोई गणना नहीं कराई गयी है और

जिन लोगों के नाम खतौनी में दर्ज हैं, वह इस बीमा योजना से आच्छादित है। अगर मा0 मंत्री जी के पास सूचना नहीं है तो बात अलग है। लेकिन अगर खतौनी में जिनके भी नाम दर्ज हैं तो निश्चित रूप से आपके पास गणना और आंकलन होनी चाहिए कि प्रदेश में कितने कृषकों के नाम खतौनी में दर्ज हैं ? आपने कोई गणना निश्चित रूप से करायी होगी।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, गांवों में कृषकों के नाम लिखे जाते हैं और खत्म भी होते हैं, आज दर्ज हैं, लेकिन किसी किसान की मृत्यु हो गयी तो महीनों पड़ा रह जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चौधरी साहब मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि प्रत्येक कृषक इस बीमा योजना से आच्छादित है तो फिर संख्या की गणना की बात कहां से आती है और गणना करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जितने लोगों का बीमा करा रहे हैं, हमारा बीमा कम्पनी के साथ करारनामा है और जो प्रीमियम जमा किया है उसमें प्रत्येक कृषक कवर्ड है, कोई संख्या नहीं है। दूसरे आपकी पीठ से उत्तर दिया गया, शायद संतुष्ट हो गये हों। आज किसी का नाम दर्ज है लेकिन उसने अगर बैनामा कर दिया तो किसी दूसरे का नाम दर्ज हो जायेगा तो वह तुरन्त इस योजना में कवर हो जायेगा। इसी प्रकार किसी किसान की मृत्यु हो गयी और वरासत में दूसरे खातेदारों के पांच नाम दर्ज हो गये तो वह भी तुरन्त कवर हो जायेगा। खाते और खतौनियों में जितने लोगों के नाम दर्ज हैं, वे सभी कवर्ड हैं। जहां तक संख्या निश्चित करने की बात है तो ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं है लेकिन इस प्रश्न के लिए हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने खातेदार हैं और कितनी संख्या है ?

*2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[ दिनांक 18-2-2005 को अल्पसूचित तारा0 प्र0 सं0-1 द्वारा उत्तरित ]

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुपस्थित होने पर डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा ने इसमें रुचि व्यक्त की।)

## लुम्बनी दुद्धी मार्ग बस्ती से कलधारी मार्ग का चौड़ीकरण

*4-श्री रामकरन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत लुम्बनी दुद्धी मार्ग बस्ती से कलधारी मार्ग जो बनारस जाता है, के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

लुम्बनी दुद्धी मार्ग के बस्ती से कलधारी भाग के चौड़ीकरण का कार्य पूर्व में ही स्वीकृत है।

उपरोक्तानुसार।

श्री रामकरन आर्य-

मान्यवर, यह सड़क स्वीकृत है और शहर बस्ती से लुम्बनी मार्ग बन भी गया है, केवल 18 किलोमीटर नगर पूर्वी भाग है जिसका चौड़ीकरण नहीं हुआ है। इसको कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

लगभग 50 किलोमीटर लम्बी यह रोड़ है जिसमें से लगभग 37 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और उच्चीकरण हो चुका है। शेष मार्ग लगभग 12 किलोमीटर है वह भी काम प्रगति पर है. मैंने जनवरी में इसको स्वीकृत किया है यह काम शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

**प्रदेश में मार्ग निर्माण में प्रयुक्त तारकोल की सप्लाई तथा उनकी गुणवत्ता की जांच**

*5-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्ग निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तारकोल की सप्लाई किस-किस फर्म द्वारा ली जाती है ? क्या उसकी गुणवत्ता की जांच हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्य निर्माण एजेन्सियों को तारकोल की आपूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो किन-किन निर्माण एजेन्सियों को आपूर्ति की जाती है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

भारत सरकार के निम्न उपक्रमों से तारकोल की आपूर्ति की जाती है :--

1-इण्डियन आयल कारपोरेशन

2-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

3-भारत पेट्रोलियम

जी हां। तारकोल की गुणवत्ता से सम्बन्धित परीक्षण अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग लखनऊ तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में आलू के न्यूनतम क्रय मूल्य का निर्धारण**

*6-श्री सोनेलाल सिंह यादव (अनुपस्थित)-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू का न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी हां।

केन्द्र सरकार की सहायता से बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत इस वर्ष आलू का बाजार भाव कृषक उत्पादन लागत रु0 200/- प्रति कुन्टल से कम होने की स्थिति में यह योजना लागू की जायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता।

*7-डा0 सुशील चौधरी-

[ दिनांक 3-3-2005 को तारा0 प्र0 सं0-5 द्वारा उत्तरित ]

**उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियों को सुदृढ़ बनाने की मांग**

*8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में आर्थिक रूप से सर्वाधिक कमजोर मण्डियां कौन-कौन सी हैं ? क्या इनको सुदृढ़ बनाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या इन मण्डियों को सुदृढ़ बनाने के लिये सेस का धन दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 96 मण्डी समितियां ऋणात्मक हैं। (सूची संलग्न है।)

जी हां।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) नियमावली, 2000 में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियों को विकास कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 95-98 पर।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था वह यह था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियां कौन-कौन सी हैं ? इसका उत्तर आया है कि फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 96 मण्डी समितियां ऋणात्मक हैं जिसकी सूची संलग्न है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कमजोर मण्डियों और ऋणात्मक मण्डियों में अन्तर क्या है ? कमजोर मण्डियां वह है जिनकी आमदनी ही नहीं है और ऋणात्मक मण्डियां वह हैं जिनकी आमदनी 3 करोड़ और खर्च 5 करोड़ है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सेस से पैसा कमजोर मण्डियों को दिया जाता है या ऋणात्मक मण्डियों को दिया जाता है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी जो सूचना है उसके अनुसार ऋणात्मक मण्डियों की संख्या 96 है लेकिन यह स्थिति बदलती रहती है। इन मण्डियों की स्थिति आज भी बदल सकती है कल भी बदल सकती है, क्योंकि आमदनी आ सकती है जिससे इनकी स्थिति बदलती रहती है। कमजोर मण्डी का हमारे यहां कोई विचार नहीं है। जो ऋणात्मक मण्डी है वह कमजोर मण्डी है। लेकिन जब मण्डी ऋणात्मक हो जाती है तो उसको सेस द्वारा पैसा दिया जाता है चाहे वह बड़ी मण्डी हो या ऋणात्मक मण्डी हो, सभी को विकास के लिये धन उपलब्ध कराया जाता है। इसकी नियमावली भी है उसमें स्पष्ट है कि किसी भी मण्डी को ऋण दिया जा सकता है। मेरे पास रिपोर्ट है जो पिछली सरकार की है, और इस सरकार की भी है, आप कहें तो उसको पूरा सुना दें।

श्री अध्यक्ष-

उसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

महोदय, मैं अपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने पूछा कि कमजोर मण्डी और ऋणात्मक मण्डी में अन्तर क्या है ? उसका उत्तर नहीं आया। वस्तु स्थिति यह है कि जो कमजोर मण्डियां हैं उनके लिए यह व्यवस्था बनी है कि सेस के माध्यम से जिनके पास शेड डालने के लिए पैसा नहीं है उनको पैसा दिया जाय। चार कैटेगरी की मण्डियां हैं एक 50 लाख से नीचे वाली। दूसरी पचास लाख से एक करोड़ तक की तीसरी कैटेगरी एक करोड़ से दो करोड़ तक की और चौथी कैटेगरी दो करोड़ से ऊपर की है। सेस का पैसा ऐसी कमजोर मण्डियों को दिया जाता है जिनके पास शेड डालने तक का पैसा नहीं है। हमारे पास दोनों की सूचियां हैं। हमने सूचना मांगी थी कमजोर मण्डियों के बारे में और मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ऋणात्मक मण्डियों के बारे में। दोनों में बुनियादी फर्क हैं हमारे शाहजहांपुर की मण्डी 3 करोड़ पैदा करती है अब उससे पांच करोड़ रुपये की सड़कें बनाने के लिए कह दिया जिससे वह ऋणात्मक में आ गई, उसके लिए सेस का पैसा नहीं है। सेस का पैसा कमजोर मण्डियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। लेकिन इसका पैसा ऋणात्मक मण्डियों को दिया जा रहा है। जो उद्देश्य से भिन्न हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन सी कमजोर मण्डियां हैं जिनके लिए यह सेस बनी हुई है। उनको पैसा न देकर ऋणात्मक मण्डियों को पैसा दिया जा रहा है। मेरठ हो, बुलन्दशहर हो यह सब सम्पन्न मण्डियां हैं। सेस का पैसा कमजोर मण्डियों में लगाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ऋणात्मक को कमजोर मण्डी नहीं माना जाता है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जो खन्ना जी ने बताया है कि जो ऋणात्मक मण्डी होती है वह कमजोर मण्डी नहीं होती है। मैंने जो धन दिया है वह जहां आवश्यकता थी उसको दिया। हमने खैर, थैरा, अतरौली और आगरा की मण्डियों को धन दिया। इससे मण्डियों की स्थिति अच्छी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे

राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं इनके यहां पूर्व मुख्य मंत्री जी के समय मण्डी स्थापित हुई लेकिन उसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया उसके पहले ही वह टूट गयी ऐसी पहले गुणवत्ता थी अब उसको हमने फिर से 50 लाख रुपये दिये हैं, तो ऋणात्मक मण्डी की स्थिति को देखते हुए उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सड़कों का क्या हाल था मण्डियों में कहीं सड़कों को नहीं बनवाया था लेकिन अब देखिए पी0डब्लू0डी0 से कहीं अच्छी सड़कें मण्डी परिषद् की बन रही हैं। एक तरफ जहां हमने पैसा दिया है वहां मण्डियों की स्थिति में सुधार आया है और मण्डियां अच्छी हुई हैं। नियमावली में भी है कि सेस का पैसा कहीं पर भी किसी भी मण्डी के विकास के लिए जहां पर जरूरत हो वहां पर दिया जा सकता है। स्थितियां बदलती रहती हैं। अगर कल ऋणात्मक है तो आज अच्छी हो सकती है। सेस का पैसा देकर मण्डियों को सुधारने का काम किया गया है। हमारे जनप्रतिनिधि कोई कमजोर नहीं हैं, हम नहीं मानते हैं कि कोई कमजोर है। इसलिये जब जनप्रतिनिधियों की, क्षेत्र की मांग होती है, मण्डी की मांग होती है हमने सेस से धन दिया है। नियमानुसार दिया है और आगे भी देंगे। जो ऋणात्मक मण्डी है उसके लिये भी देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अन्तिम प्रश्न है आपका संरक्षण चाहते हुए। मान्यवर, आपने 96 मण्डियों की सूची दी है। मैं इनमें से सिर्फ 4 मण्डियों के बारे में जानना चाहता हूं कि उनकी आमदनी क्या है ? यह चार मण्डियां हैं मेरठ, बुलन्दशहर, अनूपशहर और कैराना। इन मण्डियों की आमदनी क्या है और इनको सेस से पैसा क्यों दिया गया ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र करके दे दी जायेगी।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मेरा प्रश्न इससे हटकर है। मण्डी से गौशालाओं को भी कुछ राशि देने की बात हुई थी। क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में भी व्यवस्था करेंगे कि जो बड़े पैमाने पर गोधन नष्ट हो रहा है उनकी रक्षा के लिये मण्डी से कुछ प्रतिशत शायद दो प्रतिशत की बात थी, वह दो प्रतिशत देने के लिये वे विचार करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इसमें दो परसेन्ट बीच में रखा गया था लेकिन उस धन का कुछ दुरुपयोग हुआ था। उससे केचुए खरीद लिये गये थे आपकी सरकार में। (हंसी) अब केचुओं का पता लगाया जा रहा है। गौसेवा उपयोग में कहीं यह पैसा काम आता तो खुशी होती लेकिन केचुए खरीद लिये गये और पता नहीं वे केचुए कहां गये ?

श्री लालजी टण्डन-

कहीं पर भी यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो आप सक्षम हैं, आप उस पर कार्यवाही करिये। आप उसकी गर्दन पकड़िये कि यह पैसा गौशाला के लिये दिया गया था, कहां गया ?

(सदस्यों के हंसने पर)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें। आपस में बात न करें।

श्री लालजी टण्डन-

केंचुए से और गाय का क्या सम्बन्ध है ? आप गायों को बचाने के लिये जो रजिस्टर्ड गौशाला हैं, या जो सरकारी गौशाला है जहां पर अनुपयोगी गाय पाली जाती हैं, उसके लिये दो परसेन्ट की धनराशि बहाल करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम पता कर रहे हैं। किसकी गर्दन पकड़ी जाय। केंचुए की या केंचुए खरीदने वालों का आपने जो सुझाव दिया है, हम उस पर विचार करेंगे। ऐसी मण्डियां बन रही हैं कि जिनका उद्घाटन भी नहीं हुआ और गिर गई। हमने उसको 50 लाख रुपये देकर ठीक कर दिया और जल्दी ही उसका उद्घाटन होगा। गौशाला वाली बात पर विचार कर लेंगें।

श्री लालजी टण्डन-

शायद आपको इसका ज्ञान नहीं है सारी दुनिया में इस समय गोबर का उपयोग खाद के रूप में करने का, बड़े विशाल पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। एक प्रयोग है जैविक खाद के लिए। गोबर में केंचुए डालकर खाद बन जाती है। वह गौशाला के जरिए बनती है और वह किसानों के लिए लाभदायक है मैं उस विषय की बहस में नहीं जाता चाहता हूं केंचुए और गौशाला के। मैं जानना चाहता हूं दो प्रतिशत गौशालाओं को जो दिया जाता था वह दो प्रतिशत गौशालाओं के लिए बहाल कर दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय टण्डन जी को गायों के बारे में हमसे ज्यादा ज्ञान है....

श्री अध्यक्ष-

दो प्रतिशत देने का टण्डन जी का प्रश्न है इसका उत्तर दे दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस पर विचार कर लेंगे। गौ धन के लिए जहां जरूरत होगी। केंचुए के अलावा जितनी जरूरत होगी इस पर विचार कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी से जानना चाहता हूं केंचुए किस दर से खरीदे गए ? मान्यवर, बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, जो यहां कहा गया वह सदन की सम्पत्ति बन गई। सदन में माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि एक करोड़ रुपया गौशालाओं के लिए था। तो उनका जवाब सदन की सम्पत्ति बन गई है। इसमें मेरी जिज्ञासा है, मेरे साथ बहुत से लोगों की जिज्ञासा है एक करोड़ के केंचुए खरीदे गए हैं तो वह किस दर से खरीदे गए हैं ? मैं गम्भीरता पूर्वक अपने तीन प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहा हूं, जो टेण्डर खरीदे गये उसका टेण्डर हुआ या नहीं ?

किस दर से केंचुए खरीदे गए ? एक करोड़ में केंचुए आए वह आपके विभाग में आए हैं या कहीं गए हैं ? आज की स्थिति केंचुए की क्या है ? उनका स्वास्थ्य कैसा है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं। आप जो कहते हैं वह शिरोधार्य है। यह एक करोड़ का मामला है। यह गम्भीर है इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। केंचुओं को खरीदा गया। वह किस तरह से खरीदा गया ? आज वह केंचुए कहां हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस प्रकरण की जांच करा लेंगे।

**जनपद बलिया को बिहार प्रदेश से जोड़ने तथा मांझी के पास घाघरा नदी पर निर्मित जयप्रभा सेतु को चालू कराने की मांग**

*9-श्री भरत सिंह (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया को बिहार प्रदेश से जोड़ने के लिए मांझी के पास घाघरा नदी पर निर्मित जयप्रभा सेतु को चालू करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या उक्त सेतु चालू कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, परन्तु सेतु का नामकरण अभी नहीं हुआ है।

जी हां।

सेतु को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य जून, 2005 है।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या-10 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुपस्थित होने पर कई सदस्यों द्वारा इसमें रुचि व्यक्त की गयी। )

**गन्ने के सह-उत्पाद शीरे पर आधारित एथनाल के उत्पादन की कार्य योजना**

*11-डा0 अजय कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ने के सह-उत्पाद शीरे पर आधारित एथनाल के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की आसवनियों को एथनाल, जो औद्योगिक अल्कोहल की श्रेणी में आता है, उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। आसवनियों द्वारा एथनाल उत्पादन हेतु प्लाण्ट लगाये जाने की अनुमति मांगे जाने पर उन्हें नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए एथनाल के उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने की महत्ता स्वतः ही स्पष्ट है क्योंकि एथनाल इन तेलों में 5 प्रतिशत तक मिलाने की बात है और भविष्य में एथनाल का प्रतिशत पेट्रोल और डीजल में बढ़ाया जाना भी प्रस्तावित था। प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और बहुत बड़ी मात्रा में शीरा उपलब्ध है और ऐसे में इसको बढ़ावा देकर प्रदेश की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा चीनी उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है जिसके फलस्वरूप हम गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देने में भी सक्षम हो सकेंगे। मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न का जो जवाब आया है, मुझे हैरत है कि कोई नीति नहीं है। मैंने सवाल पूछा था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ने के सह-उत्पाद शीरे पर आधारित एथनाल के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गई है ? उत्तर आया, जी नहीं।

मान्यवर, बजट सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश के विकास का एक आइना होता है। 14 नवम्बर, 2003 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में जो बजट प्रस्तुत किया था, उसके पेज नं0-26 पर लिखा है कि 'हमारी सरकार की यह नीति होगी कि गन्ने के सह-उत्पादों पर आधारित उद्योग जैसे-खोई पर आधारित बिजली, कागज, शीरे पर आधारित इथनाल तथा प्रेसमड पर आधारित बायो-फर्टिलाइजर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये। इससे जहां प्रदेश की चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं प्रदेश के गन्ना किसानों को भी अधिक लाभकारी गन्ना मूल्य शीघ्रता से प्राप्त हो सकेगा।' तो मान्यवर, एक तरफ तो हमारी सरकार की नीति है और दूसरी तरफ अधिकारी लिख देते हैं कि जी नहीं। इतने गम्भीर प्रश्न पर यह विरोधाभास क्यों ? मैं चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक नीति बनायी जाय। इसके लिए कार्य योजना बनना बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करें।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, अभी बहुत समय है, अगर इस पर थोड़ी-बहुत बात कर ली जाये तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एथनाल उत्पादन की कितने प्लांट वर्तमान में कार्यरत हैं और इनमें वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है ? हमारा दूसरा प्रश्न है-एथनाल उत्पादन में जो खर्चा आ रहा है वह प्रति यूनिट कितना है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं कि कितने प्लांट काम कर रहे हैं, मान्यवर, 19 आसवनियों को एथनाल बनाने की अनुमति दी गई थी और उसमें से 17 कार्यरत हैं, दो आसवनियां कार्यरत नहीं हैं और इनकी कुल 2600 लाख लीटर एथनाल का उत्पादन की क्षमता है।

डा0 अजय कुमार-

प्रति यूनिट खर्च का आंकड़ा भी बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रत्येक आसवनियां अपने-अपने हिसाब से इसका उत्पादन करती हैं और उस पर कोई एक निश्चित खर्चा नहीं है, प्रत्येक आसवनी का बराबर का खर्चा नहीं आता है। सभी आसवनियां अपने-अपने ढंग से इसका उत्पादन करती हैं और अलग-अलग खर्च आता है।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, बजट में नीति का प्रस्ताव था कि इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा तो क्या इस वर्ष नीति में कोई परिवर्तन हो गया ?

श्री अम्बिका चौधरी-

कोई परिवर्तन नहीं हो गया, चूंकि आपने अपने प्रश्न की भूमिका में ही कहा था कि अगर पेट्रोल में एथनाल को मिलाकर उपयोग किया जाएगा तो इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और इससे इन उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 17 आसवनियों की एथनाल उत्पादन की क्षमता 2600 लाख लीटर की है और जो डिपो हैं, जिनके साथ करार हुआ है, एथनाल का, वह 561.19 लाख लीटर है। मान्यवर,आप देखें कि 5 गुना अधिक उत्पादन पहले की तुलना में हम आलरेडी कर रहे हैं। इसलिए इसका उत्पादन पर्याप्त है और यह चीनी उद्योग या इससे जुड़े अन्य उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अलग से उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय सदस्य के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 19 में से 17 आसवनियों में इनका उत्पादन हो रहा है। मान्यवर, मैंने भी प्रश्न किया था मेरे पास जो उत्तर है उसमें दिया है कि वर्ष 2003-04 में 838.64 लाख ए0एल0 एन-हाइड्रस अल्कोहल का उत्पादन हुआ है। मान्यवर, पिछली बार दूसरा प्रश्न आया, चूंकि हमारे प्रदेश में क्रूड आयल मंगाना पड़ता है और इसमें अरबों रुपये का खर्च होता है, तो जब एन0डी0ए0 की सरकार थी तो एन हाईड्रस अल्कोहल का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद एन हाईड्रस अल्कोहल का उत्पादन प्रारम्भ हुआ था। मान्यवर, जो एथनाल होता है उसमें 5 प्रतिशत वाटर कान्ट्रेक्ट होता है। मान्यवर, प्रदेश में इसका सफल प्रयोग भी हुआ था। मान्यवर, आज जो प्रदूषण की समस्या है अगर इसका प्रयोग किया जाये तो यह प्रदूषण फ्री होगा। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। मान्यवर, इससे तो किसानों का हित जुड़ा है इसके उत्पादन से किसानों को निश्चित ही लाभ होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर,माननीय गौर साहब, ने दो बातें एक साथ कही हैं। यह बात सच है कि एन0डी0ए0 सरकार ने वर्ष 2002 में 9 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश भी है और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 13 प्रदेशों में कहा कि वह 5 प्रतिशत एन- हाईड्रस अल्कोहल मिलाकर इसका उत्पादन करें तो पर्यावरण और उद्योगों को भी लाभ पहुंचेगा। लेकिन एन- हाईड्रस अल्कोहल 99.5 प्रतिशत से अधिक प्योरिटी का जो अल्कोहल होगा वही एन- हाईड्रस अल्कोहल होगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात सही है कि यह बात सरकार ने कही लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम का मूल्य घटता-बढ़ता रहता है और उसके चलते एथनाल महंगा पड़ने लगा उस स्थिति में पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपनी अनिच्छा जाहिर की। हालांकि यह हमारा विषय नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार का है चूंकि यह बात आई है इसलिए इस सम्बन्ध में बता रहा हूं। मान्यवर, सितम्बर, 2004 में भारत सरकार ने दूसरा निर्देश पत्र जारी कर दिया और अब उनको मिलाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी और पेट्रोलियम कम्पनियों पर छोड़ दिया कि आप यदि ठीक समझें तो इसको मिलायें या प्राइज की प्रियोरिटी पर आती हो, नहीं तो यदि प्रतिकूल पड़ता हो तो न मिलायें। इस तरह की छूट दी गयी और इस तरह से छूट दिये जाने के बाद कम्पनियां अलग-अलग टेण्डर आमंत्रित करके आसवनियां ले रही हैं। इसलिए यह व्यतिक्रम आया है। मान्यवर, यह राज्य सरकार से सम्बन्धित विषय नहीं है, चूंकि इन्होंने यह प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने इनको अवगत कराया है। यह पूछा गया कि इससे फायदा होगा तो नीति क्यों नहीं बनायी जा रही है, मान्यवर, चूंकि उद्योग फायदे में चला और उससे एनहाईड्रस अल्कोहल का उत्पादन बढ़ा इसलिए यह नीति बनायी थी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार यह पेट्रोलियम कम्पनियां लेने को तैयार नहीं है इसलिए सम्प्रति इसकी आवश्यकता नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पेट्रोलियम कम्पनियां इसका विरोध कर रही हैं यह अवगत कराना चाहते हैं। उस समय केन्द्र सरकार विचार कर रही थी यही पेट्रोलियम कम्पनियां नही चाहती थीं कि शीरे से एनहाईड्रस अल्कोहल न बने। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने हस्तक्षेप किया था। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम कम्पनियां नहीं चाहती हैं कि जो शीरे से एल्कोहल बनता है वह इसका विकल्प बनें। ब्राजील में 50, 60 साल पहले से यह सफल प्रयोग हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार लीड में रहे और गन्ना उत्पादन में हमारा प्रदेश आगे है तो इससे फायदा होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने सही पूछा है, लेकिन पेट्रोलियम कम्पनियों पर नियंत्रण करने का अधिकार जो संविधान में प्रदत्त है, वह यूनियन लिस्ट में है और हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि जो हमारे अधिकार में नहीं है उस पर हम लीड करें। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उसमें हमने सर्वोत्तम कार्यक्रम बनाया है-उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन योजना है। हम उन लोगों को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण हमें भी पूछ लेने दें। मान्यवर, माननीय मंत्री का पूरा उत्तर मैंने सुना और माननीय गौर साहब के सवाल को भी मैंने सुना है। मान्यवर, जितने मुल्कों ने तरक्की की गन्ने के क्षेत्र में या शुगर काम्प्लेक्स बनाकर, जितनी भी पैदावार की उससे जितने भी प्रोडेक्ट या बाई प्रोडेक्ट बने यह उनकी तरक्की का आधार है और यह सरकार की पालिसी भी रही है। मैं दो बातें पूछना चाहता हूं कि एक तो एनहाईड्रस अल्कोहल पर एक लीटर की पैदावार में कितना खर्चा आता है ? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इकोनोमिकली वायबिल है और इसको बनाया जाना चाहिए। इकोनोमिकली बायबिल है इसलिए नीति बनायी जानी चाहिए और यह प्रदेश के हित में भी है। मान्यवर, यह दोनों तरह से लाभप्रद है एक तो इससे प्रदूषण नहीं होता है और दूसरा आर्थिक फायदा भी है। इससे गन्ने को भी प्रोत्साहन मिलेगा और इण्डस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदूषण भी कंट्रोल होगा और आर्थिक फायदा होगा इसलिए यह नीति बनायी जानी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मैंने पहले भी इस उत्तर को बता दिया था, खन्ना जी कहीं और ख्यालों में रहे होंगे। यह पता नहीं कौन से ख्यालों में खो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको कैसे पता कि वह कहीं और ख्यालों में है, क्या आपके पास कोई मशीन है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरे पास एक मशीन है जो समझ लेती है। यह हमारे दोस्त हैं और इनके कमजोर लम्हात में दर्द को जानने वाला मैं इनका मित्र हूं मैं यह कह रहा था कि सभी आसवनियों का उत्पादन अलग-अलग है और उसके कोई रेग्यूलेटेड कास्ट प्राईज बनाने का मान्यवर, कोई नियम नहीं है। जहां तक एक लीटर का कास्ट क्या है ? इसकी बात है तो कोई स्टैण्डर्ड प्रेसक्राइब्ड नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने भाषण के दौरान कही कि उनका संविधान में विश्वास नहीं है, तो मान्यवर, वह कुछ भी कह सकते हैं, संविधान में जो अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हैं और जो इस सदन को प्राप्त हैं, हमारी वही सीमा है और जो यूनियन लिस्ट में है उसके बारे में हम नियम नहीं बना सकते हैं।

**गत वर्ष प्रदेश में किसानों को सूखे से निपटने के लिए राहत कोष से आवंटित धनराशि के वितरण में मापदण्ड**

*12-श्री राम नरेश यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में प्रदेश में सूखा से निपटने के लिए कितनी धनराशि किसानों को राहत दिये जाने के लिए आवंटित की गयी थी ? उक्त धनराशि के वितरण में कौन से मापदण्ड अपनाए गए थे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्राकृतिक आपदा राहत कोष के लिए कितनी धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुयी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूखे से निपटने के लिए आरम्भिक तौर पर रु0 50.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद 65 सूखा घोषित जनपदों को आवंटित की गयी थी। आवंटित धनराशि कम पड़ने की दशा में शेष वांछित धनराशि कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित कर प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता दिये जाने के निर्देश दिये गये।

सूखे से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान हेतु उनकी मांग के अनुसार कुल रु0 32268.59 लाख आवंटित किया गया है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों (संलग्नक-1) में निर्धारित मापदण्ड अपनाये गये हैं।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को राहत के लिए प्रदेश में "आपदा राहत निधि" स्थापित है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश और 25 प्रतिशत राज्यांश है। केन्द्रांश के सापेक्ष भारत सरकार से रु0 13336.00 लाख की धनराशि वर्ष 2004-05 में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से वर्ष 2004-05 में 192.00 करोड़ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0 सी0 सी0 एफ0) से भी प्राप्त है।

मान्यवर, इसमें जवाब में कृषि निवेश अनुदान हेतु उनकी मांग के अनुसार कुल रु0 322 करोड़ आवंटित किया गया है, यह कहा गया है, तो मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अब यह राशि 380 करोड़ आवंटित किया गया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ट 99-103 पर)

श्री राम नरेश यादव-

माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से इस संबंध में उत्तर दिया है और यह भी कहा है कि भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उसी आधार पर हमने जो धनराशि थी उसका वितरण किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी बताया है कि 380 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, सही है कि उस समय किसानों के पास फसल के नाम पर कुछ नहीं बचा था, न तो उनके स्वयं के खाने की व्यवस्था थी, न तो उनके पास अगली फसल के लिए बीज की व्यवस्था थी और न तो उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी धनराशि बीज के लिए और कितनी धनराशि चारा आदि पर खर्च किया गया था, अगर आपके पास विवरण हो तो बता दें। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, जैसे-आजमगढ़, बलिया, बनारस आदि के बारे में बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें सिर्फ कृषि निवेश अनुदान की राशि बताई गई है, यह पूरे राहत कार्य की धनराशि नहीं है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि असिंचित क्षेत्रों के लिए एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र की फसलों के लिए डाई हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया गया है। यदि कोई किसी किसान का 50 प्रतिशत रकबा प्रभावित हो गया था तो उसके पूरे रकबे का सवे

करा करके प्रभावित रकबे के हिसाब से उसे पैसा दिया गया है। मान्यवर, इसमें वह धनराशि सम्मिलित नहीं है, जितनी हमने पूरे राहत कार्यों के लिए दी है।

श्री राम नरेश यादव-

जनपदवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है, इसके बारे में आप हमें बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जनपदवार पूरी सूची तो इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यह सूची में माननीय सदस्य को बाद में उपलब्ध करा दूंगा। वैसे हमने धनराशि देने से पहले प्रभावित क्षेत्र की जांच कराई और सत्यापन के बाद जितनी धनराशि आई, उतनी धनराशि हमने दे दी है। प्रत्येक जनपद को दी गई राशि के बारे में भी मैं सदन को अवगत करा दूंगा, लेकिन इस समय हमारे पास वह सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, मैं बनारस जिले से चुनकर आता हूं और काशी विद्यापीठ ब्लाक मेरे क्षेत्र में है। मान्यवर, कोई भी अगर 10 किसान मिल जाए जो यह कह दें कि उन्हें राहत राशि मिली है तो आप इसका कृपया पता कर ले, मान्यवर, जबकि राशि गई है और मेरा प्रश्न है कि वह वितरित हुई ही नहीं है। तो वह 50 प्रतिशत धनराशि कहां गई है इसका पता करने की कोशिश करेंगे ? मान्यवर,बनारस जिला गम्भीर सूखा पीड़ित जिलों में घोषित किया गया है ऐसे जिले में अगर राहत राशि नहीं बंटी है तो यह गम्भीर प्रश्न है। आप क्या इसका संज्ञान लेंगे और दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करके राहत राशि को वितरित कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय हरीश जी, ने बताया है विद्यापीठ ब्लाक के बारे में मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव वाइज सूची बनाने में तो समय लगेगा जो हमारे पास सूची है उसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि वह मैं उपलब्ध करा दूंगा। मान्यवर, अगर माननीय हरीश जी के पास कोई सुनिश्चित जानकारी हो कि इन-इन लोगों को नहीं मिला है उसको हम दिखवा सकते हैं और आपकी शिकायत को हम ज्यादा गम्भीरता से लेंगे। आपके ब्लाक की सूची भी आपको मिल जायेगी। मान्यवर, अभी परसों मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनारस जिला का प्रभारी मंत्री नामित किया है तो मैं बनारस आऊंगा और वहां अधिकारियों से मिलकर स्थानीय स्तर पर इसका वेरीफिकेशन करके बात करूंगा और जहां पर किसी प्रकार की कोई शिकायत पाई जायेगी तो वहां गम्भीर और कठोर दण्ड देंगे।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, जनपद आगरा में अभी तक वही स्थिति है जो बनारस की है मान्यवर, किसी भी तहसील में वहां सूखा राहत की कोई धनराशि नहीं बटी है मैंने अभी एक हफ्ता पहले जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क किया था, 50 लाख रुपया आपका वहां पहुंचा है और खाद्यान्न

भी पहुंचा है परन्तु किसी भी तहसील और किसी भी विकास खण्ड में सूखा राहत की धनराशि नहीं बटी है अगर नहीं बटी है तो वह क्यों नहीं बटी है ? इसे बताने का कष्ट करें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने जैसा कि माननीय राम नरेश जी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, मैं पुनः पूरे सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो सूची जनपदवार देने को है मैं कल तक वह सूची सदन को उपलब्ध करा दूंगा। मैं आपकी चिन्ता को हल्की चिन्ता नहीं मानता हूं, सूखे से तबाह हुए किसानों के लिए कोई धनराशि जाए और वह उन्हें न मिले यह एक गम्भीर प्रश्न है। आप यह सूची देख लेंगे सभी सदस्य अपने जिले की सूची देख लें और अपने जनपद की सूची के हिसाब से सत्यापन कर लें और जहां कहीं के बारे में आप शिकायतें हमें बतायेंगे हम उसमें कार्यवाही कर लेंगें।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में यही समस्या है। मान्यवर, वहां के कर्मचारियों द्वारा सूखा राहत राशि को वितरण से ज्यादा अन्य कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है वह कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रश्न संख्या-3 ले लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं डा0 तिवारी जी के प्रश्न का जवाब दे दूं। अब अलग-अलग एक-एक तहसील और ब्लाक का उत्तर देना सम्भव नहीं है और सबके लिए उत्तर वही है जो मैंने कहा है। दूसरी बात श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इतनी गम्भीरता से आपकी भावनाओं को स्वीकार किया, इतनी गम्भीरता से जानकारी दी है। अब पीलीभीत का, फलां ब्लाक का तो जबानी जानकारी किसी ब्लाक की नहीं है, उसको हम नहीं दे पायेंगे। एक भी शिकायत आपके पास स्पेशिफिक नहीं है।

## धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी का मानक

*3-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धार्मिक स्थलों से शराब की दुकान की दूरी का कोई मानक निश्चित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई निश्चित मानक बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आबकारी दुकानों की स्थिति व धार्मिक स्थलों से दूरी के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968" में प्राविधान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उपरान्त डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की रुचि पर तारांकित प्रश्न संख्या-3 लिया गया।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मेरे दो प्रश्न है एक तो राजस्व बढ़ाने की बात कहकर अनेकों धार्मिक स्थलों के समीप जो दुकानें है, अनेकों स्थलों पर प्राविधान कर दिया जाता है या नये ठेके स्वीकार किये ज'ते हैं तो जो धार्मिक स्थलों के करीब की दुकानें स्थित है, एक तो धार्मिक स्थलों के समीप जो स्थल परिवर्तन करके दुकानें स्थापित कर दी जाती हैं चौहद्दी बदलकर तो क्या उनको हटाने पर सरकार विचार करेगी ? दूसरा प्रश्न है कि मजदूर बस्तियों में, श्रमिक बस्तियों में, जो नये ठेके बनाये जा रहे हैं क्या सरकार उनको रोकने पर विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्.. इस सम्बन्ध में नियमावली है और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था दूसरे प्रश्नों में कि मेरी यह सरकार संविधान नियमों और कानून से बंधी हुई है और नियम कानून से काम करती है। इस सम्बन्ध में धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 पहले से विद्यमान है और विद्यमान नियमावली में जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार हम काम करते हैं उस नियम 5 के उप नियम 4 में प्राविधान है कि "किसी सार्वजनिक समागम के स्थान, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या फैक्ट्री या किसी भी बाजार अथवा आवासिक कालोनी के प्रवेश मार्ग के ब्रिल्कुल निकट किसी भी नई दुकान या उप दुकान को लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा। किसी दुकान या उप दुकान को लाइसेन्स देने से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गयी समस्त आपत्तियों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।"

अगर इस नियम की अवहेलना की जानकारी किसी सदस्य के पास होगी किसी विशेष स्थान पर तो उसका सरकार संज्ञान लेगी अगर किसी स्थान पर इन नियमों की अवहेलना होगी तो उसको बता देंगे, हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ धार्मिक स्थल हैं जिनके पास में शराब की दुकानें खुली हुई हैं कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके पास में शराब की दुकानें खुली हुई हैं तो क्या सरकार उनको हटवायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो नियमों में है, आप बता दीजिये।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जनहित में नियम बदले भी जा सकते हैं।

(इस समय 12 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, धर्मस्थलों की व्याख्या बड़ी विशद है। आस्था का केन्द्र एक छोटा सा पत्थर अगर सड़क पर रख देते हैं तो वह भी धार्मिक स्थल है और उसे भी धार्मिक स्थल कहते हैं। जहां हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं वह भी धार्मिक स्थल है। इसलिये अनिवार्य रूप से फिट या मीटर में नापकर कोई प्राविधान नहीं है लेकिन नीति है कि धार्मिक स्थल के बिलकुल पास कोई शराब का लाइसेन्स निर्गत नहीं किया जायेगा और हमारी सरकार ने इन नियमों के अनुसार ही कार्य किया है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। जो श्रमिक बस्तियों में सरकार नये ठेके खोल रही है और यह सरकार जनहितकारी सरकार होने का दावा करती है, इन ठेकों के खुलने से श्रमिकों का अहित होने जा रहा है, उनके परिवारों का अहित होने जा रहा है। तो क्या इन नये ठेकों को खोलने से रोकने पर सरकार विचार करेगी या उन श्रमिकों को यह सरकार शराब पिलवाने से रोकेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, शराब जो मिल रही है, उसके सम्बन्ध में आबकारी नीति में व्यवस्था सुस्पष्ट है। अगर माननीय सदस्य भी चाहेंगे तो उनको उसके मूल्य पर शुद्ध बढ़िया शराब मिल जायेगी। सरकार द्वारा किसी को जबरदस्ती शराब पिलवाने का इरादा नहीं है। सरकार का यह इंतजाम है कि लोगों को शराब ऐसे फार्म में मिले, जिससे उनके स्वास्थ्य की विशेष क्षति न हो। ऐसा नहीं है कि कोई जहरीली शराब मिल गयी या कोई दूसरी चीज मिल गयी। नियम को मैंने 2 बार बता दिया। नियम 5 के उपनियम 4 में जो प्राविधान है, उसका हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। यदि कोई निश्चित कहीं की सूचना है कि नियमों की अवहेलना हुई है तो बता दीजिये, देख लेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, अपने उत्तर में, अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में, उसके सम्बन्ध में मेरा प्रश्न यह है कि काशी, मथुरा अयोध्या यह 3 धार्मिक स्थल हैं, जिनकी सारे विश्व में मान्यता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन तीनों धार्मिक स्थलों के विषय में सरकार की क्या नीति है और दूसरा प्रश्न जैसा कि आपने कहा कि विद्यालय हो, गुरूद्वारा हो, मस्जिद हो, मन्दिर हो, उसके बिल्कुल सन्निकट का क्या तात्पर्य है, यह परिभाषित नहीं है, जिसके कारण उनके पास दुकानें खुल जाती हैं और जो इसके लाइसेन्स देने के लिये अर्ह अधिकारी हैं, वह विभिन्न कारणों से इनकी अनदेखी करते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि एक तो मथुरा, काशी, अयोध्या इन तीन के विषय में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ? मुझे याद आ रहा है एक बार पिछली सरकार में माननीय संसदीय कार्य मंत्री मेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में बहुत जोर दे रहे थे, कोई मस्जिद है आपके क्षेत्र में, उसके सन्निकट बिल्कुल कोई शराब की दुकान थी, आप बहुत उत्तेजित थे और होना भी चाहिए, तब भी उत्तर नहीं आया था, न आप संतुष्ट हो सके थे। मैं अपने इन अनुपूरक का उत्तर

हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, काशी, मथुरा और अयोध्या, या किसी दूसरे अन्य शहर के लिये अलग से कोई नियमावली नहीं है। दुकानों के सम्बन्ध में प्रचलित नियमावली जो है, उसी के तहत हम तय करते हैं। इन शहरों के लिये अलग से कोई प्राविधान नहीं है। श्रीमन्, धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, चाहे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा या विद्यालय हो, उसे भी धार्मिक स्थल मान लेते हैं, या अन्य ऐसी जो संस्थायें हैं, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में हमारी जो नीति है, मैंने पहले भी बता दिया था कि जो मद्यनिषेध नीति है, वह काशी, मथुरा, मिश्रिख, नैमिसारण्य, पीरान कलियर, देवबन्द, देवांशरीफ जैसे सभी स्थानों पर पूर्ण रूप से मद्यनिषेध लागू है। काशी विश्वनाथ मन्दिर की परिधि के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर शराब की बिक्री प्रतिबन्धित है। इन शहरों के लिये अलग से कुछ नहीं है, बल्कि इन धार्मिक स्थलों की जो परिधि है, उसमें पूर्ण मद्यनिषेध लागू है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं अपनी जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह जनता से जुड़ा प्रश्न है। जो वर्तमान सरकार की नीति है, उसमें गुरुद्वारा हो चाहे विद्यालय हो, उसके बिल्कुल सन्निकट शराब का ठेका खोलने पर प्रतिबन्ध है। मैंने कहा कि यह सन्निकट शब्द परिभाषित नहीं है और इसमें कोई दूरी तय नहीं है, इस प्रकार से नियमों में असर पड़ता है और दुकानें खुल जाती है और लोगों को आन्दोलित होना पड़ता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सन्निकट शब्द से जो दूरी का तात्पर्य है, उसे परिभाषित कर दें। जैसा कि आपने कहा कि काशी के विश्वनाथ मन्दिर की परिधि के एक किलोमीटर के दायरे में शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, पिछली सरकार में भी हमने यह प्रश्न किया था कि क्या इस एक किलोमीटर के दायरे को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मथुरा में 1.6 किलोमीटर है, तो क्या माननीय मंत्री जी अन्य धार्मिक स्थलों की भी दूरी को मथुरा की दूरी के बराबर करने की कृपा करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

1.5, 1.6 या कोई भी इस प्रकार की निश्चित दूरी अगर किसी जगह के लिये कोई भी माननीय सदस्य बतायेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि अगर किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में यदि नियमावली का उल्लंघन करके शराब की दुकानें खुली हुई हैं, अगर वह बता देंगे तो माननीय मंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र राजाजीपुरम्, लखनऊ में दो स्कूलों के बीच में शराब की दुकान खुली हुई है। क्या माननीय मंत्री जी उन्हें हटवाने का काम करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, आप लिख करके दे दीजिए, हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कुछ सम्मानित सदस्य जिज्ञासा जता रहे थे कि कितना क्षेत्र प्रतिबन्धित होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह बीयर को एल्कोहल की श्रेणी में मानते हैं या नहीं और बीयर को पंसारी की दुकानों में बिकवाने का निर्णय किस सरकार में लिया गया था, क्या इसे बतानें की कृपा करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बीयर एल्कोहल की श्रेणी में आता है और जिस प्रकार से आबकारी विभाग देशी मदिरा, विदेशी मदिरा का नियमन करता है, उसी तरह से उसकी भी बिक्री आबकारी विभाग करता है। बीयर पेय है और बीयर को पंसारी की दुकान तक पहुंचाने या छात्र उसकी ओर आकर्षित हो सकें और शहरों में भी इस तरह का प्रयत्न हो सके, यह नीति पूर्ववर्ती सरकार की रही है।

**प्रदेश की चीनी मिलों को टरबाईन द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु आर्थिक सहायता**

*10-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी चीनी मिलें ऐसी हैं जो टरबाईन द्वारा विद्युत उत्पादन कर रही हैं ? क्या सरकार ऐसी चीनी मिलों को टरबाइन से बिजली की उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 की 28 चीनी मिलों, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की 14 चीनी मिलों में तथा निजी क्षेत्र की 54 चीनी मिलों अर्थात कुल 96 चीनी मिलों में टरबाईन से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

जी नहीं।

संघ की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित विद्युत का चीनी मिल परिसर से बाहर प्रयोग नहीं होता है। अभी किसी भी सहकारी चीनी मिल में को-जेनरेशन योजना स्थापित नहीं की गयी है।

निगम की चीनी मिलों में को-जेनरेशन के अन्तर्गत अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने हेतु बहुत अधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होगी। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण उक्त से सम्बन्धित कोई परियोजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में टरबाइन से बिजली उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु कोई शासकीय योजना प्रस्तावित नहीं है और विद्युत उत्पादन हेतु चीनी मिलों को वर्तमान में कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

रवीन्द्र पुण्डीर जी के रोज प्रश्न आते हैं, नियम-51 में भी लगाते हैं लेकिन खुद नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं।

---

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त तारांकित प्रश्न संख्या-10 सदस्यों की रुचि पर लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष-

वैसे प्रश्न खत्म हो गये हैं लेकिन कुछ माननीय सदस्यों की तारांकित प्रश्न संख्या-10 में रुचि है इसलिए उसको ले रहा हूं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इस प्रश्न में इसलिए रुचि दिखाई कि हम सभी अवगत हैं कि प्रदेश के अन्दर 6500 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है और दो से ढ़ाई हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन कम हो रहा है। हम चाहते हैं कि बिजली की समस्या का समाधान हो। कई निजी क्षेत्र के चीनी मिल मालिक गन्ने के बाई-प्रोडक्ट से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। सौभाग्य से मुझे भी गन्ना विकास मंत्री रहने का अवसर मिला है, कई चीनी मिल मालिक बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा विभाग से कुछ समस्यायें थी इसलिए हम लोगों के समय में भी गन्ना विकास विभाग, ऊर्जा विभाग और निजी चीनी मिल मालिकों की एक संयुक्त बैठक हुई थी। मुझे ज्ञात है कि कई चीनी मिल मालिक को-जनरेशन से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और वह को-जनरेशन के लिए तैयार हैं तो उनकी दिक्कतें दूर करके को-जनरेशन के माध्यम से उनके क्षेत्रों में विद्युत का उपयोग हो सके, क्या सरकार इसके लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

श्रीमन्, प्रदेश सरकार की को-जनरेशन की पालिसी बिल्कुल स्पष्ट है और भारत सरकार का भी जो परम्परागत ऊर्जा विभाग है उसने एक नीति सभी राज्यों को भेजी है जो राज्यों ने एडाप्ट करी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस नीति के अन्तर्गत अगर कोई को-जनरेशन करना चाहता है तो राज्य सरकार क्या-क्या सहायता देगी और दर तय करेगी और क्या-क्या मानक हैं ? हमने वह नीति एडाप्ट कर रखी है और जो निजी चीनी मिल मालिक को-जनरेशन कर रहे हैं उसको राज्य विद्युत परिषद् खरीद रही है। उसको हमने कहीं मना नहीं किया है। हम उत्तर प्रदेश में ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, नरेन्द्र सिंह जी ने भी बैठक करी थी और बहुत बार इस सम्बन्ध में बैठकें हुई हैं लेकिन यह सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार जो छूट देती है, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो छूट है उसको और बढ़ाये जिससे इसे बढ़ावा मिल सके।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

ऊर्जा विभाग से निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को कुछ कठिनाई थी। मालुम है तो ठीक, नहीं तो जानकारी करके उन कठिनाइयों को दूर कर दें जिससे को-जनरेशन से विद्युत का उत्पादन हो सके।

श्री अम्बिका चौधरी-

डा0 गौर साहब ने कठिनाइयां नहीं बतायी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर कोई कठिनाई है तो सीधे-सीधे बता दें। यह सरकार प्रत्येक उद्योग की कठिनाई को दूर करने के लिए कृत संकल्प है। हम चाहते हैं कि तमाम उद्योगों की कठिनाइयां दूर हो। हमारी दृष्टि पहले से ही है कि जो कठिनाई उद्योगों के समक्ष है उनका निराकरण हो सके और हम यह कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पूर्व ऊर्जा मंत्री जी ने उत्तर दिया, उनके सपोर्ट में मा0 राजस्व मंत्री जी खड़े हो गये। यह प्रसन्नता की बात है कि एक प्रश्न का उत्तर सामूहिक रूप से सदन में कई-कई मंत्री दे रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर आया है, राज्य की चीनी मिलें और सहकारी संघ की चीनी मिलों के सम्बन्ध में कहा है कि हमारे पास टरबाईन से विद्युत बनाने के लिये कोई कार्य योजना ही नहीं है। यह जो 54 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं वह टरबाईन चला रही हैं और विद्युत का उपयोग अपने परिसर के लिये कर रही हैं और आस पास के गांवों को बिजली दे रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में चीनी मिलों के कितने प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? भविष्य में बिजली की कमी को देखते हुए निगम की और जो संघ की चीनी मिलें हैं उनमें बिजली उत्पादन के लिए क्या कठिनाइयां हैं ?

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं माननीय पाल जी का आभारी हूं। नरेश अग्रवाल जी उनके बराबर हैं लेकिन मैं उनसे बहुत छोटा हूं। उन्होंने जितना स्नेह मुझे दिया है और मेरी जो तारीफ की है उस तारीफ के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। मान्यवर, स्नेह के साथ अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है सिर्फ मोहब्बत दिल में ही रह जाए और जजबात से न जाहिर हो तो बेकार है। आज वह स्नेह का नाम ले रहे हैं। मुझे किसी खास अक्षर से मोहब्बत नहीं है, मुझे जो उनका स्नेह मिलता है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, बहुत सारी घटनाएं गवाह हैं, बहुत सारे मामलों में वह मुखबिर हैं और बहुत सारे मामलों में गवाह हैं। लेकिन इसका फैसला कोन करेगा ? लेकिन मैं कह रहा हूं कि वह मुखबिर हैं। मान्यवर, प्रश्न की जहां तक बात है ।ो निजी चीनी मिलें हैं उसमें से 9 ऐसी हैं जो अपनी जरूरत से थोड़ी सरप्लस बिजली पैदा कर रहा हैं। इनके अलावा कोई ऐसी नहीं है जो अपने परिसर के अलावा दूसरों को बिजली सप्लाई कर स[illegible]। आप कहेंगे तो मैं इस सम्बन्ध में आपको सूची दे दूंगा। जो भी कठिनाइयां हैं उसके लिए हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है और यदि कोई जनरेशन के लिए आगे आयेगा तो उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए सरकार सचेष्ट है ऐसी समस्या आती है तो निश्चि[illegible] से मदद करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पी0पी0ए0 के कितने प्रस्ताव आपके पास आये है ? आपने बताया कि केवल 9 मिले ही ऐसी हैं जो अपने परिसर के बाहर बिजली दे सकती हैं। कितनी मिलों ने टरबाईन से विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव आपको दिया है और कितने पी0पी0ए0 हुए हैं। भारत सरकार को आपने पत्र लिखा है इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जहां तक पी0पी0ए0 की बात पाल साहब ने कही तो आपने पहले प्रश्न करते समय तो इसका जिक्र किया नहीं था आप कार्यवाही देख लें। नौ चीनी मिलें ऐसी हैं जो सरप्लस पावर जनरेट कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।

## अतारांकित प्रश्न

**जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफरपुर में अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफरपुर में वर्ष 1993 में श्री सन्तोष पुत्र राम प्रताप शिवगढ़ व राम समुझ, राम आसरे पुत्र भूलन त्रिसुण्डी सुल्तानपुर एवं मनमोहन पुत्र साधू चिलबिला, विनोद कुमार पुत्र छोटेलाल आदि को नियम विरुद्ध पट्टा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार यादव ग्राम प्रधान के पत्र दिनांक 12-10-99 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी का पत्र 3594/शिविर/99, दिनांक 23-10-99 उप जिलाधिकारी पट्टी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में उ0 प्र0 ज0 वि0 अधि0 की धारा 198 (4) व 122 'सी(6) के अन्तर्गत वाद दायर किया गया है जो अपर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के यहां विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के ग्राम मदाफरपुर में गत वर्षों में नियम के विरुद्ध किये गये पट्टों के निरस्तीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के ग्राम मदाफरपुर में वर्ष 1992, 1993, 1994, 1995 में नियम विरुद्ध किये गये पट्टों को निरस्त करने एवं दोषी लेखपालों एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-589/वी0आई0पी0/02, दिनांक 31-12-02 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

वर्ष 1992, 1993, 1994 व 1995 में भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा मदाफरपुर तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सर्वसम्मति से किये गये पट्टा के प्रस्ताव को तत्कालीन उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस सम्बन्ध में गांव सभा के व्यक्तियों द्वारा धारा-198(4) व 122 सी की कार्यवाही की गयी है जो अपर कलेक्टर, प्रतापगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल में स्टेडियमों में हुए व्यय एवं क्रीड़ाधिकारी, बांदा के विरुद्ध आवास सम्बन्धी शिकायत**

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल में जनवरी, 2000 से 31 अक्टूबर, 2004 तक प्रत्येक स्टेडियम के रख-रखाव, खेलकूद प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या इनका भौतिक सत्यापन किसी अधिकारी द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कब-कब ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि जुलाई, 2000 से 31 अक्टूबर, 2004 तक जिला क्रीड़ा अधिकारी, बांदा द्वारा वालीबाल का कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तथा बिना शासन/विभाग की अनुमति के स्टेडियम में अपना आवास बना लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल में जनवरी, 2000 से 31 अक्टूबर, 2004 तक प्रत्येक स्टेडियम के रख-रखाव, खेलकूद प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों पर की गई व्यय की धनराशि का विवरण संलग्न है।

मण्डलों से सम्बन्धित जिलों में हुए व्यय का समय-समय पर महालेखाकार व मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा सत्यापन किया गया है।

**झांसी**--18-10-2004 से 20-10-2004 तक ।

**बांदा**--21-7-2004 से 24-7-2004 तक

**हमीरपुर**--जुलाई, 2000 से जून, 2004 तक

**उरई (जालौन)**--भण्डार का भौतिक सत्यापन दिनांक 3-7-2001 एवं दिनांक 30-9-2002 को किया गया तथा वित्तीय परीक्षण लेखा परीक्षक, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23 से 26 अगस्त, 2004 तक किया गया। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षण दिनांक 03 से 04 सितम्बर, 2004 तक खेल विभाग के सदस्यों द्वारा परीक्षण किया गया।

**ललितपुर**--जिला खेल कार्यालय ललितपुर का सत्यपान दिनांक 3-11-2004 से 5-11-04 तक लेखा परीक्षण महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद के परीक्षण दल द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त खेल निदेशालय द्वारा दिनांक 11 से 12 अक्टूबर, 2004 को लेखा परीक्षण किया गया है।

**महोबा**--जिला खेल कार्यालय, महोबा का आडिट महालेखाकार के सहायक सम्प्रेक्षा अधिकारी द्वारा दि0 25-6-2003 से 30-6-2003 तक किया गया है।

क्रीड़ाधिकारी, बांदा द्वारा जुलाई, 2000 से 31-10-2004 तक स्थानीय वालीबाल खिलाड़ियों/आवासीय वालीबाल छात्रावास के खिलाड़ियों को क्रीड़ाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

क्रीड़ाधिकारी, बांदा को जिलाधिकारी, बांदा के आदेश संख्या-3031, दिनांक 24-7-2001 द्वारा आवास संख्या-तीन-सात आवंटित है। क्रीड़ा अधिकारी द्वारा नियमित मकान भत्ते की कटौती करायी जा रही है। दिनांक 24-7-2001 से पूर्व क्रीड़ाधिकारी प्राइवेट आवास में रहते थे बिना अनुमति के स्टेडियम में क्रीड़ाधिकारी द्वारा कोई आवास नहीं बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण हेतु देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 104-106 पर)

**मण्डी परिषद् में "सेस" की धनराशि के आय-व्यय के विवरण के सन्बन्ध में जानकारी**

4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् अधिनियम में सीईएसएस "सेस" की धनराशि किन मण्डियों में खर्च करने की व्यवस्था की गई है ? वर्तमान सरकार के पदारूढ़ होने के बाद से अब तक सेस में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और वह प्रदेश की किन-किन मण्डियों में खर्च की गयी ? क्या वह आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियां हैं ? यदि नहीं, तो इन मण्डियों पर खर्च करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

केन्द्रीय मण्डी निधि (सेस) नियमावली के नियम 128-क में सेस की धनराशि के उपयोग की निम्नवत् व्यवस्था की गई है :--

1-वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित समितियों को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता के लिये।

**स्पष्टीकरण** : वित्तीय रूप से कमजोर समितियों का तात्पर्य ऐसी समिति से है जिसकी अद्यतन स्थिति ऐसी है कि उनकी आय, उनके दायित्वों को पूरा करने में अपर्याप्त है।

2-प्रधान मण्डी स्थल और उपमण्डी स्थल के निर्माण, विस्तार, मरम्मत और अनुरक्षण के लिये।

3-समितियों के उद्देश्यों के लिये अपेक्षित भूमि के लिये अनुदान या ऋण के लिये।

4-समितियों कृषि विपणन से सम्बन्धित विकास कार्यों के लिये अनुदान या ऋण के लिये।

5-राज्य सरकार के निर्देशानुसार अन्य कार्यों के लिये।

दिनांक 1-10-2003 से 31-12-2004 तक रु0 85.33 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है तथा ऋणात्मक वित्तीय स्थिति की 99 समितियों में व्यय हेतु स्वीकृति दी गई। सूची संलग्न है।

जी हां। सेस नियमावली के अनुसार ऋणात्मक स्थिति में होने के कारण वह वित्तीय रूप से कमजोर मण्डियों की श्रेणी में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(सूची हेतु देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 107-108 पर)

**प्रदेश में ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की नीति**

5-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार की वर्तमान में क्या नीति है ? क्या सरकार कदौरा जनपद जालौन में मिनी स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक मिनी ग्रामीण स्टेडियम बनाने की नीति है।

जनपद से प्रश्नगत स्थान पर उपयुक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट हेतु अतिरिक्त हैण्ड पम्प की व्यवस्था विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

6-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष सूखा के कारण जल स्तर घटने से बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? इसके दृष्टिगत कालपी क्षेत्र में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से सौ अतिरिक्त हैण्ड पम्प दिये जाने हेतु सचिव, नियोजन के पत्र के अनुपालन में अर्थ एवं संख्याधिकारी, उरई के पत्रांक 965 दिनांक 21 जून, 2004 के क्रम में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, उरई को पत्र सं0-ग-3-184323, दिनांक 10-1-05 के साथ भेजी गयी सूची पर क्या धनराशि निर्गत कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त हैण्ड पम्प कब तक लगवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं

जिलाधिकारी, जालौन द्वारा प्रश्नगत कार्य विषयक आगणन आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी को दिनांक 22-2-2005 को प्रेषित गये हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बलिया में क्षतिग्रस्त हल्दी-सहतवार मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग**

7-श्री भरत सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में हल्दी-सहतवार मार्ग जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, की मरम्मत की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत मार्ग के विशेष मरम्मत/सुधार कार्य हेतु रु0 144.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2004-05 में रु0 14.00 लाख का धनावंटन निर्गत कर दिया गया है। कार्य पूर्ण किये जाने की लक्ष्य तिथि वित्तीय वर्ष 2005-06 में उक्त मद में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र द्वाबा में बैरिया सुरेमनपुर तक सड़क चौड़ीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने की मांग**

8-श्री भरत सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र द्वाबा, जनपद-बलिया में बैरिया से सुरेमनपुर तक वित्तीय वर्ष 2003-04 में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से सड़क चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि इसकी कुल लागत राशि 99 लाख रुपये थी तथा अभी तक मात्र 20 लाख रुपये का कार्य ही सम्पन्न कराया गया है ? यदि हां, तो शेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2002-03 में जनपद बलिया के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2003 द्वारा "विधान सभा क्षेत्र द्वाबा के अन्तर्गत सुरेमनपुर से रानीगंज होते हुए बैरिया रेलवे फीडर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सी0 सी0 रोड का निर्माण" नामक परियोजना स्वीकृत की गई थी।

जी नहीं, परियोजना की कुल लागत रु0 96.94 लाख है और कार्यदायी संस्था द्वारा रु0 20.00 लाख व्यय किया जा चुका है।

शेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश के निजी चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग**

9-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक निजी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना धन बकाया है ? क्या यह सही है कि निजी मिलें किसानों

का भुगतान नहीं कर पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31-12-2004 तक विभिन्न पेराई सत्रों का गन्ना मूल्य का रु0 950.07 करोड़ रुपया बकाया था।

निजी क्षेत्र की चीनी मिलें जो या तो मा0 बी0आई0एफ0आर0 में पंजीकृत हैं, या जिनका प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, के पुराने बकाये के अतिरिक्त वर्तमान पेराई सत्र 2004-05 में निजी क्षेत्र की चीनी मिलें त्वरित गति से गन्ने के मूल्य का भुगतान कर रही हैं तथा दिनांक 14-3-2005 की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा कुल देय का 89.00 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

**जनपद लखनऊ की मलिहाबाद नर्सरी के मध्य प्रदेश सरकार पर अवशेष देयकों के भुगतान की मांग**

10-श्री कौशल किशोर-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में सन् 1996-97 में जिला सतना/मण्डला/नरसिंहपुर में सरकारी आदेशों पर लतीफ नर्सरी/न्यू पब्लिक नर्सरी (रजि0) मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ उ0 प्र0 द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों का भुगतान अपने स्तर से मध्य प्रदेश शासन से वार्ता करके कराने विषयक शर्बीहुल हसन, सदस्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, लखनऊ, उ0 प्र0 सरकार द्वारा मा0 उद्यान मंत्री उ0 प्र0 को प्रेषित पत्रांक संख्या-20/2005, दि0 05-01-2005 तथा पत्रांक संख्या-12/वी0आई0पी0/दिनांक 06-01-2005 क्या प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त भुगतान के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

सन्दर्भित पत्रांक दिनांक 05-01-2005 प्राप्त हुआ है।

सम्बन्धित फर्मों द्वारा वर्ष 1996-97 में सहायक संचालक उद्यान, सतना/मण्डला/नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) के मध्य निर्धारित आपसी प्रक्रिया द्वारा सीधे पौधे की आपूर्ति की गई है। इसमें उ0 प्र0 सरकार के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कोई सहभागिता नहीं है।

सम्बन्धित फर्मों के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 23-02-05 को म0 प्र0 सरकार को पत्र भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के मोहान रोड के दोनों तरफ जल निकासी की व्यवस्था की मांग**

11-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोहान रोड (बावली पुलिस चौकी से आलमनगर रेलवे क्रासिंग तक) क्षतिग्रस्त है एवं रोड के दोनों तरफ जल निकासी न होने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जल निकासी का कार्य नगर निगम से सम्बन्धित है और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

बुलाकी अड्डा से मोहान मार्ग (शहरी भाग) के विशेष मरम्मत हेतु रु0 37.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति फरवरी, 2005 में निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2004-05 में रु0 15.00 लाख का आवंटन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री जगदीश नारायण राय-

[ स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ]

**लखनऊ लोक निर्माण विभाग वृत्त-3 में विगत कई वर्षों से एक ही जनपद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता को स्थानान्तरित किये जाने की मांग**

13-डा0 सुशील चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 वृत्त लो0 नि0 वि0 लखनऊ के विद्युत अनुरक्षण खण्डों में अधिशासी अभियन्ता जो 5 वर्षों से अधिक समय से लखनऊ में कार्यरत हैं, को क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत लखनऊ जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

3 वृत्त लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में अवस्थित नहीं है, बल्कि 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में स्थित है जिसमें स्थित विद्युत अनुरक्षण खण्डों में 5 वर्षों से अधिक समय से कोई अधिशासी अभियन्ता कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान एवं विकास खण्ड मंगरौरा में सरदार बल्लभ भाई पटेल की चयनित भूमि पर मूर्ति लगवाने की मांग**

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वी राज चौहान एवं कान्धरपुर बाजार, विकास खण्ड मंगरौरा में सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना हेतु निदेशालय के पत्र संख्या-3297/सं0नि0-25(876)/2001, दिनांक 10 जनवरी, 2003 के अनुपालन में मूर्ति की स्थापना हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा स्थल चयन कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर मूर्ति को लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृति निदेशालय, उ0 प्र0 के प0 सं0-3297/सं0नि0-25(876)2001, दिनांक 10 जनवरी, 2003 में संदर्भित शासनादेश सं0-3138/चार-01-6(20)/90 टी0सी0, दिनांक 24-12-2001 के प्रस्तर-2 के अनुसार मूर्ति निर्माण लागत की 25% धनराशि प्रस्तावक द्वारा वहन किये जाने की सहमति/स्वीकृति मांगी गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मूर्तियों का निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

**जनपद प्रतापगढ़ के अशोकपुर असुढ़ी पट्टी नाला सेतु से पहुंच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-3/322304, दिनांक 7-10-04 जो जनपद-प्रतापगढ़ के अशोकपुर असुढ़ी पट्टी नाला सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि माह सितम्बर, 2004 में उक्त कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त कर ली गयी हैं। अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया के सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा गोविन्दपुर फेफना में बेघर हुए हरिजन परिवार को बसाने के सम्बन्ध में**

16-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा गोविन्दपुर फेफना के आराजी नं0-176 मि0, 188 मि0, 201/1 मि0, 202/1 मि0 202/2 मि0 व 203/4 मि0 कुल रकबा 427 एयर जो हरिजन आबादी के नाम से दर्ज है और उस पर 26 हरिजन

परिवार बसे थे ? क्या यह सही है कि जिला प्रशासन, बलिया द्वारा दिनांक 6-1-05 को बिना कोई सूचना के बेघर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बेघर किये गये दलित पीड़ित परिवार जो 10-1-05 से जिलाधिकारी, बलिया के कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं ? क्या उन लोगों को बसाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

केवल आराजी नं0-176 मि0 तथा 188 मि0 कुल रकबा 0-42 एयर हरिजन आबादी के नाम दर्ज है, जिस पर काफी पूर्व से हरिजन समुदाय के लोग आबाद हैं। शेष आराजी नं0-201/1 मि0, 202/1 मि0, 203 मि0 कुल रकबा 0.372 वर्तमान समय में खेल का मैदान दर्ज है। आराजी नं0 202/2 मि0, 203 मि0, 205/2 मि0 प्राथमिक विद्यालय, आ0नं0-205/2 मि0 व 203 मि0 अम्बेदकर पार्क एवं 205/2 मि0 खेल का मैदान पर 26 हरिजन परिवार कब्जा किये थे। सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु उपजिलाधिकारी सदर, बलिया द्वारा दिनांक 15-09-04 को आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 10-10-04 को अतिक्रमण हटाये जाने की सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों को दी गई। अतिक्रमणकारियों द्वारा सूचना लेने से इन्कार किये जाने पर दिनांक 08-10-04 को अतिक्रमण हटाये जाने की सूचना का प्रचार डुग्गी मुनादी द्वारा कराया गया। दिनांक 10-10-04 को अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। पुनः अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 06-10-05 की तिथि नियत की गयी अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा सूचना लेने से पुनः इन्कार किया गया। दि0 05-01-2005 को अतिक्रमण हटाये जाने की सूचना डुग्गी मुनादी द्वारा प्रचार कराया गया। दिनांक 06-01-2005 को प्रशासन के हस्तक्षेप से अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाया गया।

जिलाधिकारी, बलिया के कार्यालय पर अतिक्रमणकारियों द्वारा दिनांक 10-01-05 से धरना दिया गया था। **वर्तमान समय में उनके द्वारा धरना समाप्त कर दिया गया है।**

जी हां। दिनांक 18-1-05 को हुए **विचार-विमर्श में अपर जिलाधिकारी के परामर्श पर, चकबन्दी विभाग द्वारा अम्बेदकर पार्क प्राथमिक विद्यालय तथा खेल के मैदान के लिए चिन्हित भूमि का युक्तिसंगत ढंग से** परीक्षण कर, जमीन सुरक्षित करते हुए **बचत की भूमि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा** तथा उक्त भूमि को पात्र व्यक्तियों में वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर आवंटन की कार्यवाही **की जायेगी।**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान**

17-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में विभिन्न खण्डों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान रु0 8000-13500 स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री तेजपाल सिंह, प्रयोगशाला सहायक प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, बरेली को उक्त वेतनमान रु0 8000-13500 स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वेतनमान कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

28 प्रयोगशाला सहायकों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-सहारनपुर में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बन्द कराने की मांग**

18-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में कितने स्थानों पर शराब की दुकानें स्वीकृत हैं ? क्या कतिपय स्थानों पर अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध दुकानें बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद सहारनपुर में देशी शराब की 93 मूल दुकानें, 67 उप दुकानें अर्थात् कुल-160 स्थानों पर देशी शराब की दुकानें, 58 स्थानों पर विदेशी मदिरा की दुकानें तथा 40 स्थानों पर बियर की दुकानें स्वीकृत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद-प्रतापगढ़ में 6 पुलों के आगणन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की मांग**

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-3/322303, दिनांक 7-10-04 जो जनपद-प्रतापगढ़ के 6 पुलों के आगणन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में था, प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 06 सेतुओं में से क्रमांक-1 पर अंकित ढुई नाला सेतु निकट कठार राजा बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा क्रमांक-2 पर अंकित ढिढूई भाट पट्टी के मध्य पीली नदी पर निर्मित होने वाला लघु सेतु अरैला-भाट पट्टी-महरुपुर मार्ग के अन्तर्गत है। इस मार्ग (सेतु सहित) की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 2003 द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से प्रदान की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। पत्र में उल्लिखित शेष 04 सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद-प्रतापगढ़ के धुई नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के स्थान पर सालहीपुर कंजास से ढलहा तक मार्ग के निर्माण कराये जाने की मांग**

20-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-3/164794, दिनांक 15-9-04 प्रमुख सचिव, नियोजन को उनके अर्द्धशासकीय पत्र सं0-1891/35-5-2002-9(4)/98-7, टी0 सी0 1 दिनांक 17 अगस्त, 2002 नियोजन अनुभाग-5 के क्रम में धुई नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के स्थान पर सालहीपुर कंजास से ढेलहा तक मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में धुई नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के स्थान पर सालहीपुर कंजास से ढ़लहा तक मार्ग निर्माण कराये जाने के वैकल्पिक प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अवसर नहीं पाया गया है।

**जनपद-मऊ में स्वीकृत छह मार्गों हेतु धन आवंटन की मांग**

21-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र जनपद-मऊ के 6 मार्गों पर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में राज्यांश से 1000-1000 रुपये की टोकन मनी देकर परियोजनायें स्वीकृत की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि कब तक अवमुक्त करा दी जायेगी ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

5 कार्यों पर पूर्ण रूप से तथा एक कार्य पर रु0 13.80 के सापेक्ष रु0 10.01 लाख का आवंटन प्राप्त है। शेष धनराशि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद-मऊ विधान सभा क्षेत्र मऊ के ग्यारह मार्गों का पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) से निर्माण कराये जाने की मांग**

22-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मऊ के 11 (ग्यारह) मार्गों का पूर्वांचल विकास निधि योजना (राज्यांश) से वर्ष 2003-04 में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आगणन व प्रस्ताव आयुक्त, आजमगढ़ के माध्यम से मांगा गया, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उपरोक्त मार्गों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अवसर नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद के कतिपय किसानों की भूमि ग्राम सभा में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही**

23-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील सदर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम काकराबाद में कतिपय अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों व अन्य जाति के किसानों की भूमि उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 में दी गयी व्यवस्था के विरुद्ध ग्राम सभा में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त कराये जाने हेतु श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना विधायक का पत्र दिनांक 7-10-2004 पर विशेष सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार चूंकि प्रकरण न्यायिक आदेश के सम्बन्ध में है एवं न्यायिक प्रक्रिया में मा0 राजस्व परिषद् के समक्ष उप जिलाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय के आदेश दिनांक 6-8-02 के विरुद्ध श्रीमती ऊषादेवी पत्नी ओम प्रकाश द्वारा योजित निगरानी संख्या-154 श्रीमती ऊषादेवी बनाम राज्य विचाराधीन है। इस स्थिति में प्रकरण में पृथक से अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**शाहजहांपुर एन0 एच0 24 बाई पास मार्ग से ग्राम गैसर को जाने वाले कतिपय जीर्ण-शीर्ण मार्गों की मरम्मत**

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर एन0 एच0 24 बाई पास मार्ग से ग्राम गैसर को जाने वाला मार्ग, शाहजहांपुर-सीतापुर मार्ग से कटिया कम्पू होते हुए सरही जाने वाला मार्ग, शाहजहांपुर से बरनई हुसेनापुर जाने वाला मार्ग, कटिया रज्जव जाने वाला मार्ग, बाजिदपुर जाने वाला मार्ग जीर्ण-शीर्ण है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धनराशि से मरम्मत कराकर इन पर यातायात चालू रखा जा रहा है।

उक्त मार्गों की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**शाहजहांपुर मण्डी समिति के अन्तर्गत क्षेत्र में आने वाले कतिपय जीर्ण-शीर्ण मार्गों की मरम्मत**

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर मण्डी समिति के अन्तर्गत क्षेत्र में आने वाले मार्ग मोहम्मदी रोड से बसिलिया-कुरसण्डा होते हुए ददिउरा जाने वाले मार्ग तथा मोहम्मदी रोड से सुतनेरा जाने वाला मार्ग तथा सीतापुर रोड से ग्राम सरही को जाने वाले मार्ग जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हैं, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सम्पर्क मार्ग सीतापुर से ग्राम सरही की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। शेष मार्गों के मरम्मत के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुत्तीर्ण विषयों के अध्ययन में समानता की मांग**

26-श्री राम नरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, जिला फैजाबाद से सम्बद्ध पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के छात्रों को एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाने पर पुनः सभी विषयों का अध्ययन करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पं0 दीन दयाल उपाध्यय पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन विद्यालय की भांति अनुत्तीर्ण विषयों के अध्ययन कराये जाने की व्यवस्था आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में लागू करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

भारतीय पशु चिकित्या के नियम परिनियम भारत के राजपत्र भाग 11 खण्ड-3, उपखण्ड (1), दिनांक फरवरी, 07, 1994 के भाग 9 के बिन्दु 8 में निम्न प्राविधान है :-

(8) शैक्षणिक सत्र के दौरान कोई पूरक (पूरा करने वाली) परीक्षायें नहीं होगी किन्तु किसी उम्मीदवार को अगली कक्षा में तभी प्रोन्नत किया जाय यदि वो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ/हुई

है। यह अगली बी0वी0एस0सी0 और ए0एच0 कक्षा में तब तक प्रोन्नत नहीं किया/की जा सकता/सकती जब तक वह आगामी सत्र में उस विषय में उत्तीर्ण न हुआ/हुई हो।

जी नहीं।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के उक्त प्राविधान के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है क्योंकि परिषद् के प्राविधान के अनुपालन न करने से महाविद्यालय की उपाधि मान्य नहीं होगी।

**जनपद देवरिया में घाघरा नदी के भागलपुर बेरिया घाट पर अवैध खनन रोके जाने की मांग**

27-श्री राम करन आर्य-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मृदंगीलाल, उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, सियर विधान सभा क्षेत्र जनपद-बलिया के शिकायती-पत्र पर मा0 मंत्री, सहकारिता के उपरि पत्र संख्या-273वी0आई0पी0, दिनांक 15-1-05 को सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को एवं पत्र संख्या 275, दिनांक 15-1-05 द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को सेतु घाघरा नदी पर बने पुल के पूरब भागलपुर बेरिया घाट पर अवैध खनन रोके जाने विषयक भेजा गया उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के अनुसार शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच खनिज अधिकारी, देवरिया से दि0 9-2-05 को करायी गयी। जांच आख्यानुसार प्रश्नगत क्षेत्र की पट्टाधारिका श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री बृजा सिंह द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जा रहा है। उ0 प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-41 (ड) के अनुसार रेलवे पुल/पक्का पुल से 50 मी0 मात्र खनन कार्य हेतु प्रतिबन्धित है। नदी बहाव की दशा में (डाउन स्ट्रीम) सेतु से 90 मी0 के पश्चात् खनन कार्य हो रहा है, जिससे क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में पुरवा-अचलगंज मार्ग रायबरेली-पंसारी मार्ग तथा पैंथर मार्ग के नवीनीकरण की मांग**

28-श्री गंगा बख्श सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-उन्नाव के विधानसभा क्षेत्र हड़हा में पुरवा-अचलगंज मार्ग, रायबरेली-पंसारी मार्ग तथा पैंथर मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या इन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र हड़हा में पुरवा-अचलगंज मार्ग एवं पैंथर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसे सामान्य मरम्मत मद में उपलब्ध धनराशि से मरम्मत कराकर यातायात चालू रखा जा रहा हैं। रायबरेली-पंसारी नामक मार्ग विधान सभा क्षेत्र हड़हा में नहीं है।

मार्गों का नवीनीकरण निर्धारित चक्र के अनुसार किया जाता है। मार्गों का सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद सुल्तानपुर में लोक निर्माण विभाग हेतु स्वीकृत पांच परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की मांग**

29-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2002-03 में पत्र संख्या-187 एम0-486/35-5-2003, दिनांक 31-3-2003 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की अवशेष धनराशि की मांग सम्बन्धी पत्रांक 858/पू0वि0नि0/राज्यांश 2002-03 दिनांक 30-10-04 द्वारा लोक निर्माण-14 को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवशेष धनराशि अवमुक्त कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शासनादेश संख्या-पू0 187/एम-486/35-5-2003, दिनांक 31-03-2003 द्वारा जनपद-सुल्तानपुर हेतु पांच परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से चार परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण-पत्र मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 30-10-04 द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं एवं शेष एंक परियोजना का उपभोग प्रमाण-पत्र मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 19-02-05 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

जी नहीं।

पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में अत्यन्त न्यून धनराशि शेष होने के कारण उक्त परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अवसर नहीं है।

**लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में कई वर्षों से कार्यरत डिप्लोमाधारकों का विनियमितीकरण किये जाने की मांग**

30-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लो0 नि0 वि0 के विभिन्न खण्डों में विगत 15 से 25 वर्षों से कार्यरत डिप्लोमाधारकों का विनियमितीकरण किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1517/23702-223(सा)2001, दिनांक 24-4-2002 जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त डिप्लोमा धारकों का विनियमितीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

यह शासनादेश लो0नि0वि0 में समूह 'ख' एवं समूह 'ग' (तकनीकी) सेवा के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता संवर्ग के पदों पर कार्यरत वर्क चार्ज अभियन्ताओं एवं अन्य वर्कचार्ज कर्मियों को विनियमित करनें के सम्बन्ध में निर्गत किया गया है ?

जी नहीं।

उल्लेखनीय है कि लो0 नि0 वि0 के विभिन्न खडों में डिप्लोमाधारी लगभग 184 कर्मी दैनिक/मस्टररोल में मेट, सर्वेयर, सुपरवाइजर, अमीन आदि पदनामों से कार्यरत हैं इन सभी दैनिक कर्मियों द्वारा शैक्षिक योग्यता के आधार पर अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त करने हेतु विभिन्न रिट याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी हैं, जोकि मा0 न्यायालय में लम्बित/ विचाराधीन है।

**जनपद सुल्तानपुर की किसान सहकारी चीनी मिल में गत अनेक वर्षों से स्टाक गोदाम में पड़ी चीनी के विवरण की जानकारी**

31-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर में वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2003-2004 की कितने क्विंटल चीनी का स्टाक गोदाम में पड़ा है ? क्या दस हजार क्विंटल से अधिक चीनी खराब हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर में वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2003-2004 की चीनी का स्टाक निम्न विवरण अनुसार है :--

| वर्ष | स्टाक (कु0 में) |
|---|---|
| 2000-2001 | 8693 |
| 2001-2002 | 599 |
| 2003-2004 | 18016 |

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील आलापुर के ग्राम भूलेपुर कलां में मत्स्य पालन हेतु भूमि का कब्जा श्री सन्तराम पुत्र प्रभुदीन को दिये जाने की मांग**

32-श्री जयराम विमल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्तराम पुत्र प्रभुदीन ग्राम-भूलेपुर कलां, परगना-बिड़हर, तहसील-आलापुर, जिला-अम्बेडकर नगर को गाटा सं0-372 ख रकबा 0.253 हेक्टेयर मत्स्य पालन हेतु दिनांक 17-10-97 को आवंटित किया गया है। यदि हां, तो क्या उन्हें उक्त भूमि पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम भूलेपुर कलां, तहसील आलापुर नामक कोई राजस्व ग्राम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण की मांग**

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी का निर्देश सी0एम0/वि0को/एम0/109992/04, दिनांक 24-9-04 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां; किन्तु पत्र में वर्णित सभी मार्गों का निर्माण शून्य से लेपन स्तर तक कराने का अनुरोध किया गया है।

सभी मार्ग ग्रामीण/सम्पर्क मार्ग की श्रेणी के हैं चालू वित्तीय वर्ष में इन श्रेणी के मार्गों के लिये लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में राज्य योजना के अन्तर्गत बजट व्यवस्था न होने के कारण स्वीकृत करना सम्भव नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मार्गों के निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग**

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 5 मार्गों के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/109811/04, दिनांक 21-9-04 एवं 109812/04, 109814/04, 109815/04, 109818/04, 109819/04, 109823/04, दिनांक 21-9-04 प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0 सी0एम0/वि0को/एम0/109814/04, दिनांक 21-9-04 जो 6 मार्गों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में है, के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग को दे दिये गये हैं। शेष पत्र पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) से सम्बन्धित है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में निधि में अत्यन्त अल्प राशि अवशेष रह जाने के कारण नयी परियोजनाओं की स्वीकृति एवं अवशेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बलिया के थाना सिकन्दरपुर के ग्राम कुण्डीडीह के अनाधिकृत कब्जा विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

35-श्री रामकरन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के थाना सिकन्दरपुर के ग्राम-कुण्डीडीह के अन्तर्गत चकरोड संख्या-377, रकबा-45 डि0 पर श्री साईबचन्द्र वर्मा, वीर बहादुर वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी वर्मा तथा सफूला अहमद द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 14-11-2003 राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद बलिया के थाना सिकन्दरपुर के ग्राम कुण्डीडीह के अन्तर्गत चकरोड सं0-377 रकबा 0 162 हे0 की पैमाइश करके अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोण्डा व बस्ती की गन्ना विकास समिति द्वारा त्रुटिपूर्ण नीति से गन्ना किसानों के शोषण का कथित प्रकरण**

36-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गन्ना विकास समिति बस्ती व गन्ना विकास समिति मनकापुर तथा गौरा चौकी जनपद-गोण्डा के गन्ना किसानों को उनके गन्ना सट्टा का कार्ड जनवरी, 2004 तक जारी नहीं किया गया जिसके कारण किसानों को अपने गन्ना कोटा की जानकारी नहीं है ? क्या सरकार को जानकारी है कि गन्ना समिति बभनान, बस्ती तथा गन्ना मिल, बभनान, जनपद गोण्डा की इस त्रुटिपूर्ण नीति से उस क्षेत्र के गन्ना किसानों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना पेराई सत्र 2005 आरम्भ होने के पूर्व ही गन्ना किसानों के गन्ना खेतों की पड़ताल करने के उपरान्त उनके गन्ना सट्टा कोटा कार्ड जारी करने की व्यवस्था कराने का आदेश जारी करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पेराई सत्र 2003-04 में गन्ना समिति, बस्ती, जनपद-बस्ती के गन्ना किसानों का गन्ना सट्टा का कार्ड (केलेन्डर) का विवरण माह दिसम्बर, 2003 व गन्ना समिति, मनकापुर तथा गौरा चौकी जनपद-गोण्डा के गन्ना किसानों का गन्ना सट्टा का कार्ड (केलेन्डर) चीनी मिल, बभनान द्वारा क्रमशः दिनांक 26-12-2003 व नवम्बर, 2003 के द्वितीय सप्ताह में उपलब्ध कराया गया। मनकापुर के कृषकों को इसका वितरण 2 जनवरी, 2004 तक तथा गौरा चौकी के गन्ना किसानों का पर्ची वितरकों के माध्यम से नवम्बर, 2003 के अन्त तक कृषकों को वितरित कराया गया था।

गन्ना समिति, बभनान, बस्ती तथा गन्ना मिल, बभनान की कोई अलग नीति लागू नहीं है, गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनायी सट्टा नीति के अनुसार कार्यवाही करायी गयी है।

पेराई कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व गन्ना किसानों के खेतों की पड़ताल, गन्ने का सट्टा, कोटा कार्ड जारी करने की कार्यवाही, गन्ना आयुक्त द्वारा दिये गये विभागीय निर्देशों के अनुसार करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रामपुर के लोक निर्माण विभाग की बिलासपुर-एटरो के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग**

37-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला रामपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की बिलासपुर-एटरो मार्ग का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 में इस सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है जिसकी सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धनराशि से मरम्मत की जा रही है।

सड़क की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**राज्य कर्मचारियों की भांति किसानों को मकान बनाने हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की मांग**

38-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों की भांति ग्रामों में किसानों को मकान बनवाने हेतु कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ उ0 प्र0 के प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री अजय सिंह का पत्रांक 818/दिनांक 6-8-2003 उन्हें एवं जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कार्यरत बीस भूमि अध्याप्ति इकाइयों को समाप्त करने का निर्णय तथा जनपद लखनऊ व सन्त रविदासनगर इकाई को पुनर्जीवित करने के कारण की जानकारी**

39-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-3574/1-13-99-रा0-13-10-1(1)/99-114, दिनांक 16-10-99 द्वारा प्रदेश में कार्यरत 72 भूमि अध्याप्ति इकाइयों में से बीस इकाइयों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था एवं इनमें से शासनादेश संख्या-1055/1-13-2001-10(1)99-114, दिनांक 17-5-2001 द्वारा भूमि अध्याप्ति इकाई नगर महापालिका द्वितीय लखनऊ तथा सन्त रविदास नगर इकाई को पुनर्जीवित कर दिया गया ? यदि हां, तो पुनर्जीवित किये जाने का कारण क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1055/1-13-2001-10-1(1)/99-114, दिनांक 17-5-2004 के द्वारा नहीं वरन शासनादेश संख्या-1055/1-13-2001-10-1(1)/99-114, दिनांक 17-5-2001 के द्वारा भूमि अध्याप्ति इकाई नगर महापालिका (द्वितीय) लखनऊ तथा भूमि अध्याप्ति इकाई सन्त रविदास नगर (भदोही) को निदेशक, भूमि अध्याप्ति से प्राप्त इस सूचना पर कि उक्त दोनों इकाइयों के पास मानक के अनुसार कार्य है, विचारोपरान्त पुनर्जीवित किया गया है।

**प्रदेश में गत वर्ष शीत लहर व ठण्ड से जन-धन की क्षति एवं बचाव हेतु कार्यवाही**

40-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 2004-2005 में शीत लहर व ठण्ड से जन-धन की क्षति एवं उसके बचाव हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ठण्ड से बचाव हेतु निम्नांकित उपाय/व्यवस्था किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये :--

1-कम से कम प्रति नगर पंचायत-03, प्रति नगर महापालिका-05 एवं प्रति नगर निगम-25 सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाये जायें।

2-निराश्रित एवं गृह विहीन व्यक्तियों को कम्बल वितरित किये जायें।

3-रैन बसेरों, बाढ़ शरणालयों, धर्मशालाओं, रिक्त सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक भवनों एवं विद्यालयों को पूर्व में चिन्हित कर रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाय। निर्मित भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में अस्थायी टेन्टों की व्यवस्था की जाये

4-अलाव जलाने एवं कम्बल वितरण के कार्य में स्वयं सेवी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाय।

5-आम जनता के सूचनार्थ एवं व्यवस्था की पारदर्शिता हेतु अलाव जलाने के स्थानों एवं अस्थायी रैन बसेरों, टेन्टों व पण्डालों की व्यवस्था की सूची सम्बन्धित तहसीलों, स्थानीय निकायों एवं विकास खण्डों के सूचना पट पर लगायी जाय।

6-जनता एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के दृष्टिगत आवश्यक कार्ययोजना बना ली जाय। शीतलहरी प्रारम्भ होने के पूर्व जिला दैवी आपदा प्रबन्धन परामर्श समिति की बैटक आयोजित कर उनके परामर्श को ध्यान में रखते हुए वांछित व्यवस्था की जाय।

7-राहत कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा राहत वितरण के समय जनप्रतिनिधियों/मीडिया की उपस्थिति यथा सम्भव सुनिश्चित की जाय।

8-शीतलहरी के समय जलाये जाने वाले अलावों एवं अस्थायी रैन बसेरों, टेन्टों एवं पण्डालों के स्थलों का नियमित निरीक्षण कराया जाय तथा उच्च स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाय।

इस हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों को कुल रु0 1,00,16,000/- आवंटित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम कोटाखास को लोहिया ग्राम चयनित करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही**

41-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम कोटा खास (तिलहर) जनपद-शाहजहांपुर को लोहिया ग्राम में चयनित करने हेतु पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-112065/2004, दिनांक 4-11-04 प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को लोहिया ग्राम चयनित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-112065/2004, दिनांक 4-11-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त नहीं हुआ हैं मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय से उक्त पत्र प्राप्त कर निदेशक, मण्डी परिषद् को दिनांक 7-03-2005 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

जी नहीं।

मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में कम से कम एक लोहिया ग्राम का चयन वित्तीय वर्ष 2004-05 में किया जाना था। जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2004-05 में लोहिया ग्राम के अन्तर्गत ग्राम धनेली महेश एवं ग्राम काबिलपुर का चयन किया गया हैं।

**लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण कराने की मांग**

42-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराने लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित तुलसीदास मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य सर्जी मण्डी चौक से नक्खास चौराहे तक पूर्ण हो गया है तथा तालकटोरा चौराहे तक पूर्ण होना शेष है ? यदि हां, तो शेष मार्ग को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के ग्राम विजयीपुर व देवराजपुर में सड़कों का लेपन कार्य**

43-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा विजयीपुर, हड़ौरा देवराजपुर में सड़कों का लेपन कार्य न होने के कारण ग्रामीण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्रामों की सड़कों का लेपन कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, किन्तु ग्राम हड़ौरा पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है।

जी हां, ग्राम विजयीपुर व देवराजपुर हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसे माह जून, 2005 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ की तहसील महिलाबाद में आम फल पट्टी घोषित क्षेत्र में उपमण्डी निर्माण की मांग**

44-श्री कौशल किशोर-

क्या कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील-मलिहाबाद में आम फल पट्टी घोषित क्षेत्र में प्रस्तावित फल एवं सब्जी उप मण्डी के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा उसका निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति, लखनऊ की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण मलिहाबाद में सम्प्रति फल एवं सब्जी उपमण्डी स्थल निर्माण की योजना नहीं है।

**जनपद शाहजहांपुर में बहगुल नदी पर खण्डहर व टापर के बीच पुल की मांग**

45-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में बहगुल नदी पर खण्डहर व टापर के बीच पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-112165/2004, दिनांक 5-11-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

आगणन तैयार कराने के निर्देश दिये गये हैं। आगणन प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

**विधान सभा के एक दल विशेष के सदस्यों द्वारा सदन में उपस्थित होने के बावजूद कार्यवाही में भाग न लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। श्रीमन्, प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 281 को आप देखें इसमें दिया हुआ है कि जो सदस्य सदन में उपस्थित रहेंगे तो उनके उपस्थित रहने का क्या तरीका है। नियमावली के नियम 280 को देखें इसमें सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा के सम्बन्ध में दिया हुआ है। नियमावली के नियम 279 में सदन के त्याग के सम्बन्ध में लिखा हुआ है। आज अखबारों में निकला कि एक दल विशेष के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि वह सदन में उपस्थित रहेंगे लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे नियमावली में यह चीज स्पष्ट नहीं है इसलिए मैंने इसको व्यवस्था के रूप में उठाया कि अगर सदस्य उपस्थित होगा और यह कहकर कि हम कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे हम सदन में जायेंगे टी0ए0डी0ए0 व अन्य भत्ते लेंगे लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे इस पर नियमावली चुप है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या ऐसे सदस्य भत्ता लेने के लिए अनुमन्य होंगे इसको भी स्पष्ट किया जाय इस नाते मैंने इसको उठाया है। भविष्य में इस तरह की चीज न हो कि लोग सदन में बैठे और सदन की कार्यवाही में भाग न लें इससे सदन का अपमान हो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर निर्णय सुरक्षित कर लेते है। इस पर व्यवस्था देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे भी इस पर सुन लें मैं भी इस पर खड़ा हुआ था चूंकि नरेश जी मंत्री हैं इसलिए उनको पहले अवसर मिला। मैं चाहता हूं कि आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 को देख लें। भारत एक सम्प्रभुता सम्पन्न गणराज्य हैं यहां का संविधान समता मूलक है। अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार किसी जाति विरादरी धर्म या लिंग के आधार पर कहीं से प्रतिबंधित नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लें इस पर एक लम्बी चर्चा होनी चाहिए। क्या किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधान सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में सदस्यों को यह निर्देश दे कि वह मुंह पर पट्टी बांधकर आएं। किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वह अपने सदस्यों से कहे कि तुम सदन में जाओ लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा न लो। कोई सदस्य सदन में मुंह पर पट्टी बांधकर आएं और कोई सदस्य सदन में आएं और सदन के प्रति जवाबदेह न हों इसे मैं आपका अपमान मानता हूं, सदन का अपमान मानता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संविधान के टेन्थ शेड्यूल को देखें इसमें किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि विप्प जारी कर सकते हैं, वोट किसे दिया जाय यह जारी कर सकते हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या किसी दूसरे सदन की किसी घटना का यहां संज्ञान लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं लिया जा सकता है।

*श्री प्रमोद कुमार-

टण्डन जी का मैं आदर करता हूं वह हमेशा मेरे कष्ट को दूर करते हैं। मान्यवर, मेरे सामने यह समस्या थी कि कल विधान परिषद् में जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गये थे और उन्होंने वहां पर जिस तरह से किया, उसका जिक्र यहां कैसे करता और मैं उसको जिक्र यहां करना भी नहीं चाहता कि कुछ लोग मुंह में पट्टी बांधकर बैठे हुए थे।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे सदन का संज्ञान इस सदन में नहीं लिया जा सकता।

श्री प्रमोद कुमार-

वही तो मैं कह रहा हूं कि इनकी पार्टी के जो सदस्य कल विधान परिषद् में गये थे और मुंह में पट्टी बांधे हुए थे उसका संज्ञान यहां न लें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप तो न लें कम से कम।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं टण्डन जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं और विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कल परिषद् में जिस तरह से कुछ लोग रजिया सुल्तान या टीपू सुल्तान बन कर गये थे उसका संज्ञान लेने की इनकी उम्र नहीं रही, यह दूसरो को लेनें दें। लेकिन मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इसको हास-परिहास में समाप्त न किया जाय। टैन्थ शिड्यूल एक काम कर सकता है कि व्हिप जारी करके कहीं मतदान करे यह अधिकार तो किसी राजनैतिक दल को देता है लेकिन क्या कोई राजनैतिक दल भारत के संविधान के ऊपर है और भारत के संविधान के ऊपर जाकर क्या किसी के वाक् स्वातंत्र पर रोक लगा सकता है ? मान्यवर, यह प्रश्न है, इसका जो आज आप उत्तर देंगे। वह एक नजीर बनेगी आने वाले भविष्य के लिये। मैं एक चीज समझ सकता हूं कि कोई नेता आये, कोई दल आये, किसी बात पर बर्हिगमन कर जाय लेकिन वह सदन में आये और आने के बाद यहां बैठा रहे न बोले, वह अलग बात है। लेकिन समाचार-पत्रों के माध्यम से निर्देशों के माध्यम से कि वे सदन में नहीं बोलेंगे। अब हम उनसे हाल चाल पूछें कि कैसे हैं ? (तो वे मुंह पे अंगुली रखकर गर्दन हिलाने का इशारा कर दे।) किसी सदस्य को कोई पीड़ा है, वह अपनी भावना को कहना चाहता है, गरीब की आवाज उठाना चाहता है अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या कहना चाहता है, कहीं प्रदेश के अन्दर ऐसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घटित हो रहा है, उसको बोलना चाहता है तो उसकी वाणी को प्रतिबंधित किया जा सकता है ? अगर उसकी वाणी को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो यह सदन इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या दे। क्या वाक् स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिये है ? क्या वाक् की स्वतंत्रता सभी के लिये है। जब आप अपने विचार दें तो 19 के सन्दर्भ में भी स्पष्ट व्याख्या चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको इसके लिये समय चाहिए तो आप समय ले लें। इस पर जब आप टिप्पणी दें, रूलिंग दें तो एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या सदन के अन्दर बैठकर किसी की भावनाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है ? अगर रोका जा सकता है तो मैं कहना चाहता हूं सम्मानित अध्यक्ष जी, कि इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे, तानाशाही नहीं कहेंगे, यह भारत के संविधान के विरुद्ध लोकशाही का अपमान नहीं होगा। मैं टण्डन जी की बात से सहमत होते हुए कि कल इनकी पार्टी के लोग विधान परिषद् में मुंह में पट्टी बांधकर गये और आज जो कुछ इनके दल के लोग कर रहे हैं कि यहां पर बैठे हैं और बोल नहीं रहे हैं। उनकी बोलने की इच्छा है, बोलना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, पार्टी का कोई ऐसा निर्देश हो सकता है कि यहां न बोलें। अगर मान्यवर, ऐसा निर्देश हो सकता है तो क्या यह फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद-19 (क) के विरुद्ध नहीं है। अगर यह इसके विरुद्ध है तो मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए इस पर आपके निर्देश और व्यवस्था चाहता हूं। इस सन्दर्भ में मैंने क्रल भी आपको 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न दिया था लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं लिया गया। आज मैं व्यवस्था के माध्यम से इसको उठा रहा हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, व्यवस्था के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बात इस सदन में उठी है जो विषय माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता प्रमोद कुमार जी ने उठाया है, इस पर निश्चित तौर से सभी के विचार आने चाहिए। आज इस सदन में इतिहास गवाह है कि इस पीठ से ऐसे निर्णय जारी हुए जो कि अन्य राज्यों की विधान सभाओं के लिये निर्देश का काम कर रहे हैं। इस सदन ने परम्परायें डाली हैं। पीठ से समय-समय पर निर्णय हुए हैं जो प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, संसदीय परम्पराओं के लिए उदाहरण बन सकते हैं। क्या यह सदन, उत्तर प्रदेश की विधान सभा इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है ? इस पर बहस हो, यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का केन्द्र है। लेकिन अगर सदस्यों को बोलने से यहां रोका जाए तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। यह सदन संचालित पीठ से होगा या किसी दल के नेता से। अगर कहीं सदस्यों को बोलने की अनुमति है तो वह सदन है। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना और संसदीय परम्पराओं को कायम करना है। सदन में पीठ की गरिमा होती है। ऐसा गम्भीर प्रश्न आज सदन के सामने पहली बार उपस्थित हुआ होगा कि किसी दल के नेता ने दिल्ली से आकर निर्णय लिया। जब तक निर्णय नहीं लिया गया तब तक उस दल के विधान मण्डल के नेता ने निर्णय नहीं लिया। सदन में उपस्थित होना है या सदन की कार्यवाही में भाग लेना है, तो क्या दल के नेता इस सदन की कार्यवाही के संबंध में सदन में उपस्थित होने के बावजूद अपनी अभिव्यक्ति न कर पाए इसके लिए वह उत्तरदायित्व नहीं हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब आपकी सूचना के आधार क्या हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं समाचार-पत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। सदन में उस दल के लोग उपस्थित है। यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। यह घटना सदन के समक्ष आज घटित हो रही है। आज इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। चाहे हमारा दल हो चाहे और कोई दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जैसा उल्लेख प्रमोद कुमार जी ने किया है इस तरह का उदाहरण ...

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो प्रश्न उठाया है....

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, लाबी में बैठकर एक सदस्य दूसरे सदस्य से कह रहा है वहां जाना तो है, बैठना तो है लेकिन बोलना नहीं है। मैंने इस बात को अपने कानों से सुना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक गम्भीर सवाल सदन के समक्ष है इस पर विचार और निर्णय करना है। इसलिए भी इसकी गम्भीरता ज्यादा हो गई है कि सदन में नेता विरोधी दल के साथ-साथ नेता सदन भी मौजूद हैं। यह प्रश्न नेता सदन के सामने उठा है। परिवहन मंत्री जी ने इसको उठाया है। नेता कांग्रेस प्रमोद कुमार जी ने उठाया है। नेता कांग्रेस जगदम्बिका पाल जी ने उठाया है। यह बहुत गम्भीर सवाल हैं संविधान के अनुच्छेद की धारा-19 के तहत भारत में रहने वाले व्यक्ति को वाक् स्वतंत्रता, फ्रीडम आफ स्पीच का हक मिला है। बोलने की आजादी का हक मिला है। अगर कोई व्यक्ति सीधे से या छिपे तरीके से किसी को बोलने से रोकता है तो वह सीधे संविधान की इस धारा का उल्लंघन है यह संविधान के अनुच्छेद में लिखा है यह क्रिमिनल ऑफेन्स बनता है। इसमें सजा है। मैं किसी हंसी या मजाक के तौर पर, व्यंग के तौर पर नहीं ले रहा हूं यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो चुनकर इसलिए आए हैं कि वह जनता की समस्याओं को रखें। सरकार के कामों पर टिप्पणी करें और इसके लिए कुदरत ने उन्हें मुंह में जबान दी है बोलने के लिए। कान दिये हैं सुनने के लिए, मस्तिष्क दिया है राय कायम करने के लिए। लेकिन, मान्यवर, एक दल ने एक दल के नेता ने जो किया है, जैसा कि आपकी पीठ से जानकारी चाही गई कि यह कैसे मालूम हुआ ? तो हम समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन समाचार पत्र इलेक्ट्रानिक मीडिया हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत पाया है। उसी तरह से सदन हमारे लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा है। मैं कहना चाहता हूं हम सदन के संज्ञान में लें या न लें लेकिन उसका संज्ञान लिए बगैर आज की व्यवस्था चल नहीं सकती है पूरे प्रेस में, कलम की मीडिया में और इलेक्ट्रानिक मीडिया में, पूरे देश ने यह सुना और पढ़ा कि

---

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बहुजन समाज पार्टी की नेता ने अपने विधायकों की मीटिंग में कहा और फिर उन्होंने स्वयं प्रेस कान्फ्रेन्स में, उनकी जुबान से उनके शब्दों में पूरे देश ने सुना कि हमने अपने विधायकों को निर्देशित और आदेशित कर दिया है, निर्देशित कर दिया है, तब तो बात समझ में आती लेकिन आदेशित कर दिया है, मान्यवर, संविधान निर्माताओं ने बड़ी मेहनत के बाद पूरे दुनिया का परीक्षण करके, कुछ लिखित संविधानों और कुछ रिवायती संविधानों को मद्देनजर रखकर हिन्दुस्तान का संविधान तैयार किया हैं इस संविधान ने हमें सैकड़ों साल की गुलामी के बाद बोलने का हक दिया है, आजादी से बोलने का। यह हक पहले भी छीना गया, तानाशाह आए, उन्होंने छीना, बादशाहों ने छीना और जब अंग्रेज हुक्मरान आए, उन्होंने छीना। लेकिन आज फिर आजादी के 56 साल के लम्बे समय के बाद कोई नेता अपने विधायकों को निर्देशित ही नहीं आदेशित करें और हुक्म दें कि उन्हें विधान सभा में जाना तो है, लेकिन बोलना नहीं है, ताकि वह टी0ए0 और डी0ए0 ले सके। लेकिन यह टी0ए0, डी0ए0 वेतन जो मिलता है, हम जनता के मुलाजिम हैं, जनता के सेवक हैं, और उस मेहनत के बदले में हमें यह उजारत मिलती है और यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो यह धन जायज नहीं है, [× × ×] है और [× × × ] वेतन हासिल करना और [× × × ] कमाने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्देशित करना और आदेशित करना कि सदन में [× × × ] का वेतन लेने के लिए, [× × × ] का टी0ए0 लेने के लिए, [× × × ] का डी0ए0 लेने के लिए जाए, क्योंकि जिस जिम्मेदारी के लिए जनता ने हमें निर्वाचित करके भेजा है यदि हम उस दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं तो यह वेतन लेना जायज नहीं होगा। हमें उन साथियों की इस दयनीय स्थिति पर रहम आता है। ईश्वर ने तो जुबान देकर भेजा है, लेकिन इन जमीन के तानाशाहों ने इन्हें बेजुबान कर दिया है। इसलिए यह गम्भीर मामला है और यह जानकारी हम आपके माध्यम से चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि बाहर कुछ भी होता हो, उनके अधिकारों का हनन होता हो या उनसे कैसी भी भाषा का इस्तेमाल होता हो, उनके मान-सम्मान का ख्याल रखा जाता हो या नहीं रखा जाता हो लेकिन यह सदन है, एक प्रेस वाले ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि इससे ज्यादा आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे, तो संस्कार उन्हें मिले हैं, वैसे ही व्यवहार की हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं। उनकी जेबों में तो ईंट और पत्थर भी होंगे। क्योंकि यह प्रश्न गम्भीर है, पूरे प्रदेश और देश के सामने है, चुनाचे बाहर कुछ भी होता हो लेकिन इस सदन में हमारे अधिकारों का हनन न हो, जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी के उन नेताओं, उन सदस्यों को जो सदन में मौजूद हैं, उनकी उस तकलीफ ने जिसने इन्हें बेजुबान कर दिया है, उनके जुबान है, पूछ लीजिए, मगर बेजुबान हैं, उनकी इस दयनीय स्थिति से, इस तानाशाही से इन्हें निजात दिलायें वरना लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा और संविधान का सम्मान नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को, माननीय प्रमोद कुमार जी को और संसदीय कार्य मंत्री, श्री मोहम्मद आजम खां को सुना।

यह बड़ा गम्भीर और संविधान के वाक् स्वातंत्र्य का प्रश्न है।

---

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बसपा के माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं।

(बसपा के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं बोलने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, गम्भीर स्थिति है। मान्यवर, बसपा के सदस्य इस सदन के सदस्य हैं और इनमें डर और खौफ है। मान्यवर, मैं संरक्षण चाहूंगा, आप अध्यक्ष हैं, और आप हम सबके अधिकारों के मालिक हैं। मान्यवर, नेता सदन में बैठे हैं और मुझे तो इस बात का डर है कि इन सदस्यों के साथ बाहर क्या होने वाला है ? इसलिए मान्यवर, इन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध करायें। इन मजलूमों, इन लाचारों को पूरी तरह से सदन के बाहर सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप अगर किसी को फांसी भी देते हैं तो उससे पूछा जाता है कि उसकी मंशा क्या है ? तो मैं चाहता हूं कि आप किसी सदस्य से पूछ लें कि हमारी बात सच भी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, बहुजन समाज पार्टी क्या आपके बोलने पर प्रतिबन्ध है ? आप नहीं बोलेंगे, मौन रखेंगे ?

*श्री रिजवान अहमद खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जब जरूरत नहीं है तो बोलने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष-

कहां मुंह बंद है ?

(हंसी)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अब यह मजलूम कहां रहे, यह बोल सकते हैं। अब व्यवस्था रखने की बात कहां रह गयी ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक से तो पूछ लिया दूसरे से भी तो पूछ लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं भारत का अल्पसंख्यक हूं और इस जुल्म के खिलाफ भी एक अल्पसंख्यक ही लड़ा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपने माननीय सदस्य से पूछ तो लिया लेकिन हम लोगों ने जो बात उठायी है उनसे यह तो पूछें कि क्या उनको यह निर्देश दिये गये हैं कि आप सदन की कार्यवाही में भाग न लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सबने इसका और संविधान के अनुच्छेदों का उद्धरण देकर वाक् स्वातंत्र्य पर प्रतिबन्ध की बात कही है। मैं कल इस पर विधिवत अपना उत्तर दूंगा। लेकिन एक चीज में आपको अवगत करा दूं कि अगर आप नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें नियम-63 भी है और उसमें कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है।

*श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने [× × ×] शब्द का प्रयोग किया है वह असंसदीय है उसे निकलवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उसे नाजायज कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं देख लूंगा और इसको निकलवा दूंगा।

**तारांकित प्रश्न संख्या दो को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 11 जनवरी, को एक प्रश्न आया था जो हमारे पास अस्थायी सूची थी उसमें क्रमांक-2 पर यह प्रश्न निर्धारित था। लेकिन जो आज की कार्य सूची थी उसमें प्रश्न संख्या-2 में दिया है कि दिनांक 18-02-05 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के द्वारा उत्तरित। मान्यवर, इसमें यह कहकर इस प्रश्न को नहीं लगाया गया है।

वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना किसानों की घटतौली को रोकने के लिए शासन ने कोई नीति बनायी है यदि 'हां' तो क्या और यदि 'नहीं' तो क्यों ? लेकिन एक पुराने प्रश्न का हवाला देकर निरस्त कर दिया। मैं पुराना प्रश्न पढ़ रहा हूं। क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करोगे कि गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत किया जायेगा एवं घटतौली पर अंकुश लगाने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है, यदि 'हां' तो क्या और यदि 'नहीं' तो क्यों ? पता नहीं मेरे प्रश्न को क्यों निरस्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें, हम इसकी जांच करा लेंगे। अभी यह सदन आगे भी चलेगा, बहुत समय है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, जब भी मुख्य मंत्री जी आते हैं तो उनके पीछे नरेश चन्द्र जी आ जाते हैं। एक मंत्री होकर सदन का वातावरण खराब करते हैं और जैसे ही मुख्य मंत्री जाते हैं वह चले जाते हैं। कहीं मोहम्मद आजम खां जी को तो इस पद से हटाने की मुहिम तो नहीं है। आप इसमें संरक्षण दीजिये और उनको रोकिये कि यह सब काम न करें। मैं नहीं चाहता हूं कि वह हटें। वह शायद मुख्य मंत्री जी को दिखाना चाहते हैं कि इतने काबिल हैं कि सदन को जैसे चाहें चला सकते हैं। आप

---

नोट :-[× × ×] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका संज्ञान लें। एक मंत्री को व्यवस्था का प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है लेकिन उन्होंने प्रश्न किया और करने के बाद जैसे ही मुख्य मंत्री जी उठकर गये वह उनके पीछे बाक आउट कर गये। मैं नहीं चाहता हूं कि उनका उद्देश्य क्या है, क्यों वह अपनी योग्यता दिखाना चाहते हैं और व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं, कहीं वह आजम खां जी को हटाना तो नहीं चाहते हैं।

**क्रिकेटर, सचिन तेन्दुलकर द्वारा दस हजार रन पूरे करने पर नियमावली के नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव लाने की मांग**

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कृपा करके नियम-110 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इसमें हैं कि निम्नलिखित प्रस्ताव,

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं नियम-301 ले लूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि पहले इस पर विचार कर लें। तो मैं यह कह रहा था कि निम्नलिखित प्रस्ताद, यदि अध्यक्ष महोदय अनुज्ञा दे दें, बिना किसी सूचना के सदन में दे सकेंगे-एक संवेदना या बधाई का प्रस्ताव, तो बधाई के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आज टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेन्दुलकर जिसे पूरा विश्व जानता है, ने दस हजार रन पूरे कर लिये हैं। मैं चाहूंगा कि सदन अपने तरफ से, यह ऐतिहासिक क्षण है जब भारत के किसी बल्लेबाज ने विश्व के मानचित्र में दस हजार रन पूरे किये यह पांचवें नम्बर के और भारत के दूसरे नम्बर के बल्लेबाज हैं, मेरा आग्रह है कि अगर कोई न चाहें तो मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव करता हूं, अगर उचित समझें तो यह बधाई संदेश उनको देना चाहिए, क्योंकि पांच दिवसीय टेस्ट क्रिकेट में और वन डे दोनों में दस हजार रन पूरे किये हैं, यह बधाई संदेश भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद कुमार जी आपने 110 के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया है तो 110 के बारे में विभिन्न अवसरों पर जो अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिये गये हैं उसमें 26 अगस्त, 1965 को श्री कुंवरपाल सिंह जी ने भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं द्वारा दो चौकियों पर कब्जा करने के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा था उस पर यह व्यवस्था दी गयी थी कि ऐसे जितने भी प्रस्ताव होते हैं इसे आदरणीय नेता सदन और सब नेता मिलकर दे दें, और तब वे सदन में आने चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से आप बात कर लें उसके बाद यहां पर लायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, फिर भी मैं आपके माध्यम से बधाई प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं इसको अस्वीकार तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नियम-110 के अन्तर्गत इस तरह के जो बधाई प्रस्ताव आते हैं वह नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की सहमति से ही आते हैं, इसलिये आप इसमें उनकी सहमति करा दीजिये, तो यह आ जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

ठीक है, मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में बात कर लूंगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, क्या यह प्रेस में भी जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

इसे मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, इसलिये प्रेस में जाएगा ही नहीं।

## नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी :-

पहली सूचना, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की लखनऊ शहर पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत बालागंज के निकट बंसी बिहार कालोनी में पक्की सड़कें, नाली बनवाने एवं पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, श्री मतेश चन्द्र सोनकर की कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत अफजलपुर तातों में एक रामगंगा कैनाल पम्प बनवाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति देने के सम्बन्ध में है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं।

(डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा सदन में अपनी सूचना पढ़ी गयी।)

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री की घोषणानुरूप प्रस्तावित पांच ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की जनपद बाराबंकी की ग्राम सभा पाटमऊ में गलत तरीके से की गई चकबन्दी प्रक्रिया को रोकने/निरस्त कर पुनः चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठीं सूचना, श्री राम कृपाल जी की है। वह सदन में उपस्थित हैं ?

(श्री राम कृपाल जी का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

सातवीं सूचना, श्री आलोक कुमार शाक्य की है। यह उपस्थित हैं कि नहीं है ?

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आठवीं सूचना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की, आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक तहबरपुर के तोर्फापुर सब स्टेशन में लगे ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की जनपद वाराणसी कैण्ट के कतिपय गांवों में वर्षा जल निकासी हेतु पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से बनाये जा रहे अधूरे नाले को पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना, श्री छोटे लाल वर्मा की जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों को पुनर्निर्मित कराने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना, श्री धर्मपाल सिंह की जनपद लखनऊ के ग्राम खदही की कुमारी अर्चना की पुश्तैनी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना, श्री अशोक सिंह चौहान की, जनपद मैनपुरी नगर के अध्यापक कालोनी देवीरोड निवासी श्री गीतम सिंह के मकान को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना, श्री हरि प्रताप सिंह की, जनपद प्रतापगढ़ नगर पालिका द्वारा पेय जलापूर्ति हेतु 03 वर्षों से ठप्प पड़े ट्यूबवेल्स की रिबोरिंग कराने के सम्बन्ध में है।

चूंकि दो सदस्य श्री राम कृपाल और श्री आलोक कुमार शाक्य जी मौजूद नहीं हैं, इसलिये उनके स्थान पर डा0 पी0 के0 राय और श्री राम करन आर्य की सूचनाओं को ले लिया गया है।

जिन सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई है, उनके नाम हैं -श्री दया शंकर वर्मा, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह और श्री कौशल किशोर।

(उपस्थित सभी सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

**लखनऊ शहर पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत बालागंज के निकट बंसी बिहार कालोनी में पक्की सड़कें, नाली बनवाने एवं पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[ लखनऊ शहर पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत बालागंज के निकट बंसी बिहार कालोनी, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की आजादनगर योजना के ए व बी ब्लाक से घिरी है, स्थित है। इस कालोनी के निवासी विगत 10 वर्षों से हाउस-टैक्स जमा कर रहे हैं, परन्तु इस कालोनी में कोई मूलभूत सुविधा जैसे-पानी, सड़क, नाली आदि उपलब्ध नहीं है। पानी की निकासी के अभाव में इस क्षेत्र की सड़कों तथा गड्ढ़ों में गन्दा पानी भरा रहता है। वर्षा ऋतु में तो यहां पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। नालियों का पानी घर के बाहर भरे होने के कारण मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप रहता है। इससे क्षेत्र में कभी भी महामारी फैलने की आशंका बनी हुयी है।

इस कालोनी के आस-पास पीने के पानी की भी सप्लाई है, परन्तु इस कालोनी को इस सुविधा से भी वंचित रखा गया है। कच्ची सड़कों पर न तो खड़न्जा है और न ही उन्हें पक्का निर्मित कराया गया है। अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करा कर

---

नोटः- [ यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी के इस कालोनी की सड़के पक्की बनवाने, नाली बनवाने व इससे पूर्व पीने के पानी की आपूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। मैं यह भी मांग करता हूं कि मच्छरों का प्रकोप समाप्त करने हेतु इस क्षेत्र में नियमित अन्तराल पर फॉगिंग करायी जाये। ]

**कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत अफजलपुर में राम गंगा कैनाल पम्प बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मतेश चन्द्र सोनकर-

[ मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत रामगंगा नहर में लगभग 15 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है एवं उक्त नहर में पानी आना भविष्य में भी सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। नहर में पानी नहीं होने के कारण उचित प्रकार से कृषि भी नहीं हो पा रही है एवं क्षेत्रीय किसानों/जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि हेतु कैनाल पम्प लगवाये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही है।

अतः मा0 महोदय से सादर अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत अफजलपुर सातों में एक रामगंगा कैलान पम्प बनवाने के आदेश देने की कृपा करें। ]

**जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[ महोदय, बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से कालपी विधान सभा क्षेत्र में विगत 18 महीने में कोई भी नवीन विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए है किन्तु कालपी क्षेत्र के मेरे प्रस्तावों पर जनहित के कोई भी कार्य स्वीकृत न किये जाने से क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। विकास कार्यों के प्रस्ताव आयुक्त स्तर से शासन को पहुंच चुके हैं। यह परम्परा रही है कि बुन्देलखण्ड के सभी विधान सभा क्षेत्रों के विकास हेतु समानता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। अब तक स्वीकृति न मिलने से क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर वित्तीय स्वीकृति हेतु सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री की घोषणानुरूप प्रस्तावित 5 ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

[ महोदय, प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 5-5 ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा के माध्यम से निर्देश दिये गये थे जिस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। मेरी विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित 5 ग्रामों को किसी प्रकार की कोई सामग्री निर्गत नहीं की गयी है। विधान सभा क्षेत्र के लगभग 67 ग्राम ऐसे हैं जहां पर विद्युत पोल वर्षों से खड़े हैं परन्तु आज तक न तो तार खींचा जा सका है और न ही विद्युत आपूर्ति ही की जा रही है। विधान सभा क्षेत्र स्थित विद्युत

उप केन्द्र पट्टी, आसपुर देवसरा, खण्डौली, मंगरौरा के रख-रखाव की स्थिति भी बहुत खराब है कई बार विभाग के संज्ञान में लाये जाने के पश्चात भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो सकी है जिससे गम्भीर जन असुविधा है और जनता में आक्रोश है। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाएं चल रही हैं। सायंकाल 6-30 बजे से निर्धारित अवधि की विद्युत आपूर्ति बच्चों के भविष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा लाखों बच्चों का भविष्य अधर में रहेगा। पट्टी विधान सभा क्षेत्र में सायंकाल 6-30 बजे से विद्युत आपुर्ति किये जाने हेतु भी शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**जनपद बाराबंकी की ग्राम सभा पाटमऊ में गलत तरीके से की गई चकबन्दी प्रक्रिया को रोकने/निरस्त कर पुनः चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

[ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ग्राम सभा पाटमऊ, परगना-प्रतापगंज तहसील-नवाबगंज जनपद बाराबंकी में गलत तरीके से नियम विरुद्ध की गयी चकबन्दी की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

ग्राम सभा पाटमऊ परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी के सर्वे नाप में असरदारी व दबंगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से सर्वे गलत किया गया। आकार पत्र दो में सर्वे नाप के आधार पर जमाबन्दी घटा दी गयी और सिंचित व अच्छी जमीन की मालियत कम लगाकर असिंचित व खराब जमीन की मालियत अधिक लगाकर गरीब व छोटे काश्तकारों को नियम के विपरीत कार्य करके नुकसान पहुंचाया गया। आकार पत्र 23 चकबन्दी में अच्छी भूमि बड़े काश्तकारों को कम मालियत दिखा कर दी गयी, और खराब भूमि की मालियत अधिक दिखाकर उक्त आकार पत्र में आवंटित की गयी, जिसके कारण बड़े काश्तकारों की भूमि का रकबा भी बढ़ा और छोटे काश्तकार कम भूमि पर रह गये। चकबन्दी प्रक्रिया में उड़ान के चक बनाये गये जिससे छोटे काश्तकारों को अधिक हानि हुई, दबंग व पैसे वाले काश्तकार लाभान्वित हुए। चकबन्दी प्रक्रिया में नियमानुसार घूर, गड्ढे, नाली, रास्ता, चकरोड, चरागाह आदि नहीं छोड़े गये। किसानों द्वारा शिकायत करने पर आयुक्त व उप आयुक्त चकबन्दी द्वारा ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया रोकने के स्पष्ट आदेश दिये गये परन्तु चकबन्दी अधिकारियों व जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त चकबन्दी प्रक्रिया को रोकने/निरस्त कर पुनः चकबन्दी कराने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं। ]

**जनपद आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक तहबरपुर के सोफीपुर सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[ महोदय, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत आने वाले ब्लाक तहबरपुर में सोफीपुर सब-स्टेशन में लगे ट्रन्सफार्मर की

---

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है जिसके कारण किसानों को समुचित बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही और वह लोग अपनी खेती में पर्याप्त सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। उक्त ट्रान्सफार्मर से कई गांवों में बिजली जाती है और उस पर विद्युत भार अधिक हो रहा है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले ब्लाक तहबरपुर में सोफीपुर सब-स्टेशन में लगे ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु प्रबल मांग करता हूं। ]

**वाराणसी कैण्ट के कतिपय ग्रामों में वर्षा जल निकासी हेतु पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से बनाये जा रहे अधूरे नाले को पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

[ महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र-वाराणसी कैण्ट के ग्राम-मदुआडीह, लहरतारा, कबीरमठ व रेलवे क्रांसिग 3-4 के क्षेत्र में बरसात में जल-भराव की बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे इन गांवों से आना-जाना बन्द हो जाता है, दो-दो दर्जन पम्प लगाकर पानी निकाला जाता है फिर भी अनेकों घर-मकान गिर जाते हैं। इसी क्षेत्र में संत शिरोमणि कबीर साहब की जन्म-स्थली और संतशिरोमणि रविदास जी का उपदेश स्थल है। इस क्षेत्र की महत्ता और जल-भराव की गम्भीर समस्या के निदान हेतु पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से एक नाले की स्वीकृति 1.63 लाख की वर्ष 2001 में की गयी जिसकी अवमुक्त की गयीं एक किस्त 85 लाख की धनराशि से आधा कार्य कराया जा चुका है। शेष धनराशि दिये जाने हेतु आयुक्त, वाराणसी मण्डल ने पत्रांक : 1974/30-वी0आर0/पू0वि0नि0 2004-2005, दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 उ0प्र0 शासन को भेजा गया परन्तु अब तक धनराशि नहीं भेजी गयी है। नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने से सम्पर्क मार्ग आदि सब काटे जा चुके हैं, जनता की परेशानी यह है कि कार्य पूरा न होने पर बरसात में स्थिति पहले से और अधिक भयावह होगी। कार्य पूर्ण न कराये जाने से जनता में भयंकर रोष है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उक्त अधूरे नाले को पूर्ण कराये जाने हेतु शेष धनराशि तत्काल भिजवाने का कष्ट करें। ]

**जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों को पुनर्निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री छोटे लाल वर्मा-

[ महोदय, जनपद आगरा की विधान सभा 337 फतेहाबाद में आवागमन के लिए जो सड़कें लगभग दस वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थीं उन पर मात्र मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है उन मार्गों से काफी मात्रा में पत्थर उखड़ कर गड्ढे हो गये हैं (1) बडोबड़ा कला से चपरौली (2) समसाबाद राजाखेड़ा मार्ग से कांकरपुरा करीमपुरा मोहनपुर (3) करौधना से टोडड़ा (4) इरादतनगर से समसाबाद मार्ग से गढ़ी खाडरा थाना शंकर द्वारी मार्ग तक (5) नीवरी से पड़ी (6) वाजीदपुर पेंसी खेड़ा मार्ग से

---

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुरा दर्जी (7) ढेरई से पीरपुर (8) फतेहाबाद रिहवली से भगेला खुर्द (9) फतेहाबाद ख्वारा मार्ग से रूपपुर (10) फतेहाबाद ख्वारा मार्ग से चार विस्वा (11) फतेहाबाद रिहवली मार्ग से जहाजपुर (12) समसाबाद फतेहाबाद से गढ़ी तुर्की (13) कुर्रा चिर्न्तरपुर मार्ग से सेवला गदोली (14) फतेहाबाद रिहावली से कुतुबपुर गूजर (15) समसाबाद फतेहाबाद से नगला जामुर्तीधान (16) थिनिड़ी से नगला मुक्ता (17) आगरा फतेहाबाद मार्ग टीकतपुरा (18) मझारा मार्ग से लोकरा (19) निवोहरा साविद मार्ग से घर इससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशान का सामना बार-बार वाहन खराब व पन्चर होने से हो रहा है।

अतः उपरोक्त समस्या को जनहित में निराकरण कराने का कष्ट करें।]

**जनपद लखनऊ के ग्राम रुदही की कुमारी अर्चना की पुस्तैनी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री धर्मपाल सिंह-

[ कु0 अर्चना पुत्री सुन्दर लाल सक्सेना निवासी ग्राम रुदही, तहसील बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ की पुस्तैनी जमीन पर ग्राम प्रधान श्री विदेश पाल सिंह ने अपनी दबंगई के बल पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। यह पूरा परिवार परेशान है। इसकी शिकायत प्रशासनिक स्तर पर भी की गयी, तदोपरान्त 14 जनवरी, 2005 को माननीय राष्ट्रपति महोदय रुदही ग्राम में आये थे। इस लड़की ने उनसे भी फरियाद की थी।

यह प्रधान श्री विदेश पाल सिंह इसी तरह से गांव के अन्य गरीबों जैसे श्री नारायण लोधी, श्री प्रभु यादव, गोविन्द सिंह की जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। प्रधान जी के विरुद्ध नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिकायत कु0 अर्चना कर चुकी हैं।

परन्तु खेद का विषय है कि अभी प्रधान के विरुद्ध जमीन दिलवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस परिवार की फरियाद की सुनवाई नहीं की जा रही है। अब यह परिवार आत्महत्या पर तुला है।

यह लोक महत्व का विषय है आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

**मैनपुरी नगर के अध्यापक कालोनी देवी रोड निवासी श्री गीतम सिंह के मकान को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अशोक सिंह चौहान-

[ मान्यवर, मैनपुरी नगर में श्री गीतम सिंह पुत्र श्री राम प्रकाश निवासी अध्यापक कालोनी देवी रोड, मैनपुरी के मकान पर कुख्यात भू-माफिया राजेश उर्फ छुटंकी पुत्र राम सिंह निवासी सोतियाना नगर व थाना कोतवाली मैनपुरी द्वारा 26 जुलाई, 2004 को जबरन कब्जा कर लिया गया। पीड़ित ने थाने में जाकर सूचना दी, लेकिन पीड़ित को कोतवाली मैनपुरी में दिनांक 29-6-04 से 2-7-04 तक थाने में बैठाये रखा गया। पीड़ित ने सिविल जज के यहां वाद दायर किया। मा0 न्यायालय द्वारा

---

नोटः-1 1यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशासन को निर्देश दिया गया कि प्रार्थी को कब्जा दिलवाया जाये। उक्त आदेश दिनांक 19-7-04 को न्यायालय ने दिया। परन्तु अभी तक प्रार्थी को मा0 न्यायालय के आदेश के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिया गया जिसके कारण प्रार्थी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। भू-माफिया अभी तक उसके मकान पर काबिज हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता के कारण गौतम सिंह को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये गौतम सिंह को अविलम्ब कब्जा दिलाये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं। ]

**प्रतापगढ़ नगर पालिका द्वारा पेय जलापूर्ति हेतु तीन वर्षों से ठप पड़े ट्यूबवेल की रीबोरिंग कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री हरि प्रताप सिंह-

[ महोदय, प्रतापगढ़ नगर पालिका की पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से आगामी ग्रीष्म की कटिनाई को देखते हुये लगभग 3 वर्षों से ठप्प पड़े ट्यूबवेल की रिबोरिंग आवश्यक है।

1-म्यूनिसपिल कालोनी

2-चिल्ड्रेन पार्क

3-कम्पर्नीबाग में

उपरोक्त ट्यूबवेल की बोरिंग नहीं हुई तो गर्मी में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जिला योजना में भी प्रस्तावित है। इसे अविलम्ब रिबोर करा दिया जाए जिससे आने वाले समय में गर्मी में पेयजल की समस्या को दूर कर दिया जाए।]

**कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत दुदही से वरवा पट्टी थाने तक सड़क के शेष निर्माण कार्य को पूरा कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

डा0 पी0 के0 राय-

[ मेरे विधान सभा क्षत्र सेवरही तहसील तमकुहीराज जिला कुशीनगर में दुदही से वरवा पट्टी थाने तक पिच मार्ग बनाये जाने की कार्य योजना स्वीकृत हुयी थी। इस सड़क का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु करीब डेढ़ कि0मी0 सड़क अधूरी रह गयी, इसका कार्य पूर्ण नहीं किया गया। यह सड़क अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सड़क से थाने तक जाने एवं बाढ़ बचाव की उपयोगिता है। इसके न बनने से जनता को बहुत असुविधा हो रही है।

ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि तहसील तमकुही राज विकास खण्ड दुदही के इस सड़क के शेष भाग को पूर्ण कराने एवं बीच में धोबीघाट का एप्रोच पिच एवं वोत्वर पिचिंग का कार्य बनाये जाने के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस लोक महत्वपूर्ण प्रश्न पर वक्तव्य की मांग करता हूं। ]

---

नोट:- । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत महुआपार कला एवं गंगापुर में पांच सौ इन्दिरा आवास बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[ महोदय, मेरे विधान सभा नगरपुर बस्ती में महुआपार कला गंगापुर दो गांव सभा घाघरा नदी के पेटी में बसा है। यह दोनों गांव सभाओं में सात हजार की आबादी है। यहां पर एक गांव भी पक्के मकान के नहीं है। सभी छप्पर के घर हैं यहां पर अनुसूचित जाति, भर, निषाद, गरीब मुसलमान, अति गरीब जातियां निवास करती हैं। ये लोग पक्का मकान नहीं बनवा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष आग लगने से सौ-दो सौ घर जलकर राख हो जाते हैं जिससे करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। इनका आवास बन जाने से ये लोग अग्नि काण्ड से बच जायेंगे और सरकारी धन की क्षति नहीं होगी।

अतः मैं इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये 500 (पांच सौ) इन्दिरा आवास बनवाने के लिए सरकार से मांग करता हूं। ]

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के बारे में यह तय हुआ था कि आज वह सूचनाएं नहीं ली जायेंगी, इसलिए वह आज नहीं ली गई है।

## उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 †

*राजस्व मंत्री (श्री आम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-28(2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2005 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 15 मार्च, 2005 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छपा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2005 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 मार्च, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5,6,7 और 8 में कुछ नहीं है। मैं मद संख्या-9 ले रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न तो किसी भी समय आ सकता है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हो गया था कि नियम-56 और नियम-300 की सूचनाएं नहीं ली जायेगी। आपका व्यवस्था का प्रश्न तो आ ही गया है उस पर मैं विधिवत् कल अपनी बात कहूंगा।

## मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 †

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005†

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

नोट :-† दिनांक 30 मार्च, 2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005**

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, आज जो यह संशोधन लेकर हम आये हैं यह पिछली बार एक संशोधन हमने किया था, जो ऐतिहासिक संशोधन था, उ0 प्र0 जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में और इसकी सराहना पूरे प्रदेश में हुई थी। उसके कुछ अंश ऐसे रह गये थे जिनको स्पष्ट करने के लिये सिर्फ इस संशोधन को लाने की आवश्यकता हुई है। मैं इस सदन का आभारी हूं और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस पर अपनी सहमति रखते हुये कोई भी संशोधन या अननुमोदन प्रस्ताव रखने का काम नहीं किया है मैं इसके लिये आभारी हूं। मैं दो बातें बता देना चाहता हूं। यह ऐतिहासिक कार्य हुआ था यू0 पी0 जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में 168 'ए' को समाप्त किये जाने का। टुकड़े में बिकने वाले का पूरे प्रदेश में डेढ़ लाख के आस-पास मुकदमें इससे प्रभावित हो गये थे और अगर कोई पार्ट खरीद ले तो उस अंश का दाखिल खारिज नहीं हो सका और वह गांव सभा में वेस्ट कर जाय। उस प्रतिबन्ध को समाप्त करने को उस समय कहा गया था और एक निर्णय और लिया था कि इसके आधार पर जो ऐसा अंतरण हुआ है, ट्रांजिक्शन हुआ है जिसमें टुकड़े की परिभाषा में वह ट्रांजिक्शन आता है तो उनके लिये भी हमने यह प्राविधान किया था कि उस टुकड़े वाले हिस्से को जो उसके पहले अवैध डिक्लेयर कर दिया जाता था न किया जाय। उसके लिये एक वर्ष की समय-सीमा रख दी है जो 10-5 साल जितने पहले का हो और वह गांव सभा में वेस्ट न कर जाय। कानूनी रूप से कोई व्यवधान न पैदा हो इसलिये संशोधन लेकर आये हैं जहाँ हम यह अधिकार दे रहे हैं एक वर्ष के अन्दर आज की तिथि है इस नोटिफिकेशन के एक साल के अन्दर जिन लोगों को 168 'ए' का मूल संशोधन आने के पहले भी जो ट्रांजिक्शन हो गये हैं उसको नियमित कराना चाहते हैं तो उसका शुल्क तय किया है और वह शुल्क देकर अगर टुकड़े का बैनामा होगा तो नियमित हो जायेगा दाखिल खारिज कर दिया जायेगा और दूसरा एक संशोधन है जो लिपिकीय त्रुटि की वजह से है पुत्री के स्थान विवाहित बहन आ गया था, टेक्निकल शब्द है, उसको ठीक करने का काम किया गया है, मूल रूप में बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन फिर भी आभार व्यक्त करता हूं बिना संशोधन के इसे स्वीकार कर रहे हैं इसमें सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005**

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 धारा 154 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 154 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

(3) उपधारा (1) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि के प्रत्येक संक्रमण के लिये राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो वहां आवेदन पर, जुर्माने के रूप में भूमि के लागत के 25 प्रतिशत के बराबर की धनराशि का यथा विहित रीति से भुगतान करने पर बाद में राज्य सरकार यथा विहित रीति से अपना अनुमोदन दे सकती है। भूमि की लागत वही होगी जैसा कि कलेक्टर द्वारा स्टाम्प शुल्क के लिये अवधारित की जाय।

धारा 171 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 171 में, हिन्दी पाठ में उपधारा (2) में खण्ड (ङ) में शब्द "अविवाहिता पुत्री" के स्थान पर शब्द "अविवाहिता बहन" रख दिये जायेंगे और 23 अगस्त, 2004 को प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।

विशेष उपबन्ध

4-(1)-एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऐसे टुकड़े का कोई संक्रमण, जो धारा 168-क, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2004) के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी, के अधीन शून्य हो गया था और जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गयी थी शून्य होने योग्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी

फीस ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधि मान्य करा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जायेंगे।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2004) की धारा 11 निकाल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लालजी टण्डन, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुखदेव राजभर, श्री राजेश कुमार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक बंसल, श्री प्रदीप जैन ''आदित्य'', श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2005 को दी गई सूचनाओं पर डेढ़ धण्टे की चर्चा। माननीय सदस्य शुरू करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आज यह बड़ा ही लोक महत्व का विषय चर्चा में आया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण जनजीवन को हानि हो रही है। मान्यवर, जब-जब प्रदेश में या प्रदेश के बाहर ड्राप्सी नामक रोग फैलता है, उस समय लोगों को इस बात की सुध आती है कि खाद्य पदार्थ जो हैं, विशेषकर खाद्य तेल जो है, उनके कारण ही ड्राप्सी का रोग फैलता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 फरवरी, को राजाजीपुरम् में हैदर कैनाल के ऊपर बसी हुयी कालोनी में एकाएक कई मरीज ऐसे पाये गये, जिनको बुखार था, जिनके पैर में सूजन थी, उल्टियां हो रही थीं और वह अपार पीड़ा से कराह रहे थे। यह मर्ज कई अन्य लोगों में भी पाया गया और तब यह चिन्ता का विषय हुआ। जब मैं वहां

पर पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि अनेक लोग ऐसे पीड़ित थे। मैंने स्वास्थ्य विभाग को फोन करके बुलाया, जिलाधिकारी को बुलाया, मीडिया के लोग भी पहुंच गये और फिर उन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इनके खून की जांच की गयी और खून की जांच करने के बाद डाक्टरों ने यह निर्णय लिया कि यह ड्राप्सी नामक रोग से पीड़ित हैं। फिर कारणों का पता लगाने के लिये इन लोगों को शक हुआ कि मलिन बस्तियों के लोग हैं और सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सीकाना, बटरयलो, हाइड्रोसायनिक अम्ल जैसे पदार्थों के मिलाने के कारण उसमें जहर बन जाता है और इस कारण ड्राप्सी का रोग लोगों में हो जाता है। मेरी विधान सभा में दो लोगों की मौत हो गयी। इस विषय को नियम-56 के अन्तर्गत मैंने उठाया, इसके पहले कोई भी मंत्री मेरे क्षेत्र में नहीं गया और न कोई बड़ा अधिकारी ही वहां गया, जो वहां जाकर इन गरीब लोगों की, मलिन बस्तियों में रहने वालों की सुध लेता। जिस दिन नियम-56 में इस पर चर्चा मंजूर हुयी, उसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे और उस समय जो दो लोगों की मौत हो चुकी थीं, उनके परिजनों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी गयी। मैंने मांग की थी कि जितने भी सौ-सवा सौ के आसपास ड्राप्सी के मरीज हैं, उनको एक अस्पताल में भर्ती किया जाय और वहां पर उनकी चिकित्सा की जाय। अलग-अलग अस्पतालों में चिकित्सा होने से उचित चिकित्सीय सुविधा प्राप्त नहीं होती। मैं बधाई देना चाहता हूं, राज्य मंत्री, स्वांस्थ्य को, जिन्होंने मेरी इस चिन्ता पर ध्यान दिया और उन्होंने के0जी0एम0यू0 में एक विशेष वार्ड में मरीजों को एकत्र किया और उनकी चिन्ता करने का कार्य किया।

मैंने इस बात की मांग की थी और मेरा यह निश्चित मत है कि ड्राप्सी का रोग केवल सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सीकाना के मिल जाने से नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लखनऊ बहुत बड़ा क्षेत्र है और लोगों को भी ड्राप्सी का रोग होता और लोगों पर भी इसका प्रभाव होता....

(इस समय 1 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए)

एक विशेष क्षेत्र के जो लोग गन्दे नाले के ऊपर रहते हैं, दलित हैं और उनका जीवन स्तर गिरा हुआ है, उन्हीं में यह रोग क्यों फैला ? इसीलिए मैंने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि इस बात की भी चिन्ता की जाए और एक कमेटी बनायी जाए, जिसमें वैज्ञानिक हों और डाक्टर्स हों और वह कमेटी इस बात का पता लगाये कि केवल सरसों के तेल के प्रयोग से ही ड्राप्सी का रोग हुआ है या इसके और भी कुछ कारण हैं। इस चिन्ता को बल तब मिला जब सरकार ने के0जी0एम0यू0 के डाक्टर जी0सी0 अग्रवाल के नेतृत्व में एक कमेटी बनायी। डा0 अग्रवाल ने बताया कि इस तरह का रोग दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया था और वहां पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि गेहूं, आटा, बेसन, तेल और अन्य खाद्य पदार्थ में आर्जीमोन को पीसकर मिला दिया गया था, इस कारण यह रोग हुआ था। डाक्टर अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि द रीजन वाज दैट दि डिजीज विलोंग्स टू सिम्पटोमेटिकली डाइग्नोस्ड क्लास-इट इज क्लीनिकली डाइग्नोस्ड एण्ड डज नाट हैव ए कन्फर्मेटरी टेस्ट अनलाइक द केस आफ टायफायड विच इज कन्फर्मड बाई द बिडाल टेस्ट। उन्होंने यह साफ-साफ कहा कि केवल आर्जीमोन मिले हुए सरसों के तेल से ड्राप्सी हुई है, यह नहीं कहा जा सकता। 08 फरवरी, 2005 को उन्होंने यह बात कही कि ड्राप्सी की डायगनोसिस का कोई कनफर्मेट्री टेस्ट नहीं है, जैसा कि टाइफाइड बुखार के लिए विडाल टेस्ट है। इस रोग को केवल लक्षण के आधार पर ही बताया जा सकता है। प्रो0 सी0जी0 अग्रवाल के ही मुताबिक ड्राप्सी रोग दूषित खाना, दूषित पानी के सेवन से भी

हो सकता है। मैंने भी कहा था कि केवल सरसों के तेल से यह नहीं हो सकता है, इसलिए इन कारणों का पता लगाया जाए।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूं, कल मैंने एक प्रश्न लगाया था और पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कितने खाद्य निरीक्षक नियुक्त हैं और केवल मध्य विधान सभा क्षेत्र में कितने खाद्य निरीक्षक नियुक्त हैं और इन खाद्य निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2003-2004 एवं जनवरी, 2005 से 09 फरवरी, 2005 तक खाद्य पदार्थों के कितने नमूने भरे गये ? उत्तर में कहा गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन एक मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा 07 खाद्य निरीक्षक एवं नगर निगम, लखनऊ में कुल 10 खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं। नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ द्वारा खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में नगर निगम के 02 खाद्य निरीक्षक तैनात हैं। नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग के अधीन तैनात खाद्य निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2003 में कुल 270 नमूनें, वर्ष 2004 में कुल 339 नमूनें तथा जनवरी, 2005 से 09 फरवरी, 2005 तक कुल 18 नमूने भरे गये हैं। मान्यवर, मुझे यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत नियन्त्रण खाद्य निरीक्षकों पर स्वास्थ्य विभाग का होता है और वह काम करते हैं नगर निगम में, इसलिए खाद्य विभाग का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और नगर निगम के अन्तर्गत ही स्वास्थ्य निरीक्षकों को रखना चाहिए ताकि अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके खाद्य पदार्थों के सैम्पुल समय-समय पर ले सकें।

मान्यवर, जो सैम्पलिंग लेने वाले लोग हैं उनकी योग्यता का मानक तय होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सैनेटरी इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर को भेज दिया। लखनऊ के अन्दर सैनेटरी इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर सैम्पिलिंग कर रहे हैं। मैं सदन में यह बात नहीं कहना चाहता, वह व्यापारियों से प्रभावित हो जाते हैं और ठीक से कार्य नहीं करते। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा निश्चित मत है कि जो फुटकर व्यापारी हैं, वे पकड़े जाते हैं तथा दण्डित हो जाते हैं लेकिन सरसों के तेल के फुटकर व्यापारी द्वारा तेल नहीं बनाया जाता हैं। जांच का केन्द्र व्यापारिक स्थल न हो करके निर्माण स्थल होना चाहिए, जहां पर तेल बनता है। ऐसे लोगों की गर्दन मोटी हो गयी है। साफ तौर पर कहना चाहता हूं, मैं व्यापारियों का विरोधी नहीं हूं लेकिन जब ज्यादा लाभ लेने की लालच में मिलावट करते हैं तो वह अपराधी बन जाते हैं और उनका कृत्य निश्चित रूप से दण्डनीय हो जाता है। इसलिए मैंने सुझाव रखा है कि जांच का केन्द्र व्यापारिक स्थल न हो करके निर्माण स्थल होना चाहिए। मैं चर्चा में यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे संज्ञान में यह बात आयी हैं कि चावल की भूसी से तेल बना करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भेजा जाता है। सरसों का तेल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक खाया जाता है। चावल की भूसी से बना तेल टैंकरों में भर करके जनपदों में आता है और आ करके इसी तरह के मिलावट करके आपराधिक कार्य में लगे हुये व्यापारी उसे डिब्बों में भर करके दूसरे ब्राण्ड का रैपर लगा करके अधिक लाभ कमाने के लिए करते हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं तथा मेरी मांग है कि हर जनपद में जहां से यह टैंकर प्रवेश करते हैं और उन टैंकरों में चावल की भूसी से बना हुआ खाद्य तेल आता है, वहीं चेकिंग होनी चाहिए व वहीं पर सैम्पिलिंग करके कार्यवाही करनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी मांग की थी और आज उस मांग में थोड़ा संशोधन करके अपनी

मांग रखना चाहता हूं। उत्पादक, वैज्ञानिक, चिकित्सक और कृषि वैज्ञानिक इन लोगों की एक समिति बनायी जाये और ऐसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करायी जाये ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है, इसको कैसे रोका जाये ? क्योंकि यह जन-जीवन से जुड़ा हुआ है और मिलावट के कारण अनेक लोग अकारण काल के गाल में समा जाते हैं। इसलिए उत्पादक, वैज्ञानिक, चिकित्सक और कृषि वैज्ञानिक इन सारे लोगों को इस समिति में रखने की बात कही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अखबारों में पढ़ा है, हालांकि सदन में अखबार का संज्ञान हम सभी लोग नहीं लेते हैं लेकिन वह सूचना का माध्यम बनता ही है, जो सील्ड पाऊच है उन्हें भी उनकी चेकिंग हुई है। उसकी चेकिंग के बाद राजकीय वन विश्लेषक संस्थान में उनका टेस्ट किया गया है तो उनकी जो रिपोर्ट आयी है उसमें भी बटर यलो, आर्जीमोन माक्सिकाना, हाईड्रोसायनिक अम्ल, साबुन के तत्व व आयोडीन जैसे शरीर को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ पाये गये हैं। आज समस्या हो गयी है कि गरीब आदमी सरसों का तेल एक किलो, दो किलो इस्तेमाल करता है जो इगमार्क लगे हुये ब्रान्डेड तेल हैं उनमें भी मिलावट पायी गयी है। लखनऊ में सैंपिल भरने के लिये 7 खाद्य निरीक्षक हैं और नगर निगम के अन्तर्गत केवल 2 हैं तो वह कहां-कहां का नमूना लेंगे और कैसे कार्य कर सकेंगे। इसलिये मेरी मांग है कि खाद्य निरीक्षकों की संख्या बढ़ायें। मेरी यह भी मांग है कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिये। मिलावट का कानून बहुत लम्बा है और पिछले 5 सालों में एक भी मिलावटखोर को आज तक सजा नहीं मिल पायी है। खाद्य अपमिश्रण के कानून में आजीवन कारावास का प्राविधान है लेकिन उसकी प्रक्रिया ठीक नहीं है। जब जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें एफ0 आई0 आर0 लिखने का प्राविजन नहीं है कम्पलीट फाइल होती है फिर उसमें केवल सम्मन जाता है। सम्मन की तामीली नहीं हो पाती है जिसमें वर्षों लग जाते हैं। हमारे मीडिया के भाईयों ने सही लिखा है कि 5 साल में एक भी मुकदमा तय नहीं हो पाया है। जब हम इलेक्ट्रानिक मीडिया में देखते हैं तो पता चलता है कि परवल, भिंडी, अंगूर में भी मिलावट हो रही है। मिलावटी मक्खन हम खा रहे हैं जिससे हम लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।

मान्यवर, मिनरल वाटर जो बाजार में बिक रहा है उसके पाउचों में कीड़े निकलते हैं। हम शुद्ध पानी के नाम पर अशुद्ध पानी पी रहे हैं। प्रदेश के नागरिक क्या खायें, क्या पीये इसका प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया है। हम सबको आज उसकी चिन्ता करनी चाहिये जब हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम यहां पर कैसे विचार कर पायेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे लखनऊ में 1692 तेल के वैध विक्रेता हैं। नगर निगम इनको लाइसेंस ईशू करता है लेकिन इनके अतिरिक्त तमाम अवैध विक्रेता हैं तो तेल की बिक्री कर रहे हैं। इन पर किस तरह का अंकुश लगाया जाए उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, बड़े जोर-शोर से चर्चा हुई और अखबारों में भी छपा लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केवल आर्जिमोन मैक्सिकाना नामक पौधा जिसमें आर्जिमोन तत्व पाया जाता है उससे ही यह ड्राप्सी रोग नहीं फैलता है बल्कि मेरा मत है कि इससे जयादा खतरनाक बटर यलो है। बटर यलो स्वास्थ्य के लिये ज्यादा खतरनाक है। अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट फ्रांस ने परीक्षण द्वारा यह सिद्ध किया है कि इसके सेवन से लीवर का कैंसर होता है इसको कैंसर कारक तत्वों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यह इतना गम्भीर विषय है सरकारें इसकी चिन्ता नहीं कर्ती रही हैं और खाद्य तेलों में मिलावट हो रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्व में ड्राप्सी का रोग वर्ष

1998 में फैला था और उसके बाद फिर यह रोग फैला है। बार-बार इस तरह का रोग फैल रहा है मनुष्य क्या खाए क्या पिए। कानून में यह प्राविधान है कि मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाय लेकिन मैं 40 साल से वकालत कर रहा हूं मेरे ध्यान में एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ जिसमें मिलावट करने वालों को आर्जीवन कारावास की सजा मिली हो। यह केवल कानून की किताब में है। कानून के पालन में भी सख्ती होनी चाहिये जो पैरवी करने वाले लोग हैं सरकार की पैरवी करने वाले लोग हैं तो इसमें सरकार की ओर से ठीक से पैरवी नहीं होती है। गवाही पेश नहीं होती है जिसके कारण मिलावट करने वाले जो अपराधी हैं वह सीखचों से छूट जाते हैं और फिर मिलावट का काम करने लगते हैं। इसमें पैरवी करने की आवश्यकता है। ऐसे वकील जो सरकार की ओर से इस तरह के मुकदमों की पैरवी करते हैं उनको सरकार की ओर से दिशा निर्देश भी देने की आवश्कयता है मैं बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मेरे क्षेत्र में प्रारम्भ में दो बच्चों की मौत हुई थी जिनमें सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपये परिवार वालों को दिये गये थे लेकिन बाद में इलाज में लापरवाही के कारण दो लोग और मर गये के0 जी0 एम0 यू0 में वह भर्ती थे लेकिन इलाज के लिये सरकार की ओर से पैसा नहीं मिला जिस कारण उनकी मृत्यु हो गयी उनके परिवार वालों को आज तक सरकार की ओर से कोई धनराशि नहीं मिली है। यह सरकार कितनी संवेदनशील है या कितनी संवेदनहीन है। यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। यह इस घटना से ही सिद्ध हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

कहीं पर एक लाख रुपये कहीं पर दो लाख रुपये कहीं पर पांच लाख रुपये और कहीं पर जो दीनहीन हैं, निर्धन हैं, दलित हैं उनके परिवार वालों को एक पैसा नहीं दिया गया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जिन मृतक के परिवारों को आज तक पैसा नहीं मिला है उनको पांच-पांच लाख रुपये दिये जाएं और जिनको पचास-पचास हजार रुपये मिले हैं उनको बढ़ाकर यह राशि पांच लाख रुपये की जाय। मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही करें ताकि भविष्य में कोई काल के गाल में न समाए और लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके।

(श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मिलावट के माध्यम से प्रदेश की जनता को मीठा जहर देकर और मौत की नींद सुलाने वाले सौदागरों के विरुद्ध इस सदन में जो नियम-56 की सूचना थी उस पर चर्चा स्वीकार की गई थी और उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सरसों के तेल की मिलावट का प्रकरण कोई नया नहीं है। 1998 में भी ड्राप्सी का प्रकरण आया था। आज यह प्रकरण मात्र लखनऊ में आया है जबकि उस समय यह प्रकरण उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पर आया था। उस समय भी इसका स्रोत, इसके उत्पादन का मुख्य स्रोत और इस सरसों के तेल की आपूर्ति का स्रोत

उत्तर प्रदेश में था। इससे यह सिद्ध होता है कि जब दिल्ली में भी इसका प्रकरण था तो उसका स्रोत उत्तर प्रदेश में था और आज भी उत्तर प्रदेश में मिलावटी सरसों के तेल की आपूर्ति के कारण यह ड्राप्सी का प्रकरण सामने आया है और इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? इसके लिये जिम्मेदार जैसा कि सूचना के माध्यम से सदन को जानकारी दी कि खाद्य अप मिश्रण अधिनियम 1955 और उसके अधीन बनी हुई नियमावली और उस नियमावली के अन्तर्गत काम करने वाला तंत्र। सदन को उस पर विचार करना होगा। दो विभाग के बीच में नगर विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1955 और उत्तर प्रदेश में उसका अमेन्डमेंट 1976 में। यह स्वास्थ्य विभाग का है। इसकी जो मशीनरी लागू करता है वह है फूड इन्स्पेक्टर। वह है स्वास्थ्य विभाग के और इन्हीं फूड इन्स्पेक्टरों पर जो नियंत्रण रखने का काम करता है नगर स्वास्थ्य अधिकारी और वह है स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन यह सब डैप्यूटेशन पर चाहे वह फूड इन्स्पेक्टर हो चाहे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, इन सबकी तैनाती करने का काम स्वास्थ्य विभाग का है। उनके बारे में कोई रिपोर्ट लेने, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम स्वास्थ्य विभाग करता है और उनसे काम लेने का काम नगर विकास विभाग का है। जब वे नगर विकास विभाग के नियंत्रण में नहीं हैं तो फिर उसके दायित्वों के अनुरूप काम क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो कौन सा उनको प्रशासनिक शास्ति आप दें देंगे। इसके पीछे कुछ और कारण हैं।

खाद्य अप मिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत जांच, जांच का परिणाम और परिणाम पर कार्यवाही करेगी इनफोर्समेंट एजेन्सी। जांच करेगी जन विशलेषक प्रयोगशाला। आपकी यह जन विशलेषक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर है। बनारस, गोरखपुर और मेरठ, आगरा में तीनों जगह विकलांगता की शिकार हैं। अगर मैं कहूं जिस पोलियो के खिलाफ सारा देश और प्रदेश लड़ रहा है यह संस्थाएं प्रारम्भ से अपने जन्म काल से ही पोलियो से ग्रस्त हैं। आगरा की लैब में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। इन लैबों में परीक्षण करने वाला स्टाफ नहीं हैं। वे साप्ताहिक तौर पर आते हैं। सप्ताह मे एक या दो बार। कहीं पर केवल दूध की जांच हो रही है तो कहीं पर किसी और की। कुल मिलाकर जनता की आवश्यकता की जो रोजमर्रा की चीजें दूध, तेल, वनस्पति घी जिनका कंजम्पशन रोज करते हैं अपने दैनिक जीवन में उनके परीक्षण की व्यवस्था सब जगह नहीं है। इनके परीक्षण में जो समय लगता है और जो हमारे लैब की क्षमता है अगर उस पर विचार करें तो लैब में जितनी क्षमता होनी चाहिए इतने बड़े प्रदेश में से जितने नमूने आने चाहिए उसके हिसाब से नहीं हो सकता है। हमको इस पर भी विचार करना चाहिए। जो लैब हैं, उन्हें जितना साधन सम्पन्न होना चाहिए, वैसी नहीं हैं न उनकी उतनी क्षमता है। जनवरी, 2004 से जून, 2004 के मध्य 893 नमूने परीक्षण के लिये आये। 49 नमूनों की परीक्षण प्रक्रिया हुई। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।

मान्यवर, 893 नमूने खाद्य पदार्थों की मिलावट के सामने आए उनका एक माह में परीक्षण होना चाहिए लेकिन उनका परीक्षण नहीं हो सका। हमारी लैबों की क्षमता इतनी नहीं है। तो आप कल्पना करें कि नमूने लेने के बाद भी परीक्षण नहीं हो सका। लैब के संसाधन नहीं हैं। मुनाफा खोर जनता को नुकसान देने वाला धीमा जहर देकर, मौत की नींद सुलाने का काम कर रहे हैं। प्रयोगशालाओं में संसाधन नहीं है। जो जांच करने वाले कैमिकल हैं वह आवश्यकता से कम है। जो प्रदेश में रिक्त पद हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा वरिष्ठ एनेलिस्ट का एक पद स्वीकृत है जो रिक्त है पब्लिक एनेलिस्ट के पांच पद स्वीकृत हैं सभी रिक्त हैं। सहायक एनेलिस्ट के आठ पद स्वीकृत हैं यह

आठों पद रिक्त हैं। कैमिस्ट का एक पद स्वीकृत है वह पद रिक्त है। बायो कैमिस्ट का दो पद स्वीकृत है उसमें एक पद रिक्त है। सहायक राजकीय एनेलिस्ट के तीन पद स्वीकृत हैं और तीनों रिक्त हैं। अनुभाग अधिकारी के तीन पद स्वीकृत हैं भरे हैं। यह रिक्त नहीं है। वरिष्ठ ऐनेलिटकल एसिसटैन्ट (फूड) के 30 पद स्वीकृत हैं इसमें 26 पद भरे हैं चार पद रिक्त हैं। वरिष्ठ ऐनेलिटकल एसिसटैन्ट (औषधि) के चार पद स्वीकृत हैं इसमें से तीन पद भरे हैं। एक पद रिक्त है। कनिष्ठ ऐनेलिटकल एसिसटेंट फूड के 69 पद स्वीकृत हैं इसमें नौ पद भरे गए हैं 60 पद रिक्त हैं। कनिष्ठ ऐनेलिटकन औषधि के पांच पद स्वीकृत हैं इसमें दो पद भरे गए हैं तीन पद रिक्त हैं। कनिष्ठ ऐनेलिटकल एसिसटैंट पैप्टीसाइड के तीन पद स्वीकृत हैं इसमें एक पद भरा गया है दो पद रिक्त हैं। कुल स्वीकृत पद 134 पद हैं इसमें 46 पद भरे गए हैं जो रिक्त पद हैं वह 88 हैं। आप बताइये फिर यह लैब कैसे परीक्षण करेंगी ? सहायक ऐनेलिस्ट, बायोकैमिस्ट, अनुभाग अधिकारी आदि के पद रिक्त हैं तो तकनीकी आधार पर वह न्यायालय से बच जाएंगे। आप बजट स्वीकार करते हैं और पद नहीं भरे जा रहे हैं बजट स्वीकृत नहीं है। 750 खाद्य निरीक्षक हैं और 77 जिले हैं। जिलों में कोई काम नहीं हो रहा है। प्रतिदिन 6 परीक्षण परिणाम का औसत होना चाहिए। लेकिन लैब में संसाधन न होने की दशा में यह कैसे परीक्षण होगा जब परीक्षण की प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से न्यायालय में परीक्षण को मान्यता नहीं मिलेगी। पिछले सात वर्षों से यह लैब चीख-चीखकर अपनी ओर ध्यान मांग रही हैं शासन और जनप्रतिनिधियों की सुने कौन ? मैं यह बात भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 23-2-2005 को 23 नमूने कालवाधित हो गए। इनका परीक्षण नहीं हुआ यह जनता के साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। कहीं न कहीं इससे षडयंत्र की बू आती है। जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने सांठ-गांठ कर रखी है इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। 19-5-2003 को पद भरने के आदेश हुए विभागीय प्रोन्नति कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, डी0पी0सी0 नहीं हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मान्यवर, इसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। यह सरकार और प्रतिपक्ष का विषय नहीं है, यह सम्पूर्ण प्रदेश की जनता के हित से जुड़ा हुआ विषय है और इसके लिए हम सब को सोचना पड़ेगा कि अब तक इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं हुई ? मैंने लैब के बारे में एक बात कही थी।

मान्यवर, मेरठ में केवल दूध टेस्टिंग की व्यवस्था है, गोरखपुर में लैब प्रारम्भ नहीं हुआ है, बनारस में दूध टेस्टिंग की व्यवस्था है और आगरा में भी केवल दूध टेस्टिंग की व्यवस्था है, वहां बिजली और पानी भी नहीं है तो क्या नमूने देंगे ? इसके साथ ही इस बार जो नमूने एकत्रित किए गए, मैं बताना चाहता हूं, लखनऊ में 107, बाराबंकी में 11, पीलीभीत में 5, मुरादाबाद में 14, हरदोई में 8, गोण्डा में 17, सीतापुर में 12, अम्बेदकर नगर में 18, सिद्धार्थ नगर में 2, कानपुर नगर में 67, आजमगढ़ में 26,बुलन्दशहर में 9, ज्योतिबा फूले नगर में 13,आगरा में 27, शाहजहांपुर में 9, मिर्जापुर में 2. बस्ती में 2, हमीरपुर में 7, रायबरेली में 24, इलाहाबाद में 15, बिजनौर में 11 और गोरखपुर में 45 नमूने लिए गए, इनमें 11 नमूने अपमिश्रित पाए गये। इसी प्रकार जौनपुर में 3 नमूनों में 1 नमूना अपमिश्रित पाया गया, गौतमबुद्ध नगर में 16 नमूने लिए गए और इसमें 3 नमूने अपमिश्रित पाए गए। बहराइच में 9 नमूने एकत्र किए गए, इसमें से 5 नमूने विश्लेषण किए गये और 1 नमूना अपमिश्रित पाया गया। मान्यवर, इस प्रकार कुल 657 नमूने एकत्रित किए गये, इनमें से कुल 334 नमूनों की जांच हुई, 273 नमूने ठीक पाए गए तथा 63 नमूने अपमिश्रित पाए गये। लेकिन इनके

विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? मान्यवर, त्रिवेणी नगर के तेल विक्रेता के यहां चावल की भूसी से निकाला गया नकली सरसों का तेल बरामद हुआ, यह मीठा जहर है, आखिर ऐसे लोगों को दण्ड मिलेगा या ऐसे लोग प्रक्रिया की कमियों का ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। इसका अनुश्रवण विधान सभा करके अपने कर्तव्य का पालन करे। मिलावट तेल के उपयोग के कारण 50 लोग बीमार हो गए, 8 साल के आकाश नाम के एक बच्चे की मौत हो गयी, उसकी मां, बाप और उसकी बहन को कौन जवाब देगा, समाज को कौन जवाब देगा ? इस मिलावटी तेल के कारण रामकली पत्नी मेड़ी लाल और उसकी एक बेटी प्रिषंका व नेहा बीमार पड़ी है और वह अपनी एक बेटी सुरेखा को खो चुकी है। यह मिलावट करने वाले आम जनता के लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं और स्वयं चैन की नींद सो रहे हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जायें। 1600 टिन आयल एक गोदाम से निकलता है, यह तेल बाहर से आता है, इन्डोनेशिया से आता है, इसको सीधे मनुष्य प्रयोग में नहीं ला सकता है, इसको प्रोसेस करके, इसको रिफाइण्ड करके प्रयोग में लाया जा सकता है और इसको बनाने के बाद चावल की भूसी काजो क्रूड आयल बचता है, उसको प्यूरीफाई करके उसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जा सकता है। अगर यह प्यूरीफाई नहीं होगा तो निर्देश है कि इसको जमीन के नीचे दबा दिया जायेगा, किसी भी कीमत पर इसका उपयोग नहीं होगा। जब उसको रिफाइण्ड नहीं किया गया तो उससे जो क्रूड आयल निकलता है, वह अशुद्धता उस तेल में मौजूद है, उसे खाकर सामान्य जनता का क्या हाल होगा ? आखिर 1600 टिन उसके यहां क्यों थी, इसका जवाब जनता चाहेगी ? मान्यवर, यह क्रूड आयल इन्डोनेशिया से आता है और फिर यह यहां यू0पी0 में आता है। यह नोन फूड ग्रेड और फूड ग्रेड में होता है। रिफाइनरी में इसको साफ करने के लिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि वहां फूड ग्रेड के लिए 100 प्रतिशत एक्साइज और नान फूड ग्रेड के लिए 70 प्रतिशत एक्साइज देनी पड़ती है। मान्यवर, इसकी जांच की जाये कि जो नान फूड ग्रेड आयल होता है और फिर जब यह तेल जनता में खाने के लिए जाता है तो इसकी जांच होती है ? इसी प्रकार से मान्यवर, मसाले वगैरह में भी यही स्थिति है। मान्यवर, सिंघल आयल मिल में जब छापा पड़ा तो वहां के नौकर श्रवण गुप्ता ने दिखाया कि वहां पर कई सिरिंज रखी थी, 500 एम0एल0 की 3 शीशी थीं, उसमें एक भरी थीं तथा दो खाली थीं। जिनमें साइनोमिस्ट लिखा था, खाने योग्य नहीं लिखा था।

मान्यवर, जो सायनोमिस्ट होता है उसमें तीव्र खुशबू होती है अगर वह खुल जाये तो 8-10 मकानों तक उसकी खुशबू जाती है और मान्यवर, 500 एम0एल0 की 3 शीशी जिसमें आयल मस्टर्ड-डी फ्रांस लिखा था, वहां पर श्याम, बावर्ची आदि के लेवल मिले। मान्यवर, इसमें जांच के लिए टास्क फोर्स बनी, उपचार के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गयी, कार्यवाही की मांग भी हुयी शव रखकर जाम लगे लेकिन खाद्य तेलों और जनता का जो सम्बन्ध है उसमें जो कड़वाहट आयी है और इससे जो गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है उसमें हम क्या करेंगे ? इसकी सदन को चिंता करनी चाहिए। मान्यवर, खाद्य निरीक्षकों और नगर स्वास्थ्य अधिकारियों का कैडर अलग-अलग है। दोनों स्वास्थ्य विभाग में आता है इसको एक किया जाय और इसको नगर विकास विभाग के अन्तर्गत लाया जाये। मान्यवर, लैब की व्यवस्था सही से की जाये, खाली पदों को भरा जाये और टेक्निकल अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये, और जो क्षेत्रीय लैब गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा में है इसमें सभी तरह की टेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए। इनमें तकनीकी व्यक्तियों की तैनाती होनी चाहिए

और उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार बार-बार यह कहती है कि हमें पैसे की कमी है तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इच्छाशक्ति हो तो पैसा कम नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि वर्ष 2005-06 में इन चारों लैबों को पूर्णतया सक्षम बनाकर जन स्वास्थ्य के प्रति कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। मैंने कहा था कि जिन खाद्य निरीक्षकों और नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रकरण हुए हैं जहां-जहां पदार्थों में अपमिश्रण पाया गया है, जांच में प्रमाणित हुआ है तो मान्यवर, उसमें जब एफ0आई0आर0 होती है तो उस क्षेत्र के नगर स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के खिलाफ भी एफ0आई0आर0 होनी चाहिए और धारा-120-बी के तहत मुल्जिम बनाना चाहिए। यह मैं मांग करता हूं। मान्यवर, वर्ष 1998 में केन्द्रीय विष औषधि अनुसंधान संस्थान ने सचिव, स्वास्थ्य और महानिरीक्षक चिकित्सा को जानकारी दी, यद्यपि उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। मान्यवर, इस पर भी जब ड्राप्सी का प्रकरण हुआ तो सरकार की बैठकें हुयीं, अधिकारियों की बैठकें हुयीं, कार्यवृत्त भी बना और कार्यवृत्त के हिसाब से अनुश्रवण रिपोर्ट भी आ गयी लेकिन जैसे जब कभी कोई घटना होती है तो तत्काल व्यवस्थाएँ की जाती हैं, मुझे डर है कि कहीं इस बार भी ड्राप्सी प्रकरण के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुयी है उसमें भी तात्कालिक कार्यवाही करके ही कर्तव्य की इतिश्री न समझ ली जाये।

इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इन चारों लैबों को सुदृढ़ किया जाय, सेन्ट्रल लैब को सुदृढ़ किया जाय, उपकरणों आदि की समुचित व्यवस्था की जाय, तकनीकी पदों को विशेष व्यवस्था करके भरने की कोशिश की जाय। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास यह भी सूचना है कि कुल 104 मरीज मेडिकल कालेज में गये हैं और सरकार ने उनका इलाज कराया है। तेलों को क्रय करने के स्रोत सरकार के पास है। किस व्यक्ति ने कहां से क्रय किया और कहां ड्राप्सी की बीमारी हुई थी इसकी भी जानकारी है। सरकार के पास 25 लोगों की सूची है जिनका इलाज चल रहा है, किस इलाके में कितने लोग बीमार हैं इसकी सूची भी सरकार के पास है ? एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, 1998 और फिर 2005 में यह घटना घटी। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके इसके लिए जो दुकानदार हैं, जो मिलावट करने वाले व्यापारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और इसके साथ आवश्यकता पड़े तो फूड निरीक्षक और नगर स्वास्थ्य अधिकारी की भी 120-बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। इन लैबों को सुदृढ़ करने की कार्यवाही करें। जिन लोगों के नाम आये हैं इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी सदन की जानकारी में लाया जाय इन बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री राम स्वरूप सिंह-

जो स्रोत हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये यह भी कहते।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, राम स्वरूप सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है इसके बारे में तो मेरी सूचना में है। हर हालत में स्रोतों पर चोट करनी चाहिए न कि जो गली मोहल्लों में तेल बेचने वालों पर और मैंने इसीलिए सिंघल आयल मिल की चर्चा की। बड़े स्रोत व्यापारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो रोज मजदूरी करके दो चार दस रुपये का तेल खरीदते हैं और उससे साग सब्जी बनाते हैं सबसे ज्यादा चिंता उनकी होनी चाहिए। जो लोग सील बंद डिब्बा लेते हैं और रिफाइन्ड तेल लेते हैं उनका क्या होगा, होगा इन बेचारों का ?

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने कां अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह सचमुच बहुत बड़ी समस्या है। खाद्य तेलों में मिलावट एक व्यवस्था बन गयी है और इससे यह तेल मालिक रईस बनते जा रहे हैं। वह शुद्ध तेल बेचकर नहीं मिलावट का तेल बेचकर रईस बनते जा रहे हैं। जो अपने को समाज का अंग मानते हैं और अपने आप को समाज सेवी कहते हैं वह बहुत बड़ा कलंक लपेटे हुए हैं और जब तक सरकार सख्ती से नहीं निपटेगी तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, यह ड्राप्सी बीमारी लखनऊ तक ही सीमित नहीं है, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह मुंह फैलाये हुए है। आज स्थिति यह है कि सरसों के तेल में आर्जीमोन नाम का दाना होता है उसे तेल में मिलाकर मिलावट कर दिया जाता है और जैसा कि डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी साहब ने कहा कि गरीब मजूदर जो दिन भर मेहनत करके पचास साठ रुपया कमाता है और चार, पांच, दस रुपये का तेल लेकर सब्जी बनाता है वह इसका शिकार होते हैं। जो मध्यम वर्गीय जनता है वह तो सील बन्द डिब्बा लेकर या रिफाइन्ड लेकर खा लेती है इन लोगों के ऊपर मार नहीं पड़ती है बल्कि मार इन गरीब लोगों पर पड़ती है। आज स्थिति यह है कि जो लैब्स बनी हैं यह तीन चार लैब्स हैं इन लैब्स को जिला स्तर पर बनना आवश्यक है। जो मिलें हैं वह धानी से तेल खरीदती हैं उनसे जो तेल भरे टैंकर निकलते हैं उनके मिल आवश्यक होना चाहिए कि हर टैंकर का सैम्पिल वहां से कलेक्ट किया जाना चाहिए, जहां से टैंकर निकलता है। नहीं तो मान्यवर, होता क्या है कि किसी टैंकर में मूंगफली का तेल है उसको क्लर्कली मिस्टेक से सरसों का तेल लिख दिया जाता है। अभी हाल ही में हमारे मथुरा जनपद में राजस्थान से एक टैंकर आया था उसमें मूंगफली का तेल भरा था और उसे क्लर्क की मिस्टेक से सरसों का तेल लिख दिया गया, उसके बाद सेलटैक्स अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने उसका इतना शोषण किया कि उसका टैंकर बन्द कर दिया और फर्जी सैम्पिल भर कर इस तरह से परेशान किया कि अगर वह पैसा देगा तभी उसका टैंकर छोड़ा जायेगा। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनका टैंकर बन्द कर दिया गया और फर्जी सैम्पिल भर कर लैब भेज दिया गया।

मान्यवर, मैं उनको बचाने के लिये पैरवी नहीं कर रहा हूं बल्कि आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाय, और जहां से यह टैंकर तेल भर कर निकले वहां पर इसका सैम्पिल लिया जाए और जहां कहीं भी यह टैंकर पकड़े जायं तो लैब्स से फोन किया जाये कि टैंकर में कौन सा तेल है, इस तरह से अनियमितताओं पर रोक लगेगी। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे मथुरा जनपद में नौ इन्स्पेक्टर हैं और मुश्किल से एक इन्स्पेक्टर वहां पर पोस्टेड है, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे ? वह पूरे जनपद में कैसे काम कर पायेगा ? इसलिये मान्यवर, आवश्यकता के अनुरूप इनकी नियुक्तियां की जायें। मान्यवर, ड्राप्सी की जो बीमारी होती है, उसका बीमार विशेष तरह का होता है और उसको रोकने के लिये विशेष तरह की तरजीह करें, या विशेष तरह की व्यवस्था करें, उसके लिये मेडिकल सुविधा देने की आवश्यकता है वहां पर जहां पर इस तरह के मरीजों को सही सुविधायें नहीं मुहैया कराई जाती है। मान्यवर, ड्राप्सी से निपटने के लिये प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डाक्टरों की एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई जाए और सभी जिला अस्पतालों में इसके लिये विशेष वार्डों का गठन किया जाना चाहिए जो इस बीमारी पर तुरन्त हावी हों और उसे

पनपने न दें क्योंकि ड्राप्सी से मरने वालों में ज्यादातर गरीब मजदूर ही होते हैं, जो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके पास बीमारी के इलाज के लिये पैसा नहीं होता है, वह अपना इलाज कैसे कर सकेगा ? उसे इलाज के लिये दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिये इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि प्रदेश के हर जिला अस्पताल में इस बीमारी से निपटने के लिये समुचित व्यवस्था हो और कुछ विशेष व्यवस्था हो, जिससे ड्राप्सी नामक इस भयंकर बीमारी से हम निजात पा सके और प्रदेश सरकार द्वारा इसमें राहत दी जा सके। इसी के साथ-साथ में बाजपेयी जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि खाली तेल मिल मालिक या बेचने वाला या खरीदने वाला ही इस धन्धे में शामिल नहीं होता है इसमें वह लोग भी शामिल होते हैं जो इन्स्पेक्टर होते हैं जो खाली कागजी रिपोर्ट दे देते हैं। तो इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो और इन इन्स्पेक्टरों के खिलाफ भी दर्ज हो जो घर बैठे इस तरह की रिपोर्ट दे देते हैं तो यह जिम्मेदारी फिक्स हो। मान्यवर, काफी जबर्दस्त तरीके से इन सब काले कारनामों को करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटना होगा तभी हम ड्राप्सी नामक बीमारी से आम जनता को बचा पायेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

* श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठता जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में सम्मिलित होने का मौका दिया। मान्यवर, ड्राप्सी क्यों होती है ? इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तेल में जो आर्जीमोन का तत्व है, अभी तक इस सम्बन्ध में जो चिन्ता आई है उससे स्पष्ट हो गया है कि जो मिलावट होती है उसी से यह बीमारी होती है, पर मेरी नजर में मान्यवर, कुछ हद तक इसके लिये सरकार की व्यवस्था जिम्मेदार है। मान्यवर, उस दिन मैंने कहा था कि जिस दिन इस पर चर्चा के लिये ग्राह्यता पर बोला जा रहा था। मान्यवर, मुख्य रूप से बीमारी होना और उसका इलाज होना एक पक्ष है, मान्यवर, पर यह बीमारी होने ही न पाये, रोकथाम उसका पहला पक्ष हैं मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्पेनर चेते हैं प्रदेश में, राजधानी के केवल 86 स्पेनर्स को अनुमति प्राप्त है जिसके पास लाइसेंस है बाकी चल रहे हैं न उनके पास लाइसेंस हैं और न उन्हें अनुमति प्राप्त है और न उन पर नगर निगम का कोई नियंत्रण है। मान्यवर, जो सफाई इन्स्पेक्टर होते हैं और जिनका काम है कि वह चेक करें, जो उनके पद सृजित हैं अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया है, उसकी मैं विस्तृत व्याख्या करूं तो यह बताना चाहता हूं कि कहीं एक स्थान है तो वह भी पद रिक्त है। तो कार्यालय तो वहां नहीं चल रहा है। मान्यवर, अगर कहीं पांच जन विश्लेषक के पद हैं और पांचों पद रिक्त हैं तो स्थिति क्या होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। मान्यवर, अगर कहीं आठ जन विश्लेषक के पद हों और चार रिक्त हों तो वहां कुछ तो काम चल रहा होगा यह तो माना जा सकता है। आप देखें कि ड्राप्सी जैसी बीमारी में जिसकी कीमत जनसामान्य को चुकानी पड़ रही है, उसकी जिम्मेदारी सीधे-सीधे सरकार की है। सरकार इस जिम्मेदारी से अपने को अलग नहीं कर सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, लखनऊ में जहां इसकी ज्यादा शिकायतें आयी वहां इसकी सीधी जिम्मेदारी नगर निगम की है। मान्यवर, क्योंकि इनके हाथ में उसका सीधा नियंत्रण है और उन लोगों के पास इसके लाइसेंस भी हैं तो उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। मान्यवर, यहां जो ड्राप्सी बीमारी फैली है वह नगर निगम की कार्य प्रणाली के कारण फैली है। मान्यवर, यह आर्जीमोन आता कैसे है, मान्यवर, जब खेतों में यह पैदावार होती है तो उसके साथ यह मिल जाता है और जब तेल बनता है तो उसमें यह मिल जाता है और दूसरे तरीके से तेल बनाते समय यह मिला दिया जाता है और जब पैदावार में ही मिलता है तो उसका प्रतिशत कम होता है और जब अलग से मिलाया जाता है तो उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। मान्यवर, यह तेल सामान्यतः गरीब आदमी ही खाता है जिसकी रोज की आमदनी है और उसी के माध्यम से अपना खाना पका कर भोजन करता है और वही सब्से ज्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहा है। मान्यवर, जनवरी के दिनों के बीच में 49 मामले मिलावट के मिले थे और 893 ऐसे मामले थे जिन पर मिलावट का बाद में प्रभाव पड़ा। मान्यवर, जब वह पीड़ित व्यक्ति इलाज के लिये अस्पताल में आता है तो इसके लिये कोई विशेषज्ञ नहीं है और न ही कोई विशेष अस्पताल ही बने हैं जब कि ये बीमारी निरन्तर होने वाली है। मान्यवर, जैसे क्षय रोग के लिये विशेष अस्पताल है और दूसरी बीमारियों के लिये विशेष अस्पताल है तो कम से कम राजधानी लखनऊ में तो एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए जहां ड्राप्सी बीमारी के इलाज के विशेषज्ञ हो और जिनका इसमें अनुभव हो। मान्यवर, जो लोग मिलावट कर रहे हैं वह कोई साधारण लोग नहीं हैं लागू नहीं है वह एक प्रकार से मौत का जहर बेच रहे हैं और जिन्दगी के नाम पर मौत का सौदा करने वाले लोग हैं।

मान्यवर, छोटे-छोटे दुकानदार जिनकी रोज की बिक्री हजार-दो हजार रुपये की है वह इसको थोक दुकानदारों से लेकर बेचने का काम कर रहे हैं। उनको इसमें गिरफ्त में लिया जाता है जबकि आपको इसकी जड़ में जाना चाहिए जहां इसकी बड़े पैमाने पर पेराई होती है और इसमें आपको सघन अभियान चलाना चाहिए और जो निरन्तर चले। मान्यवर, मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि ड्राप्सी बीमारी के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, इस आर्जीमोन की काट क्या है, दवा क्या है और निदान क्या है इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और सरकार अभी भी चेत जाय कि जितने पद रिक्त हैं उन पर भर्ती की जाये ताकि इस रोग से मुकाबला किया जा सके। लखनऊ में जो ड्राप्सी बीमारी फैली है उसकी सीधे-सीधे जिम्मेदारी यहां के नगर निगम की है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय अधिष्ठता महोदय, खराब तेलों की आपूर्ति जो हो रही है यह मिलावटखोरी, कालाबाजारी यह सब भ्रष्टाचार से बढ़ता है। आज उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प है उसके लिये राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है। बिना चरित्र निर्माण के राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। आज आम मनुष्य के चरित्र में गिरावट आयी है। जो हमारे आदरणीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, आदरणीय प्रमोद कुमार जी और सुरेश श्रीवास्तव जी ने विस्तार से अवगत कराया है कि जो मिलावट हो रही है वह बड़े पैमाने पर हो रही है। छोटे-छोटे लोग उसमें पिसते हैं और जो खाने पीने का पदार्थ हैं उन सबमें मिलावट हो रही है चाहे हल्दी हो, मिर्च हो, धनिया हो, मसाला हो, आटा हो, दालें हों और तरल

पदार्थ में दूध हो, दही हो, घी हो, सरसों का तेल हो, मिठाई हो। आज व्यक्ति-व्यक्ति को जहर देने पर तुला हुआ है, इसका कारण क्या है, इसमें जाना पड़ेगा। इन सब चीजों को देखने के लिये कुछ चीजें देखनी होंगी आज उद्योग धन्धों की कुछ कमी हुई है जिससे बेरोजगारी बढ़ी है और इस मिलावट का एक कारण बेरोजगारी भी है और अधिक धन कमाने की लालसा है। आज लोग हमारे यहां 40.9 प्रतिशत खेती में काम कर रहे हैं, जिसमें मजदूर कृषि श्रमिक 25.1 प्रतिशत, पारिवारिक उद्योग में 5.4 प्रतिशत और अन्य 28.6 प्रतिशत हैं। परिवारिक उद्योगों में कमी आयी है आज हर हाथ को काम नहीं मिल रहा है। हर परिवार परेशानियों का सामना बेरोजगारी के कारण कर रहा है। पूरे सदन को मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर हम अपनी लड़की के लिये लड़का देखने जायं तो हम उसकी कोठी, कार, धन्धा आदि देखते हैं लड़का क्या काम करता है उसका चरित्र कैसा है ? यह नहीं देखते कि यह सब कैसे और कहां से आया है इसका चिन्तन नहीं करते हैं। तो इसका परिणाम यह होगा कि आगे भविष्य में चलकर हमारी लड़की परेशानियों के सिवाय सुख नहीं भोगेगी।

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ 60 लाख 53 हजार है यह वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार है इसमें भ्रष्टाचारियों की जनसंख्या बहुत कम होगी। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी या कालाबाजारी करने वालों की संख्या 100-200-500 होगी। यही लोग सरकार इधर की हो या उधर की हो, उनकी पार्टी के झण्डे अपनी गाड़ियों में लगाकर चलते हैं। इनके झण्डे सरकार जाने पर रातोंरात बदल जाते हैं और जब अधिकारी इनके यहां छापा मारते हैं और इन्हें पकड़ते हैं तो यही राजनीतिक लोग उनको छुड़ाने के लिये पहुंच जाते हैं क्योंकि यह कहीं न कहीं उन्हें ओबलाइज करते हैं, चुनाव में चन्दा देते हैं और वह राजनीतिक संरक्षण पाकर बच जाते हैं। इससे किसान, गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

मान्यवर, आज के समय में मृत्यु दर में जो अन्तर आया है उसे बताना चाहता हूं कि जन्म दर मृत्यु दर, सामान्य वृद्धि दर एव शिशु मृत्यु दर 1991-2001 के अनुसार जो है वह है--जन्म दर प्रति हजार ग्रामीण क्षेत्र में 33.01 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में 26.7 प्रतिशत है योग 32.8 प्रतिशत है। मृत्यु दर प्रति हजार में 11.0 ग्रामीण क्षेत्र में और 7.7 शहरी क्षेत्र में है इसका योग 10.5 है। सामान्य वृद्धि दर प्रति हजार में 22.1 प्रतिशत ग्रामीण में और 19.0 शहर में, 21.6 प्रतिशत योग है और शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 87.0 ग्रामीण क्षेत्र में और 64.0 शहरी क्षेत्र में 84.0 इसका योग है इस आधार पर यह मृत्यु दर बढ़ रही है। आजकल खाद्य पदार्थों में ज्यादा मिलावट से यह मृत्यु दर बढ़ रही है। इसलिये मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आज उत्तम प्रदेश बनाने व राष्ट्र निर्माण के लिये चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी व्यक्ति हो, वह कितना भी बड़ा क्यों न हो उसका फांसी की सजा का प्राविधान होना चाहिए और सजा-ए-मौत चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, और चाहे कितना ही बड़ा ब्लैकमेलर हो या चाहे कितना ही बड़ा उद्योगपति क्यों न हो। ऐसे मामलों में तुरन्त सजा का प्राविधान होना चाहिए। जो प्राविधान हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका का प्राविधान किया था, मंत्री जी बतायें कि सरकार ने कितने लोगों के खिलाफ रासुका में कार्यवाही की है उसके हिसाब से ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा न जाय। आपने मुझे खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, खाद्य पदार्थों में मिलावट के विषय पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं । खाद्य पदार्थों में और खाद्य तेलों में मिलावट एक गम्भीर समस्या हैं आज आम आदमी को जो भी थाली परोसी जा रही है, वह जहरीली हैं चाहे खाद्य तेलों को ले लिया जाय, चाहे दूध के मामले हों। आये दिन समाचार-पत्रों में आता रहता है कि अमुक जगह पर नकली दूध पकड़ा गया, सिन्थेटिक दूध पकड़ा गया। इस प्रकार नौनिहाल बच्चों, छात्रों को जहरीला दूध पिलाया जा रहा है। आप मसालों को ही ले लें, अभी कुछ दिन पूर्व एक गम्भीर प्रकरण आया था, समाचार-पत्रों में, कि लालमिर्च में सूडानडाई मिलावट का मामला पकड़ा गया, जो शरीर में कैन्सर पैदा करता है। खाद्य तेलों में मिलावट कोई नई बात नहीं है। आये दिन समाचार मिलते रहते हैं कि कहां-कहां कितने-कितने केस पकड़े गये। आखिरकार जब विपक्ष, पक्ष और सरकार तथा विभाग सबका एक ही मत है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो तो फिर इस तरह की घटनायें क्यों होती हैं, कैसे इन समस्याओं पर अंकुश लगेगा ? अचानक अखबारों में छपता है कि राजाजीपुरम् में एक बच्चे की ड्राप्सी से मौत हो गयी। आनन-फानन में डाक्टरों की टीम वहां पहुंचती है, अधिकारियों की टीम वहां पहुंचती है और चूहे-बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, छोटे-छोटे दुकानदार पकड़ लिये जाते हैं, सैम्पल की जांच की जाती है, इसमें बहुत से ऐसे दुकानदार थे, जिनके परिवार में ही ड्राप्सी की घटनायें हो गयीं। यदि उन्हें पता ही होता कि यह तेल मिलावटी है तो उसे क्यों खा रहे होते ? इस तरह कुछ दिन के बाद सब कुछ शान्त, तूफान खत्म, सब शान्त हो गया। आखिर कहीं न कहीं कमी है। मैं आपके माध्यम से दो चीजों के ऊपर आपका तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह कि या तो खाद्य पदार्थों, खाद्य तेलों में मिलावट रोकने के लिये पर्याप्त प्रभावी कानूनी प्राविधान नहीं है या कानून का करने वालों की इच्छा नहीं है कि यह रुक सके। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि प्रभावी है, यदि उसमें कोई कमी है तो उसमें संशोधन करके उसे प्रभावी बनाने के लिये सरकार कार्य करे। चूंकि सभी सदस्य एकमत हैं, सभी की एक ही इच्छा है, इसलिये सब सहयोग करेंगे, अतः जो प्रभावी कानून की कमी है, वह दूर हो सकती है। या फिर अपराधी भयमुक्त हो गये हैं, निरंकुश हो गये हैं और उनकी अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ हो गयी है। उन्हें कानून का भय नहीं है और कहीं पर भय है तो फिर जो ला इनफोर्सिंग मशीनरी से सम्बन्धित लोग हैं, वह प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। पिछले वर्ष का प्रकरण है, 49 मिलावट के नमूने पकड़े गये और रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हुई। इस पर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। कमी सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाता है कि खाद्य निरीक्षकों की कमी नहीं रहेगी। मैं नहीं समझता कि खाद्य निरीक्षकों की कमी है। अगर कहीं कोई कमी है भी तो उसका चार्ज दूसरे पर रहता है। इस समय प्रदेश में 750 खाद्य निरीक्षक हैं और उनको कम से कम 60 सैम्पुल लेने होते हैं। इस प्रकार हजारों सैम्पुल होने चाहिए। इसमें तो व्यवस्था की कमी है। जो सैम्पुल पकड़े जाते हैं, उनका विश्लेषण नहीं होता है और जानबूझकर उसमें इतना विलम्ब किया जाता है कि इतना समय बीत जाय कि अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो पाये, इन मामलों में भी यह भी होता है कि रिपोर्ट सही तरीके से प्राप्त नहीं की जाती है, रिपोर्ट भ्रामक आती है कि उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता और कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। तो मान्यवर, फिर ला इन्फोर्सिंग मशीनरी में ही कमी है। जहां तक विश्लेषण के ऊपर जाते हैं और खाद्य निरीक्षकों से बात

की जाती है तो वह कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं प्राप्त होती है। जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, उनके लिये भी पर्याप्त स्टाफ की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता है। एक और बिन्दु भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन अधिकारियों के पास पर्याप्त बजट ही न हो, जिनके कारण जो केस पहले से चल रहे हैं, वह उनकी पैरवी न कर पाते हों या वह पैसा ले करके अपराधियों से सांठ-गांठ करते हों। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कभी न कभी कड़े कदम उठाने ही होंगे। मैं समझता हूं कि सभी जनप्रतिनिधियों की यह इच्छा होगी कि इन समस्याओं का निराकरण हो। अब सरकार को फैसला करना है कि इसकी गम्भीरता है या नहीं और यदि है तो प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत उठाये गये खाद्य तेल के विषय पर स्वीकृत डेढ़ घण्टे की चर्चा में आज माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, बाजपेयी जी, माथुर साहब, प्रमोद कुमार जी, मुंशी लाल गौतम जी और अरुण कुमार मेहरोत्रा जी के काफी लम्बे विचार आये। प्रदेश में खाद्य तेलों और खाद्य सामग्रियों में मिलावट के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई है। हम लोग इस चिन्ता से सहमत हैं कि पूरे प्रदेश के लोगों को विशुद्ध रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से प्रदेश के स्वास्थ्य से जुड़ा अहम मुद्दा है, जो किसी भी जनसामान्य के लिये आवश्यक है कि खाद्य सामग्री शुद्ध रूप में आम लोगों तक पहुंचे। इसमें हम यह निवेदन भी करना चाहेंगे कि सरकार इसके लिये पूरी तरह से सजग है, कटिबद्ध है और संकल्पबद्ध है कि जनसामान्य तक विशुद्ध रूप से खाद्य सामग्री पहुंचे। इसके लिये हमने ठोस कदम उठाये हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने में खाद्य तेलों में मिलावट के कारण लखनऊ में जो आर्जीमोन पाया गया, वह ड्राप्सी का सबसे बड़ा कारण माना गया। यह सही है कि जिस प्रकार से चर्चा की गई, प्रचार किया गया, उस तरह से ड्राप्सी का प्रकोप पूरे प्रदेश में हुआ हो, ऐसा नहीं था। लखनऊ में ड्राप्सी के केस हुए, आर्जीमोन के कारण ड्राप्सी की बीमारी का फैलाव हुआ। मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने ड्राप्स के केसेज के उपचार के लिये निरोधात्मक कार्यवाही की है, ताकि वह आगे न फैले। जिन कारणों से बीमारी फैली थी, उनको देखते हुए प्रभावी कार्यवाही की गई। मैं इसमें कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, इन्हें देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार सजग है और संवेदनशील है। हमारे लखनऊ में पिछले महीने खाद्य तेल में मिलावट से कुल 111 रोगियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 45 रोगियों को इलाज के लिये भर्ती कराया गया, बाकी ऐसे मरीज थे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी थीं आज की तारीख में कोई नया मरीज कई दिनों से नहीं आ रहा है, जब कि 23 मरीज अभी भी उपचार के लिये भर्ती हैं और वे सभी पूर्णतया स्वस्थता की ओर अग्रसर हैं तथा दो-चार दिन में उनकी छुट्टी की स्थिति बन रही है। लखनऊ में 3 मौतें ड्राप्सी के कारण हुई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो चिंता प्रकट की गई कि जो तेल के श्रोत हैं, जहां से उत्पादन होता है और मिलावट खोरी होती है उन श्रोतों पर हमला किया जाये बाद में थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी को देखें। इस सुझाव से सरकार की पूर्णतया सहमति है और सरकार ने इसी रणनीति के तहत कार्य करना शुरू किया था।

(इस समय 2 बजकर 23 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आपको बता देना चाहता हूं कि जो ड्रास्टी के केसेज पाये गये थे उसमें हमने टैंकर से लेकर के फुटकर व्यापारियों तक के अपमिश्रण के नमूनों का परीक्षण कराने का काम किया था। अगर हम आंकड़ों को देखें, जो व्यापारियों से नमूने लिये गये वह 27 थे, फुटकर 128 नमूने लेने का काम किया गया था। मैं बता देना चाहता हूं कि जहां-जहां से नमूने लिये गये हमने एक सप्ताह के अन्दर अपने जन-विश्लेषक प्रयोगशालाओं से परिणाम दिलाने का काम किया और जैसे ही परिणाम आये, जिन लोगों के नमूनों में आर्जीमोन के अपमिश्रण पाये गये उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने का काम किया गया। हमने 53 प्रतिष्ठानों को सीज करने का काम किया है। अपमिश्रित सरसों के तेल के जो नमूने लिये गये थे उनमें 6 में अर्जीमोन पाये गये थे, बाकी अन्य अपमिश्रण के जो नमूने थे वे 69 थे और उनमें विशुद्ध तेल पाये गये थे। सबसे अहम बात यह थी कि हमने त्वरित कार्यवाही करके एफ0आई0आर0 दर्ज कराने और गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। जो तेल के बड़े उत्पादक थे 'सिंघल आयल मिल' त्रिवेणी नगर, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा कर गिरफ्तार किया गया और 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का काम किया। इसी प्रकार से जिनके खिलाफ गम्भीर आरोप थे और जिनके नमूनों में अर्जीमोन के अपमिश्रण की मात्रा काफी पाई गई थी, ऐसे एक थोक व्यापारी को एन0एस0ए0 में जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से सजग व संवेदनशील है और मिलावटखोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा अहम बिन्दु आया था जिसमें बताया गया कि प्रदेश की जो जन विश्लेषक प्रयोगशालायें हैं, उन प्रयोगशालाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास मानव संसाधन, मशीनें और उपकरण उपलब्ध न होने से मिलावट खोरी को बढ़ावा मिल रहा है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में 5 जन विश्लेषक प्रयोगशालायें हैं, उसमें लखनऊ की प्रयोगशाला में वर्ष 2004 के नमूनों के आंकड़े रख करके यह सिद्ध कर दूंगा कि जितने भी नमूने प्राप्त हो रहे हैं उसका परीक्षण, जांच करा करके परिणाम देने का काम कर रहे हैं और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में नमूने ले रहे हैं और उनके परिणाम दे रहे हैं। लखनऊ लैबोरेटरी में वर्ष 2004 में खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण के 18216 नमूनों का परीक्षण कराया गया और परिणाम दिया गया। वाराणसी की लैबोरेटरी में वर्ष 2004 में ही दूध और अन्य खाद्यान्नों के 641 नमूनों का परीक्षण करा करके परिणाम दिया गया। मेरठ के लैबोरेटरी में अकेले दूध के परीक्षण का काम होता है, वहां से 947 नमूनों का परीक्षण करके परिणाम दिये गये आगरे की लैब में 236 नमूनों की परिणाम देने का काम किया गया है। जहां पर लैब्स के सुदृढ़ीकरण का प्रश्न है उसके लिये प्रयास किया जा रहा है। विश्व बैंक से रुपये 66.6 लाख वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त होंगे जिनसे साज सज्जा तथा विद्युतीकरण जैसे कार्यों को पूरा कराया जायेगा। लखनऊ की जल विश्लेषक प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया हैं इसके लिये यू0 वी0 स्पेक्ट्रोमीटर 25 लाख का, एटामिक एक्सजार्प्सन स्पक्ट्रीमीटर 21 लाख रुपये का और अन्य उपकरण 12.50 लाख रुपये के क्रय किये जा रहे हैं। इसी तरह से 4 कम्प्यूटर भी प्राप्त किये जा रहे हैं जिनमें से दो स्थानीय रूप से क्रय किये जायेंगे तथा 2 कम्प्यूटर औषधि विभाग से प्राप्त होंगे। इस समय प्रदेश में 26 हजार सैम्पुल खाद्य अपमिश्रण के और 18 हजार सैम्पुल दवाओं के अपमिश्रण के परिणाम देने का काम प्रदेश में कार्यरत 5 लैबों का है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाराणसी में जनविश्लेषक प्रयोगशाला के आधुनिर्काकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है, भारत सरकार की योजना के तहत एक प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की अन्य जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं की स्थापना के बारे में कार्य किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में इनकी स्थापना होगी। इसके साथ जैसा हमने बजट में प्राविधान किया है पूर्वान्चल और पश्चिमांचल में जो लेबोरेट्रीज हैं उनके सुदृढ़ीकरण का निश्चय किया है। माननीय बाजपेयी को जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं की बड़ी चिन्ता है। पश्चिमांचल में, उनके यहां मेरठ में जो प्रयोगशाला है और पूर्वांचल में जो बनारस की जन विश्लेषक प्रयोगशाला है उसको सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है। इसके लिये बजट में प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, गोरखपुर में प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और आगरा में जन विश्लेषक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जहां तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत पदों को भरे जाने का प्रश्न है हम अवगत कराना चाहेंगे कि कुछ हद तक कमी हो सकती है लेकिन हमने जो खाली पद हैं उनको भरने के लिये आयोग को अधियाचन भेजा है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। हम वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रहे हैं। यह कहना कि पदों की रिक्तियों के चलते विश्लेषण का कार्य सुचारू रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं, यह सरासर अन्याय है। लखनऊ का जन विश्लेषक प्रयोगशाला म वांण्ट केमिस्ट का एक पद है और उसके विरुद्ध एक व्यक्ति कार्यरत है। सहायक जन विश्लेषक के 3 पद हैं और तीनों पर लोग कार्यरत हैं। वरिष्ठ विश्लेषक सहायक के 12 पद हैं और 12 व्यक्ति कार्यरत हैं। कनिष्ठ विश्लेषक सहायक के 34 पद हैं जिसमें से 15 पर लोग कार्यरत हैं। इसी तरह से जूनियर एनालिस्ट के 3 पद हैं और उस पर एक व्यक्ति कार्यरत है। मान्यवर, तो किसी प्रकार की कोई भयावह स्थिति नहीं है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जन विश्लेषक प्रयोगशाला अपने दायित्वों को पूरा करने में अक्षम हैं। हमारी जो अन्य लैब्स हैं उनके बारे में आश्वस्थ करना चाहूंगा कि इन प्रयोगशालाओं में जो भी मामले आयेंगे तात्कालिक रूप से और समय बद्ध तरीके से पूरा करने का काम करेंगे। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार समयबद्ध तरीके से उनके परिणाम आने चाहिए खाद्य पदार्थों के 40 दिन के अन्दर परिणाम आने चाहिए और दवाओं के उनकी एक्सपायरी तिथि से 3 महीने पहले सैम्पलिंग का परीक्षण हो जाना चाहिए। इस पर हम खरे उतरे हैं। प्रयास यह भी है कि जो मामले ड्राप्सी के आये हैं, खाद्य अपमिश्रण के आये हैं हम उनके आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। हम पूरी तरह से कसौटी पर खरे उतरे हैं। सबसे पहले तो कम समय में मैंने रिकार्ड एक हजार सत्रह पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों के और तेल के सैम्पिल कराने का काम किया है और उसमें निर्धारित 40 दिन के समय के विपरीत एक हफ्ते के अन्दर उन सैम्पिल का परीक्षण करके 506 में रिपोर्ट देने का काम किया है। यह इंगित करता है कि हमारी परीक्षण की क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है।

प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में अपमिश्रण के जो मामले आये वह आपके संज्ञान में हैं इस सम्बन्ध में आपने बैठक भी बुलाई थी उसमें बाजपेयी जी भी शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग की हमारी जो मशीनरी है उन्होंने कहीं कोताही नहीं बरती। जितने उपचार के मामले थे उनमें निरोधात्मक कार्यवाही की समय से उपचार की व्यवस्था की। नकली तेल बेचने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने में कहीं कोताई नहीं की गयी बल्कि इसके पहले इतनी कठोर कार्यवाही कभी नहीं हुई। पूरे

प्रदेश में अपमिश्रण के मामले जब लखनऊ में आये तो हमने पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है शासनादेश गया है। सारे सी0 एम0 ओ0, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश गया है। हर जिले में टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया जिसमें जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहेंगे, फूड इंस्पेक्टर रहेंगे एक विशेष अभियान चलाकर खाद्य अपमिश्रण के सम्बन्ध में सैम्पलिंग करके प्रभावी कार्यवाही करें यह निर्णय लिया गया। फूड इंस्पेक्टर जो अपने कार्य में रुचि नहीं लेते हैं जिनके क्षेत्रों में इस तरह के केस आते हैं खाद्य अपमिश्रण के केस पाये जाते हैं उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा का समय समाप्त हो गया है।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मुझे थोड़ा और समय लगेगा।

**प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट विषयक चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

श्रम मंत्री जी समय बढ़ाने का प्रस्ताव लें आयें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

इसे 2.50 बजे तक बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रस्ताव ले आयें।

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-*

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस पर चर्चा का समय 2.50 बजे तक बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि चर्चा का समय 2.50 तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा (क्रमागत)**

श्री जयवीर सिंह-

लखनऊ में दो फूड इंस्पेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें आयी थीं, अपमिश्रण की शिकायतें आयी थीं, ड्राप्सी की शिकायतें आयी थीं इस कारण दो फूड इंस्पेक्टरों को जो अपने दायित्वों के प्रति उदासीन थे उनको निलम्बित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। हम लोग कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं और हमारी सरकार ऐसी है जिसने करके दिखाया है दो फूड इन्स्पेक्टर को हटाकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया था। हम लोगों ने अपने साथ सीधे जिले के प्रशासन को जोड़ते हुए 18 फरवरी, को शासनादेश जारी किया है कि हर जिले में एक टास्क फोर्स बना दी जाय जो खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करे। नगर निगम में सेनेटरी इन्स्पेक्टर के रूप में जो इन्स्पेक्टर तैनात थे जो योग्यता रखते थे लेकिन खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत उनको अधिकार प्राप्त नहीं था ऐसे 64 सेनेटरी इन्स्पेक्टर को चिन्हित कर उनको फूड इन्स्पेक्टर बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है ताकि वे शहरी क्षेत्र में प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकें।

मान्यवर, हमने यह भी काम किया कि जो फूड इन्स्पेक्टर लम्बे समय से एक ही जगह पर तैनात थे, जिन पर उंगलियां उठा करती थीं और जिस प्रकार से यह सदन मे चर्चा में आया है कि हमारे कुछ अधिकारी व्यापारियों से मिलकर अपमिश्रण का कार्य कराते हैं इन शंकाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि 5 साल से अधिक की जिनकी एक जनपद में तैनाती है उनको एक नीति बनाकर वहां से स्थानान्तरित करने का काम किया है। ऐसे 270 फूड इन्स्पेक्टरों को चिन्हित करके अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने का काम किया। हम लोगों ने यह निर्णय लिया और जैसा हाई कोर्ट की नीति है उन्होंने ए0 बी0 सी0 तीन कैटेगिरी में बांट रखा है। हमने उसका अनुसरण करते हुए इस नीति के अन्तर्गत जो ए में तैनात थे उनको बी में और सी में भेजने का काम किया है। सी वाले को ए कैटेगिरी में भेजने का काम किया है ताकि जो सी कैटेगिरी है उन्हें महानगरों और बड़े जिलों में काम करने का मौका मिले और जो बड़े जिले वाले हैं उन्हें छोटे जिलों में रहकर देखें कि किस तरह से वहां पर काम किया जा सकता है और किस तरह से खाद्य अपमिश्रण पर अंकुश लगाया जा सकता हैं हमने सैम्पिल कलेक्शन के लिये भी काम किया है कि प्रत्येक महीने निर्धारित मात्रा में सैम्पिल आने चाहिए और जहां पर यह कारगर नहीं होगा वहां पर उनको दंडित किया जायेगा। प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर फूड इन्स्पेक्टर की तैनाती की है। नगर निगम और नगर निकाय में वार्ड वाइज इन्सपेक्टर की तैनाती की है जो अपने दायित्वं का निर्वहन कर रहे हैं। जहां तक अभी माननीय श्रीवास्तव जी ने एक प्रश्न उठाया था कि जो [illegible] के0 जी0 एम0 यू0 में भर्ती थे उनका इलाज नहीं हो पा रहा था क्योंकि बजट की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि कि हमारी सरकार की ओर से सारे चिकित्सालयों में जैसे रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल में ड्राप्सी के मरीजों के लिये उपचार की व्यवस्था की गई थी बाद में अलग से व्यवस्था करते हुए एक अलग 9 सदस्यों की टीम बना दी थी जो के0 जी0 एम0 यू0 में थी। उत्तर प्रदेश में ड्राप्सी के मरीज या अन्य किसी भी तरह के मरीज के उपचार के लिये कितने ही धन की आवश्यकता हो, हम पीछे नहीं हैं, उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में मरने नहीं दिया जायेगा। हम यह भरोसा दिलाना चाहेंगे कि ड्राप्सी के मामलों में, खाद्य तेल में अपमिश्रण के मामलों में सरकार कोई कोताही नहीं करेगी। जो भी व्यापारी, उत्पादनकर्ता इसके लिये जिम्मेदार है उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की गई। सरकार पूरी तरह से इन मिलावट खोरों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। यह भरोसा दिलाना चाहते हैं सदन को, हम कहीं भी मिलावट खोरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने से नहीं चूकेंगे। इसमें पूरे सदन का अभिमत हमें मिलेगा। लेकिन जो कार्यवाही की गई है सरकार द्वारा किये गये कार्यों की निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए थी जिस तरह से मिलावट खोरी के कारणों पर,

जिस तरह से कुठाराघात करने का श्रोतों पर हमला करने का काम, प्रदेश सरकार ने किया है हम समझते थे कि निश्चित रूप से विपक्ष की ओर से हमें बधाई मिलनी चाहिए थी। मुझे-आशा है विपक्ष इसका स्वागत करेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहला तो यह माननीय मंत्री जी, को उनको अधिकारियों ने बाध्य किया कि यहां पर असत्य मिथ्या भाषण करें। मेरे पास रिकार्ड है मंत्री जी ने कहा कि ड्राप्सी से केवल तीन लोगों की मौत हुई। लेकिन ड्राप्सी से पहली मौत, आकाश की हुई। दूसरी मौत सुलेखा की हुई। तीसरी मौत, नेहा की हुई और चौथी मौत, राकेश की हुई है। मेरे पास रिकार्ड है। आपको अधिकारियों ने असत्य भाषण करने के लिए मजबूर किया है। आपने कहा कि ड्राप्सी के मरीजों की चिकित्सा का पूरा इंतजाम किया गया है। आपने चिन्ता प्रकट की इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन क्या इंतजाम किये यह आपने स्पष्ट रूप से नहीं कहा ? हमारा कहना है कि के0जी0एम0यू0 को एक धेला नहीं दिया गया है। अखबारों में छपने के बाद भी एक धेला नहीं दिया गया है। इस बारे में आपने जवाब नहीं दिया कि के0जी0एम0यू0 के ड्राप्सी के मरीजों को आपने कितना पैसा दिया है ?

श्री जयवीर सिंह-

आपने चार मौतों की चर्चा की है लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं यह सही है कि ड्राप्सी के कारण तीन मरीजों की मौत हुई है। एक मौत जो आपने बताई उसमें संदेह है कि ड्राप्सी के कारण मौत हुई है। वह मरीज दूसरी बीमारी से ग्रसित था। मौत के बाद उसका बिसरा संचित करके अलग से परीक्षण के लिए भेजा गया है। अभी इसमें कन्फर्म नहीं है कि मौत किस लिए हुई है। इसी के साथ मैं पुनः इसको दोहराना चाहता हूं कि उपचार के लिए पूरे बजट की व्यवस्था की गई है। के0जी0एम0यू0 में पूरे बजट की व्यवस्था है। चाहे के0जी0एम0यू0 का बजट हो चाहे, स्वास्थ्य विभाग का बजट हो, यह हमारा अन्दरूनी मामला है। दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह आपका अन्दरूनी मामला कैसे है ?

डा0 वकार अहमद शाह-

सरकार सक्षम है इलाज कराने के लिए।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं यह अवगत कराना चाहता हूं जहां इलाज चल रहा है, चाहे वह बलरामपुर में इलाज की व्यवस्था हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय में इलाज की व्यवस्था हो यह अन्दरूनी मामले हैं। यहां कहीं भी बजट की कमी से उपचार में कमी नहीं आई है। तीन मरीजों की बात कर रहे थे, माननीय श्रीवास्तव जी ने चौथे मरीज की बात कहा है उसके बारे में मैंने बताया कि उसकी मौत में संदेह है वह अन्य किसी बीमारी से मौत हुई थी। उसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है। इसके अलावा जो तीन मौतें हुई हैं उसका पूरा विवरण मेरे पास है आप कहेंगे तो बता देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी ने ड्राप्सी जैसे गम्भीर विषय पर अपना पक्ष रखा। इस पर चर्चा हुई, लेकिन माननीय सदस्यों ने यह बात नहीं कही कि सरकार ने ड्राप्सी के प्रकरण में कोताही बरती। यह परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, यह मौत के सौदागर क्यों फल-फूल रहे हैं और इन मौत के सौदागरों को फलने-फूलने में क्या यह सरकारी मशीनरी मदद कर रही है इस पर हमने जरूर चिन्ता व्यक्त की है। मैंने उन लैब को भी सुदृढ़ करने के लिए चिन्ता व्यक्त की है। यहां इस चर्चा के माध्यम से सरकार पर आक्षेप लगाने का किसी सदस्य का उद्देश्य नहीं था इसका उद्देश्य था कि इस बारे में सदन एकमत हो। इसमें सुधार की आवश्यकता है, अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो जिस तरह से अन्य कामों के लिए सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ व्यवस्था कर रही है, वैसे ही इसके लिए भी करें। मंत्री जी ने जो कहा, मैं उसका प्रतिवाद करना चाहता हूं।

मंत्री जी ने मरीजों की संख्या 111 बताई है, 104 है, बताया 45 भर्ती है लेकिन भर्ती हुए 25 के0जी0एम0सी0 में और मेंहदीगंज हास्पिटल, सहादतगंज में। मंत्री जी ने कहा कि 6 नमूने आर्जीमोन मैक्सीकाना के पाए गये। उनके नाम सदन में आने चाहिए और उनके विरुद्ध क्या सरकार ने केवल एफ0आई0आर0 दर्ज करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है या उनके विरुद्ध एनएसए लाकर कठोर कार्यवाही की जायेगी ? बटरयेलो वसा में घुलनशील रंग होता है और यह जो साइनामिस्ट है, क्या यह अपमिश्रण की श्रेणी में नहीं आता है, आर्जीमोन मैक्सीकाना के साथ ही और क्या-क्या अपमिश्रण पाया गया ? जो लोगों को मौत की नींद सुलाने के काम को कर रहे हैं। ऐसे कितने नमूने पाए गए ? यह भी सदन जानना चाहता है। शायद मंत्री जी ने इस चर्चा को ऐसा मान लिया है कि यह सरकार के विरुद्ध कोई चर्चा है इसलिए सरकार की तरफ से इस चर्चा का जो सम्भवतः प्रतिवाद करने की परम्परा है, उसी का प्रतिवाद आपने अपने अधिकारियों द्वारा अपनी खाल बचाने के लिए उनके द्वारा बनाये गए उत्तर को रखने का काम किया है। मैंने मांग की थी कि जहां-जहां अपमिश्रण किया गया है, उस क्षेत्र का स्वास्थ्य अधिकारी, फूड इन्सपेक्टर जो है, उसे 120बी का मुल्जिम बनाया जाना चाहिए। जिनकी जान चली गयी, उनकी जान वापस नहीं आयेगी, लेकिन जो बीमार है और इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए और जिन्होंने ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया है, जो 10-5 साल बाद मरेंगे उनके लिए जो हमारा कर्तव्य है, जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमें उसका पालन करना चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि मेरठ में इतने नमूने टेस्ट हुए, वाराणसी में इतने नमूने टेस्ट हुए, मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि मेरठ में केवल दूध टेस्ट होता है, गोरखपुर में लैब अभी प्रारम्भ ही नहीं है, बनारस में केवल दूध टेस्ट होता है और आगरा में केवल दूध टेस्ट होता है। मंत्री जी ने कहा कि आगरा, मेरठ और बनारस में टेस्ट किया गया, यहां पर तेल के नमूने पास करने की क्षमता है क्या इन लैबो में टेक्निकल अधिकारी है क्या और क्या यहां पर 24 घण्टे या पूरे माह टेस्टिंग की व्यवस्था है ? हमने कोई सरकार की आलोचना नहीं की है। मेरी सरकार से निवेदन यह है कि इस चर्चा के माध्यम से जो बात मैंने कही थी जो सुझाव दिए है कि जहां पर खाद्य तेलों में अपमिश्रण पाया गया है वहां के जो फूड इन्सपेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको 120बी का मुल्जिम बनाया जाए और जो आर्जीमोन मैक्सीकाना है, इसके अलावा भी नमूनों में कौन-कौन से हानिकारक तत्व पाए गए, यह सब सदन के सामने आना चाहिए और उन लोगों के नाम भी इस सदन के माध्यम से जनता के सामने आने चाहिए।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, सबसे पहले मैं इन लोगों के नाम बता देता हूं। पहला मे0 अग्रवाल आयल्स, राजाजीपुरम्, आरजीमोन पाया गया, अभियोजन दायर, श्री दीनानाथ गुप्ता, राजाजीपुरम्, आरजीमोन पाया गया, अभियोजन दायर, मे0 सिंघल आयल्स, त्रिवेणी नगर, अभियोजन दायर, एफ0आई0आर0 एवं श्री घनश्याम दास अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बेल नहीं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आर्जीमोन पाया गया कि नहीं।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मे0 सिंघल आयल्स, त्रिवेणी नगर, आर्जीमोन पाया गया, अभियोजन दायर, एफ0आई0आर0 एवं श्री घनश्याम दास अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बेल नहीं। मे0 सिंघल आयल्स, त्रिवेणी नगर, हाइड्रोसार्बनिक एसिड पाया गया, अभियोजन दायर, एफ0आई0आर0 एवं श्री घनश्याम दास अग्रवाल को 14 की न्यायिक हिरासत, बेल नहीं, मे0 सिंघल आयल्स, त्रिवेणी नगर, बटर यलो एवं तीव्र गंध, अभियोजन दायर, एफ0आई0आर0 एवं श्री घनश्याम दास अग्रवाल की 14 की न्यायिक हिरासत, बेल नहीं, मान्यवर, यह एक ही व्यक्ति है और मान्यवर, इस प्रकार से बहुत लम्बी सूची है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या किसी पर सरकार ने एन0एस0ए0 लगाया है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, हम इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। जहां तक दूसरे मामले की बात है तो लेबोरेट्री में रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजने के बावजूद भर्ती में विलम्ब हो रहा है और सरकार प्रयास कर रही है कि इसके दूसरे विकल्पों की व्यवस्था हो और मान्यवर, एन0एस0ए0 भी एक मामले में लगाया गया है। मान्यवर, थाना हसनगंज, मु0अ0सं0 52/05, सिंघल आयल होल सेलर, कास्टर्ड आयल लिमिटेड, 538क/134 त्रिवेणी नगर, लखनऊ के खिलाफ एन0एस0ए0 लगाया गया है। इसमें श्री घनश्याम दास अग्रवाल, दुकान मालिक के विरुद्ध एन0एम0ए0 लगाया गया है।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 मार्च, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जनपद इलाहाबाद के ए0डी0एम0 द्वारा कालोनियों, आवासों को नियमितीकरण न करने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रदेश के जिला योजना में सड़क एवं पुल निर्माण हेतु प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नगरीय स्थानीय निकायों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था टांक न होने एवं कहीं-कहीं रात-दिन बल्ब जलने से ऊर्जा के अपव्यय के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की लखनऊ स्थित भरतनगर मोहिबुल्लापुर निकट योगिता मान्टेसरी स्कूल के पास नाली

एवं सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवीं सूचना श्री अनिल कुमार वर्मा की जनपद चन्दौली की कोतवाली क्षेत्र के पुलिस कर्मियों द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या करने एवं उनके परिवार का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद [illegible] बालूपुर के राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग को स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के ग्राम श्रीमऊ में एलोपैथिक या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या यूनानी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी, इसके लिए घोषणा की जाती है। आठवीं सूचना, श्री विद्यासागर गुप्ता की, लखनऊ स्थित मिल रोड, ऐशबाग से क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नौवीं सूचना, श्री राम कृपाल की, जनपद इलाहाबाद के मेजा अन्तर्गत गांवों में ओलावृष्टि के कारण हुई फसल के नुकसान से उपरान्त किसानों को रु0 5000 प्रति किसान मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना, श्री राकेश सचान की, कानपुर नगर के अन्तर्गत रिन्द नदी, पाण्डु नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। ग्यारहवीं सूचना, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की, जनपद बागपत के रामनगर क्षेत्र सुमली नदी, चौगर्रा नदी एवं चौका नदी की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। बारहवीं सूचना, श्री प्रदीप माथुर की, प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों के शासन की उदासीनता के कारण बन्द होने की स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। तेरहवीं सूचना, श्री शिव तपस्या पासवान जी की, लखनऊ [illegible] प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जानकीपुरम् में निर्मित निर्गाश्रितों के लिए बने भवनों में जलापूर्ति की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी।

शेष जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत की गयीं उनके नाम निम्न प्रकार हैं- श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री [illegible] देहाती, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री नवाब सिंह नागर, श्री मनेश चन्द्र सोनकर, श्रीमती राजकुमारी रावत, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री जय प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री राम नरेश यादव, डा0 सुशील चौधरी, डा0 विनोद सिंघल, श्री दयाशंकर वर्मा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सोमारू राम सरोज, श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री राजपाल सिंह बालियान व प्रो0 गोविन्द पुन्डीर।

अब मैं मद संख्या-17 ले रहा हूं।

**गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 18 फरवरी, 2005 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा**

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, आपने मुझे गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाये जाने विषयक चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी

हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और लगभग 30 लाख गन्ना किसान उत्तर प्रदेश के अन्दर है। यह एक कैश क्राप है इसलिए महत्वपूर्ण है। गन्ना किसानों को उचित गन्ना मूल्य मिले समय से मिले, जब गन्ना लेकर क्रय केन्द्रों में जाये तो उन्हें ठीक से डाला जाय इसी पर मैं संक्षेप में अपने विचार रखूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नियम-49 के अन्तर्गत जो प्रश्नों में स्पष्ट न हो उसी के सम्बन्ध में पूछा जाता है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, ठीक है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है और फिर उसके हिसाब से प्रदेश की सरकार गन्ना मूल्य घोषित करती है। मान्यवर, अगैती प्रजाति का 112 रुपये, सामान्य प्रजाति का 107 रुपये और अनुप्रयोज्य प्रजाति का 104.50 रुपया के हिसाब से गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया। मान्यवर, 14 फरवरी के आंकड़े मेरे पास हैं। चीनी निगम की उत्तर प्रदेश में 22 चीनी मिलें हैं सहकारी की 28 चीनी मिलें हैं और 54 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। मान्यवर, जो 14 फरवरी के आंकड़े मेरे पास है उसके हिसाब से चीनी निगम की मिलों का 263.96 करोड़ का भुगतान था उसके सापेक्ष 208.10 करोड़ का भुगतान हुआ, पचपन करोड़ छियानवे लाख अवशेष है और उसका प्रतिशत 21.6 है। सहकारी चीनी मिल का 526.99 लाख का भुगतान होना था उसके सापेक्ष 411.43 लाख का भुगतान हुआ जो अवशेष है. 115.56 लाख और इसका प्रतिशत है 21.16 प्रतिशत और निजी क्षेत्र की जो 54 चीनी मिले हैं, उनका देय है 2687 करोड़, 75 लाख और भुगतान हुआ है-2326 करोड़, 54 लाख, अवशेष धन राशि है-361 करोड़ 21 लाख और अवशेष प्रतिशत है 13.44 प्रतिशत। मान्यवर, 2003-2004 की स्थिति तो बहुत ही चिन्तनीय है। मान्यवर, पेराई सत्र, 2003-2004 में मझावली चीनी मिल का गन्ना मूल्य शेष है-87 लाख, सरदारनगर का अवशेष है-04 करोड़ 61 लाख, कप्तानगंज का अवशेष है-04 करोड़ 69 लाख रुपये। पेराई सत्र 2002-2003 का खलीलाबाद का-77 लाख, कप्तानगंज का-2 करोड़, 28 लाख, अवशेष बाकी है, अन्तर की धनराशि हुई-517.30 करोड़ और कुल योग हुआ 520.35 करोड़ रुपये।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उस दिन उत्तर दिया था उसमें कहा था कि कोई भी चीनी मिल चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी अगर वह 14 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती है तो वह 14 दिन के बाद ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी। मेरा पहले तो इसमें कहना यह है कि इस वर्ष की जो चीनी मिलें हैं, उनका भी 100 प्रतिशत भुगतान नहीं हुआ है, और वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 का भी काफी पैसा बाकी है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या जो भुगतान नहीं हुआ है उसका भुगतान ब्याज समेत किया जायेगा और जो भुगतान किया गया है, वह ब्याज समेत किया गया है और इन चीनी मिलों के मालिकों के खिलाफ, जिन्होंने अब तक भुगतान नहीं किया है, कोई कार्यवाही की गयी है ? मान्यवर, जो राज्य चीनी निगम की 22 चीनी मिलें हैं, इसमें 12 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका 40 प्रतिशत से अधिक का भुगतान शेष है, जिनमें छाता-40.57 प्रतिशत, घाटमपुर-69.92 प्रतिशत, दरियापुर-53.44 प्रतिशत अवशेष है और बुड़वल, बागबंकी का तो मान्यवर, पूरा 100 प्रतिशत अवशेष है। जरवल रोड-14.63 प्रतिशत, पिपराईच-85.90 प्रतिशत, सटनी-81.72 प्रतिशत, सेवरही-85.97 प्रतिशत, बैतालपुर-70.11 प्रतिशत, लक्ष्मीगंज-64.60 प्रतिशत

गगकोला 75.80 प्रतिशत अवशेष है, तथा शाहगंज का तो मान्यवर, 100 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष है आज की तारीख तक। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की 28 चीनी मिलें हैं जिनमें नौ चीनी मिलें ऐसी है जिनमें 36 प्रतिशत से अधिक अवशेष है, जिसमें बदायूं-38.46 प्रतिशत, पुवायां-56.51 प्रतिशत, बेलरायां, लखीमपुर-36.73 प्रतिशत, सम्पूर्णानगर, लखीमपुर-48.35 प्रतिशत, सुल्तानपुर-41.48 प्रतिशत, धुरियापार, गोरखपुर का तो मान्यवर, 100 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है। रसड़ा-49.17 प्रतिशत, सटियांव-83.22 प्रतिशत अवशेष है और औराई का मान्यवर, पूरा 100 प्रतिशत अवशेष है। मान्यवर, वैसे नियम तो यह है कि अगर भुगतान 14 दिन के अन्दर नहीं किया जाता है तो ब्याज समेत अवशेष का भुगतान करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अवशेष भुगतान के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? मान्यवर, निजी क्षेत्र की 54 चीनी मिलें हैं इनमें ग्यारह चीनी मिलें ऐसी हैं जिनपर 22 प्रतिशत से अधिक भुगतान अवशेष है। इनमें मंसूरपुर चीनी मिल का अवशेष है-24.07 प्रतिशत, मलकपुर, बागपत का-35.46 प्रतिशत, मोदीनगर, गाजियाबाद का-25.96 प्रतिशत, अगौता, बुलन्दशहर का 64.63 प्रतिशत, धामपुर, बिजनौर का-23.02 प्रतिशत, अगवानपुर, मुरादाबाद का-27.39 प्रतिशत, असमोली, मुरादाबाद का-23.31 प्रतिशत, बहेड़ी, बरेली का-33.38 प्रतिशत, बस्ती का-22.32 प्रतिशत, बाल्टरगंज, बस्ती का-35.00 प्रतिशत, प्रतापगढ़, देवरिया का-24.73 प्रतिशत, गन्ना भुगतान अवशेष है। मान्यवर, चूंकि प्रश्न था, उसमें यह प्राविधानित था कि जो भी चीनी मिलें समय से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी तो उसमें ब्याज की व्यवस्था है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर बजट प्रस्तुत किया, गन्ना विकास विभाग का बजट आया था, सरकार बड़ा ढिंढोरा पीट रही थी कि इस बार उसने गन्ने का क्रय मूल्य 112 रु0 क्विंटल कर दिया है। मान्यवर, जब हम लोग सरकार में थे तो 100 रु0 का दाम तय किया था और उसका भुगतान भी किसानों को कराया था। उस समय चीनी का दाम 1200, 1300 रु0 प्रति क्विंटल था और गन्ने का क्रय मूल्य 100 रु0 प्रति क्विंटल था तो जो रेशियो था वह 1:13 का था। इस समय गन्ना का क्रय मूल्य 112 रु0 है और चीनी का मूल्य 2200-2300 रु0 प्रति क्विंटल है तो रेशियों जो है वह 1:20 का है। अगर यह कहते हैं मान्यवर, कि यह किसानों के बड़े हितैषी हैं तो रेशियो के हिसाब से यह गन्ने का मूल्य 170 रु0 प्रति क्विंटल दिया जाना चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? निश्चय ही सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और किसानों को लाभ देना चाहिए।

मान्यवर, घटतौली की बात मैं कहना चाहता हूं। मैं ढ़ाई साल गन्ना विकास मंत्री यहां पर रहा हूं। जो मिलों के मुख्य क्रय केन्द्र होते हैं वहां जो नापा जाता है कई जगह कम्प्यूटराइज व्यवस्था है यह अच्छी बात भी है। लेकिन जब ट्रक या ट्रैक्टर के ऊपर वह गन्ना लाद कर मिल में ले जाता है तो बाहर से वह विजीबिल नहीं होता है कि क्या वजन आया है। मंत्री जी ने देखा होगा या अगर इसकी चेकिंग कर लेंगे तो पता चल जायेगा कि जितनी भी चीनी मिले हैं बाहर जब गन्ना लिया जाता है तो क्या उस किसान को दिखाई देता है कि क्या वजन आया। उसको चेक कर लेना चाहिए आपको। मान्यवर, जब मैं गया था चेकिंग पर तो मुझे गेट के ऊपर ऐसी शिकायतें मिली थीं। मान्यवर, आज विज्ञान का युग है मिल के लोग कम्प्यूटर को ऐडजेस्ट कर लेते हैं उसमें गन्ना ज्यादा है लेकिन कम तौला जायेगा और जब चीनी देंगे तो रिवर्स कर देंगे। तो कोई ग्रेशलाइज्ड चेकिंग का प्राविधान आए

सरकार की ओर से ही करा ले जहां चीनी मिलों के गेट पर कम्प्यूटराइज्ड वेट करने की व्यवस्था है। भले ही आपको इसके लिए लाख-दो लाख रुपये खर्च करने पड़ जायें उसको कीजिए। मान्यवर, हमने जब देखा था तो एक दो जगह अनियमितता पाई थी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी ससुराल बलरामपुर में है। वहां की मिल की तरफ गौर जी आपने ध्यान दिया था।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बलरामपुर मैं गया था। मान्यवर, जो क्रय केन्द्र हैं वहां पर यह व्यवस्था है कि सहकारी गन्ना समिति का एक लिपिक वहां रहेगा। मैंने पाया था कि वह नहीं रहता है अब भले ही थोड़ा बहुत पैसा लेकर वह अपनी उपस्थिति दिखा देता है। कई बड़ी-बड़ी जगह गेट्स पर सहकारी समिति के लिपिक उपलब्ध नहीं होते हैं इसको देखने की आवश्यकता है और जिस कारण क्रय केन्द्रों पर अनियमिततायें होती हैं कांटे पर जो तौला जाता है वह किसान अनपढ़ होने के कारण पढ़ भी नहीं पाता है। मान्यवर, वहां पर सरकार की ओर से वेट रखे होते हैं चेकिंग के लिए। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने क्रय केन्द्र है और जो सरकार के माध्यम से वेट रखे रहते हैं क्या इसकी चेकिंग हुई है। मान्यवर, अगर एक जगह एक कुन्टल का भी अन्तर हो जाए तो कितना कुन्टल गन्ना पेरा जाता है इसका अन्दाजा लगा सकते हैं और इस घटतौली का बहुत बड़ा लाभ चीनी मिलों को होता है और नुकसान किसानों का होगा। इस पर सरकार को कुछ गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इसकी कैसे चेकिंग हो और घटतौती पर रोक लगाने की आवश्यकता हैं। मान्यवर, क्रय केन्द्रों पर चेकिंग की व्यवस्था नियमों में है लेकिन हम जनप्रतिनिधि कितने चेक करने जाते हैं। अब वह चाहे शायद हम संकोचवश नहीं जाते हैं या घबड़ाहट में नहीं जाते हैं। निश्चित तौर पर मैं निवेदन करता हूं कि किसानों के हित में आप जाइये क्रय केन्द्र पर, अगर कहीं पर घटतौली हो रही है तो किसानों की मदद करिये तो इससे पब्लिसिटी बढ़ेगी और किसानों का हित सुनिश्चित होगा। मैं जानना चाहता हूं कि 403 सदस्य विधान सभा में हैं अगर किसी भी एक विधायक ने किसी क्रय केन्द्र पर जाकर चेक किया हो, जिन्होंने किया है उन्हें बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से किसानों के हित में यह बात होनी चाहिए। जो गन्ना विभाग में चेकिंग की व्यवस्था है, आपके यहां कितनी चेकिंग की गयी कहीं विभाग में होना चाहिए कि कहां अनियमितता पाई गई। मान्यवर, एक और दिक्कत हुई थी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इसमें शिकायत प्राप्त होने पर कितनी सजा का प्राविधान है ? निश्चित रूप से यह सजा का प्राविधान बढ़ाना चाहेंगे तो हम विपक्ष में रहते हुए भी इसका समर्थन करेंगे। गन्ना किसानों का हित हो इसके लिए हम सब चिन्तित रहते हैं। यह दो प्रश्न थे इन दो प्रश्नों पर माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह उत्तर दे दें।

(डा0 अजय कुमार के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस चर्चा में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री हुकुम सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार और डा0 अजय कुमार का नाम था तो पहले मंत्री जी बोल लें, मंत्री जी थोड़ा उत्तर देंगे फिर अन्तिम उत्तर देंगे, या आप इसी समय बोलना चाहते हैं तो बोल लें।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि गन्ना भुगतान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 49 की चर्चा है, जब प्रश्न स्पष्ट नहीं होता है तो चर्चा के माध्यम से प्रश्न में जो निहित बात होती है जिसका उत्तर समुचित नहीं आ पाता है, वह बात उठायेंगे मंत्री जी उसको स्पष्ट करेंगे।

डा0 अजय कुमार-

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ना उत्पादन का विशेष योगदान है तथा गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति से इसका सीधा सम्बन्ध हैं। प्रदेश में लगभग 72 फीसदी जनसंख्या किसानों की है उसमें से लगभग 30 लाख किसान परिवार गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना एक वार्षिक फसल है।

श्री अध्यक्ष-

सीधा प्रश्न जो स्पष्ट नहीं है वह पूंछिये।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, गन्ने का उचित मूल्य किसानों को मिले और सही समय पर मिले, यह हम सभी के प्रयास हैं और होना भी चाहिए। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 1996-97 व पेराई सत्र 2003-2004 के अन्तर मूल्य का भुगतान निजी मिलों से किसानों को करा दिया है लेकिन अभी तक वर्ष 2002-2003 का लगभग 500 करोड़ रुपये का अवशेष अन्तर मूल्य भुगतान प्रदेश के गन्ना किसानों का निर्जा चीनी मेल मालिकों पर बकाया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बकाया गन्ना भुगतान को शीघ्र कराकर, किसानों को राहत प्रदान कराई जाय। गन्ना ऐक्ट में प्रादिधान है कि गन्ना मूल्य का भुगतान अगर 14 दिन में न हो तो सम्बन्धित मिल को 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किसानों को देना होगा लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि मिलों द्वारा यह भुगतान समय से नहीं होने के फलस्वरूप किसानों को ब्याज की राशि नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपने शुगरकेन परचेज ऐक्ट पढ़ा है ? पढ़ा है तो बताइये इसमें क्या व्यवस्था है ?

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, पढ़ा है, यह ऐक्ट पुराना हो गया है, इसमें एमेन्डमेंट होना चाहिये। उ0 प्र0 सरकार द्वारा इस वर्ष जो गन्ना मूल्य बढ़ाया गया है, वह एक वर्ष में 12 रुपये बढ़ा है, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आज जो चीनी का बाजार भाव है, उसको देखें तो यह गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी कम लगती है।

श्री अध्यक्ष-

आपको जो स्पष्ट न हो, वह पूछिये।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ निजी चीनी मिलें प्रोत्साहन स्वरूप 15 क्विंटल गन्ने की खरीद पर 20 से 25 किलो डी0ए0पी0 प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का काम कर रही हैं, कुछ मिलों द्वारा यह राशि दी भी जा रही है और कुछ निजी चीनी मिलों ने कृषकों को प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। लेकिन सहकारी और निगम की जो चीनी मिलें ऐसा नहीं कर रही हैं। इन सहकारी और निगम की चीनी मिलों को भी प्रोत्साहन राशि देनी चाहिये। यह प्रदेश के सभी किसानों के बराबर की बात होगी। मान्यवर, इससे पूर्व भी मैं इस सदन में पिछले 8 नवम्बर के सत्र में गन्ना मूल्य की बात उठा चुका हूं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि तय समयान्तर्गत गन्ने पर ब्याज का भुगतान नहीं हो रहा है। इस वर्ष 12 रुपये गन्ना मूल्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, उसके लिये मैं इस लोकप्रिय सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक घटतौली की बात है, घटतौली की घटनायें प्रकाश में आती हैं। लेकिन इसे रोकने के सम्बन्ध में सरकार का प्रयास सराहनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री स्वामी ओइमवेश)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय गौर साहब ने तो बातें रखी हैं, उनके बारे में अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया। माननीय गौर साहब ने गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में कुछ बातें यहां पर रखी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गौर साहब को बताना चाहूंगा कि अपने कार्यकाल का, जब से मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है, इस सरकार ने भुगतान किया, वह तो किया ही है। हमने माननीय गौर साहब के समय का भुगतान भी करके दिखाया है। यह सरकार जो है, वह किसानों के हित संरक्षण की सरकार है। इसलिये कोई भी कोताही हम नहीं बरत रहे हैं और किसानों का भुगतान कर रहे हैं। जो भुगतान चीनी निगम की मिलों का हुआ है, मैं 16 मार्च तक की बात बता रहा हूं, उसमें 321.61 देय था और भुगतान हमने किया है 266.85, अब केवल 17.03 प्रतिशत बकाया है। सहकारी चीनी मिलों का जो देना था वह 672.76 था और हमने 563.46 दिया है जो 83.75 प्रतिशत है। निजी चीनी मिलों पर जो देय था वह 3466.89 बकाया था और हमने भुगतान 3086.54 किया है, जो 89.03 प्रतिशत होता है। केवल 10.97 प्रतिशत देना बाकी है। इसी समय तक जो गत वर्ष भुगतान हुआ है, उससे हमने 22.50 प्रतिशत ज्यादा भुगतान किया है तो मैं माननीय गौर साहब से कहना चाहूंगा कि हमने जो कीर्तिमान स्थापित किये हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किये हैं भुगतान के सम्बन्ध में उसका मुकाबला कोई भी सरकार नहीं कर सकती। गौर साहब ने कुछ बातें रखी हैं ब्याज के सम्बन्ध में, 14 दिन के बाद 15 प्रतिशत का ब्याज होता है। हमने समय-समय पर इसे मिलों को भेजा है कि किसके खिलाफ कितना ब्याज है। चीनी निगम की जो मिलें हैं, उनमें से सहारनपुर को हमने 02-12-2004 को भेजा है, 1 लाख 38 हजार रुपया उसके खिलाफ ब्याज देय है। रोहाना चीनी मिल को 17-2-2005 में भेजा है, उसके खिलाफ 3.42 लाख रुपए का ब्याज देय है, बुलन्दशहर में 15 दिसम्बर को भेजा है, 4.40 लाख रुपए का ब्याज देय है, बिजनौर को 15 दिसम्बर को भेजा है, 9.48 लाख रुपए का ब्याज देय है। चांदपुर को 22-12-2004 को भेजा है, 3.94 लाख रुपए का ब्याज देय है।

मान्यवर, यह बहुत लम्बी सूची है, इसकी फोटोकापी मैं माननीय गौर साहब को उपलब्ध करा दूंगा। गन्ना मूल्य के निर्धारण की बात माननीय सदस्यों ने कही है, आप मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य है, आपको काफी जानकारी है, बहुत विद्वान हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने गन्ने के मूल्य का निर्धारण किया था, उस समय चीनी का यह भाव नहीं था जो आज है। अगर यह भाव उस समय होता तो हमारी सरकार इससे भी ज्यादा भाव देती। 107 और 112 का भाव जिस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने डिक्लियर किया था, उस समय हर किसान के चेहरे पर रौनक थी, आभा थी, सभी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद दिया था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी किसानों के हितैषी हैं। आठ वर्षों में कभी भी ब्याज की बात नहीं आई, यह पहली बार ब्याज की व्यवस्था की गई है। जहां तक घटतौली की बात है, ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारी सरकार ने। लोग जनप्रतिनिधियों से सिफारिश लगवाकर क्रय केन्द्रों पर पहुंच जाते थे और पहले ही बजट बना लेते थे, सोफासेट का, फ्रिज खरीदने का, लड़की की शादी करने का और उसके बाद चार-पांच-छः महीने में उतनी वसूली कर लेते थे। हमने तौल लिपिकों के विरुद्ध अभियान चलाया है, मैं कई जगह पर गया हूं और तौल लिपिकों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी है। केवल घटतौली के खिलाफ ही नहीं बल्कि अन्य सभी अनियमितताओं के खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज करा करके हमने दिखा दिया है कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी है। इससे पहले की सरकारों में कभी भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होती थीं, हमने केवल एफ0आई0आर0 ही दर्ज नहीं करायी बल्कि जहां पर हमने पकड़ा वहां पर कहीं पुलिस को बुला करके और कहीं-कहीं पर मैंने स्वयं ऐसे लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाने ले जाने का काम किया है। मिल में जो प्रभावी लोग थे, जो अपने को बहुत बड़ा दादा मानते थे, हमने मिल में जा करके उनकी कमियों को पकड़ा है और उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी है। टेलीफोन पर अधिकारियों को आदेश दिया कि जो मिल में घटतौली की है उसका 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपये तक किसानों के खातों में डलवाने का काम किया है। जो सेण्टरों पर तौल लिपिक हैं, वह वहां पर मुर्गा खाते थे, शराब पीते थे, उनकी गर्दन मोटी हो जाती थी, अबकी बार उनकी गर्दन मोटी नहीं होने दी है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपने गर्दन पतली कर दी है ?

स्वामी ओइमूवेश-

मान्यवर, जहां तक कम्प्यूटर तौल पर गड़बड़ी की बात गौर साहब ने कही, मैं बताना चाहता हूं कि जिन सेण्टरों पर कम्प्यूटरीकरण है और कम्प्यूटर से जहां तौल होती है, उसमें गड़बड़ी करते हैं, तो हमने मिलों में उसके बगल में मैनुअल कांटा भी लगवा दिया है। अगर कोई किसान संतुष्ट नहीं है तो वह मैनुअल कांटे पर भी तौल करवा सकता है। मान्यवर, 8486 केन्द्रों का निरीक्षण हुआ जिसमें 14 गम्भीर अनियमिततायें पायी गयी, 1866 साधारण अनियमिततायें पायी गयी। मान्यवर, 2580 शिकायतें कुल थी, नोटिस जारी हुई 1567 को, 497 तौल लिपिकों के लाइसेन्स निलम्बित हुये। वाद दायर हुये 93, डी0एम0 स्तर पर निस्तारित हुये 282 और 30 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। यह एक रिकार्ड है कि किसी भी सरकार में मिल के अध्यासी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है लेकिन हमने यह काम किया है और यह सबक सिखाया है कि किसानों का शोषण करोंगे, घटतौली करोगे तो आपको भी

जेल जाना पड़ेगा। मैं गौर साहब से निवेदन करूंगा कि उन्हें हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए और माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि यह सरकार जो कर रही है, इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय मंत्री जी ने कुछ चीजों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 112 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य तय किया है और किसानों के चेहरों पर रौनक आयी है। गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन मंत्री जी ने जो यह कहा कि जो इस समय चीनी का भाव है वह नहीं था अगर उस समय चीनी का यह भाव होता तो इससे ज्यादा गन्ना मूल्य तय होता। मंत्री जी बता दें कि उस समय चीनी का क्या भाव था ? 19 रुपये प्रति किलो रहा होगा। तब भी कम है, चीनी में 700 रुपये एक क्विंटल में ज्यादा मिल रहा है तो क्या उसके सापेक्ष गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई ? इसको स्पष्ट नहीं किया। उत्तरांचल बहुत छोटा राज्य है, जब पहले एक था तो एक ही गन्ना मूल्य हुआ करता था, आज वहां पर 140 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यहां क्यों कम मूल्य दिया गया ? अभी डा0 अजय जी कह रहे थे कि पश्चिम के कुछ लोग आये थे, वहां पर एक निजी क्षेत्र के मिल मालिक 112 रुपये प्रति क्विंटल प्लस 25 रुपये एडीशनल दे रहे थे और एक जगह जानकारी मिली कि जो निजी क्षेत्र के मिल मालिक दे रहे थे, उनको सरकार ने डराया कि क्यों ज्यादा दे रहे हो ? अगर निजी क्षेत्र ज्यादा दे रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सहकारी और सरकारी चीनी मिलें हैं उन्हें भी ज्यादा देना चाहिए।

श्री आलम बदी-

मान्यवर, उस मिल मालिक का नाम बतायें, कोई नाम तो होगा। सदन में कोई बात कह रहे हैं तो रिस्पांसिबल तरीके से कहें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि 15 परसेन्ट ब्याज देने के लिये बिल भेजे गये हैं। उन्होंने चीनी निगम का जिक्र किया लेकिन निजी मिलों और सहकारी चीनी संघ की मिलों को यह बिल भेजे गये हैं या नहीं। मान्यवर, 2003-2004 का 500 करोड़ रुपया बकाया है। उस पर 3.15 प्रतिशत ब्याज देने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे दें।

स्वामी ओइमूवेश-

मान्यवर, जब मुलायम सिंह यादव के समय में दाम डिक्लेयर हुये उस समय साढ़े 13-14 रुपये चीनी के भाव थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैंने निजी चीनी मिलें जो ज्यादा भाव दे रहीं थीं उनको मना किया था कि वह ज्यादा दाम न दें यह बात बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं कहा गया, यह समझदार लोगों की बात नहीं है। जो लोग धरने पर बैठे थे वह विरोधी लोग थे। सरकार जब एक बार भाव तय करती है तो नियम और कानून से चलती है। बार-बार भाव तय नहीं करती है। उस समय के भाव हमारे किसानों के मनमाफिक थे। उत्तरांचल में भाव 107-112 है वह अधिक मूल्य दूसरे तरीके

से दे रही हैं। अगर सरकार ज्यादा भाव देने से मना करती और जिलाधिकारी और डी0एम0 को निर्देशित करती तो किसी की हिम्मत होती कि वह ज्यादा दाम देते ? इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार ने ज्यादा दाम देने से मना किया। मिलें अपनी मरजी से काम करती हैं। जो सरकार की और निगम की चीनी मिलें हैं उनके भाव डिक्लेयर हो गये तो उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। जो निजी चीनी मिलें हैं वह ज्यादा दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। खैर साहब ने यह पूछा है कि जो 521 करोड़ रुपये का पिछला बकाया है क्या उस पर ब्याज दिया जायेगा ? यह सरकार किसानों की हितैषी है और किसी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने दिया जायेगा। हमारी जिम्मेदारी मिलों को चलाने की भी है और किसानों को उचित भाव दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे तो मिलें बन्द हो जायेंगी और यदि मिलें बन्द हो जायेंगी तो किसानों का गन्ना कहां बेचा जायेगा किसानों को गन्ना बेचने में कोई परेशानी न हो इसलिये यह विचार किया गया कि मूलधन मिल जाय उसके बाद जो नियमानुसार कार्यवाही होगी, किसानों के हित को ध्यान में रखकर वह कार्यवाही निश्चित रूप से करेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 17-3-2005

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

## सूची "क"

(देखिये तारां0 प्र0 सं0-8 का उत्तर पीछे पृष्ट 5 पर।)

31-1-2005 को 96 ऋणात्मक मण्डियों की सूची

| क्रमांक | मण्डी का नाम |
|---|---|
| 1 | जलालाबाद |
| 2 | अतरौ |
| 3 | बरेली |
| 4 | आंवला |
| 5 | बबराला |
| 6 | भिनौरी |
| 7 | दाउजनंज |
| 8 | सहसवान |
| 9 | उझानी |
| 10 | पीलीभीत |
| 11 | पचपेड़वा |
| 12 | नवाबगंज |
| 13 | बहराइच |
| 14 | रुपईडीहा |
| 15 | सदरगंज |
| 16 | गोरखपुर |
| 17 | सहजनवा |
| 18 | बरहज |
| 19 | आंसी |
| 20 | कुसमरव |
| 21 | चिरगांव |
| 22 | बरखारी |
| 23 | महोबा |
| 24 | रूरा |
| 25 | भरथना |
| 26 | औरैया |
| 27 | दिबियापुर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रमांक | मण्डी का नाम |
|---|---|
| 28 | फर्रुखाबाद |
| 29 | इटावा |
| 30 | जसवन्तनगर |
| 31 | महोबा |
| 32 | कालपी |
| 33 | कदौरा |
| 34 | पुखरायां |
| 35 | लखनऊ |
| 36 | शाहजहांपुर |
| 37 | उन्नाव |
| 38 | पुरवां |
| 39 | बाराबंकी |
| 40 | लालगंज |
| 41 | मल्लोली |
| 42 | मुरादाबाद |
| 43 | सम्भल |
| 44 | अमरोहा |
| 45 | धनौरा |
| 46 | बिजनौर |
| 47 | नजीबाबाद |
| 48 | नगीना |
| 49 | चन्दौसी |
| 50 | रामपुर |
| 51 | मेरठ |
| 52 | मवाना |
| 53 | सरधना |
| 54 | खेकड़ा |
| 55 | मुरादनगर |
| 56 | दादरी |
| 57 | बुलन्दशहर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रमांक | मण्डी का नाम |
|---|---|
| 58 | जहांगीराबाद |
| 59 | सिकन्द्राबाद |
| 60 | सियाना |
| 61 | डिबाई |
| 62 | शिकारपुर |
| 63 | दनकौर |
| 64 | अनुपशहर |
| 65 | गोपीगंज |
| 66 | रामपुर मनिहारन |
| 67 | सुल्तानपुर चिल्काना |
| 68 | देवबन्द |
| 69 | खतौली |
| 70 | कैराना |
| 71 | थाना भवन |
| 72 | कांधला |
| 73 | वाराणसी |
| 74 | जंगीपुर |
| 75 | यूसुफपुर |
| 76 | जौनपुर |
| 77 | शाहगंज |
| 78 | जगनेर |
| 79 | अछनेरा |
| 80 | फतेहाबाद |
| 81 | फतेहपुर सीकरी |
| 82 | मथुरा |
| 83 | सादाबाद |
| 84 | फिरोजाबाद |
| 85 | शिकोहाबाद |
| 86 | सिरसागंज |
| 87 | एटा |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रमांक | मण्डी का नाम |
|---|---|
| 88 | हाथरस |
| 89 | खैर |
| 90 | छर्रा |
| 91 | अतरौली |
| 92 | चितबड़ा गांव |
| 93 | रसड़ा |
| 94 | इलाहाबाद |
| 95 | सिरसा |
| 96 | प्रतापगढ़ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "ख"

(देखिये तारां0 प्र0 सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर।)

संलग्नक-1

दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सी0आर0एफ0 तथा एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु निर्धारित दरें एवं मदों की सूची।

| क्र0सं0 | मद | सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | अहैतुक सहायता | |
| (अ) | मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता। | रु0 50,000/-प्रति मृतक। |
| (ब) | किसी अंग या आंख के बेकार हो जाने पर। | रु0 25,000/-प्रति व्यक्ति (यह सहायता तभी अनुमन्य है जब अंग की अपंगता 40 प्रतिशत से अधिक हो तथा यह शासकीय चिकित्साधिकारी या शासन द्वारा अधिकृत चिकित्साधिकारी के पैनल द्वारा प्रमाणित हो।) |
| (स) | गम्भीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रुकने की आवश्यकता हो। | रु0 5,000/-प्रति व्यक्ति। |
| (द) | वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता। | प्रति व्यस्यक रु0 20/-तथा प्रति बच्चा रु0 10/-प्रतिदिन। |
| (य) | जिन परिवारों के मकान बह गये/पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये, उन्हें बर्तन तथा कपड़े के रूप में सहायता। | प्रति परिवार रु0 500/-कपड़े हेतु तथा रु0 500/-बर्तन हेतु। |
| 2 | अतिरिक्त पुष्टाहार | आई0 सी0 डी0 एस0 के मानक के अनुसार रु0 1.05 प्रतिदिन प्रति इकाई। |
| 3 | लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता। | |
| (अ) | डिसिल्टिंग आदि | नाबार्ड पैटर्न पर लघु तथा सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25% तथा 33-1/3% परन्तु अधिकतम रु0 5,000/-प्रति हेक्टेयर की सीमा तक। |
| (ब) | पर्वतीय क्षेत्रों में मलवा हटाने | |
| (स) | मत्स्य फार्मों की डिसिल्टिंग/पुनर्स्थापना एवं मरम्मत हेतु | |

| क्र0सं0 | मद | सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें |
|---|---|---|
| (द) | कृषि निवेश अनुदान जहां फसलों की क्षति 50% या उससे अधिक हो। | |
| (i) | कृषि, उद्यान तथा वार्षिक फसलों के लिए। | असिंचित क्षेत्र हेतु रु0 1,000/-प्रति हे0 तथा सिंचित क्षेत्र हेतु रु0 2,500/-प्रति हे0। |
| (i) ए | लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न किसानों को कृषि निवेश अनुदान। | रु0 1,000/-प्रति हे0 की दर से 2 हे0 प्रति कृषक की सीमा तक। |
| (ii) | बहुवर्षीय फसल के लिए। | रु0 4,000 प्रति हे0। |
| (iii) | रेशम उत्पादक कृषकों के लिए अनुदान | मूंगा रेशम के लिए रु0 2,000 प्रति हे0 तथा एरी एवं मलबरी रेशम के लिए रु0 1,500 प्रति हे0। |
| य | नदी की धारा परिवर्तन, भू एवं हिम स्खलन से भूमि कटान हेतु। | रु0 10,000/-प्रति हे0। |
| 4 | रोजगार सृजन (प्लान स्कीम जे0 आर0 वाई0, आई0 जे0 आर0 वाई, ई0 ए0 एस0 आदि में उपलब्ध धन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।) | सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के मानकों के अनुसार। |
| 5 | लघु एवं सीमान्त कृषकों/कृषि मजदूरों को पशुपालन सहायता। | |
| (अ) | दुधारू, बोझा ढोने वाले परिवहन से सम्बन्धित अथवा जीविकोपार्जन हेतु पाले गये पशु की मृत्यु पर सहायता। | लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार सहायता। |
| (ब) | चारे तथा सान्द्र चारे की व्यवस्था। | बड़े पशुओं हेतु रु0 12/ प्रतिदिन तथा छोटे पशु हेतु रु0 06/-प्रतिदिन। |
| (स) | चारे की खरीद, संग्रह तथा परिवहन की व्यवस्था। | एन0सी0सी0एम0 द्वारा आंकलन करने पर। |
| 6 | मछुवारों को सहायता। | |
| (अ) | क्षतिग्रस्त जाल/नावों की मरम्मत पुनर्स्थापना हेतु। | एस0जी0एस0वाई0 पैटर्न के अनुसार प्रति परिवार के लिए निर्धारित अनुदान की दरों के अनुसार अनुदान अनुमन्य होगा। |

| क्र0सं0 | मद | सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें |
|---|---|---|
| | नाव | नाव की कीमत का निर्धारण भी एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा। |
| | सकरी नाव | |
| | लट्ठे (केटामेरान) | |
| | जाल | |
| | मछली बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी | रु0 2,000/-प्रति हे0। |
| | हस्तकरघा सेक्टर के शिल्पियों के क्षतिग्रस्त औजारों की मरम्मत/बदलने हेतु सहायता। | |
| (अ) | परम्परागत शिल्प | |
| (i) | क्षतिग्रस्त औजारों हेतु | रु0 1,000/-प्रति व्यक्ति |
| (ii) | कच्चे माल हेतु | रु0 1,000/-प्रति व्यक्ति |
| (ब) | हथकरघा बुनकरों के लिए | |
| (i) | हथकरघा से सम्बन्धित औजारों/उपकरणों की मरम्मत/बदलने हेतु। | रु0 1,000/-प्रति करघा |
| (ii) | धागे व अन्य सामग्री की खरीद हेतु | रु0 1,000/-प्रति करघा |
| 8 | क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता। | |
| (अ) | पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान | |
| (i) | पक्का मकान | रु0 10,000/-प्रति मकान |
| (ii) | कच्चा मकान | रु0 6,000/-प्रति मकान |
| (ब) | अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान | |
| (i) | पक्का मकान | रु0 2,000/-प्रति मकान |
| (ii) | कच्चा मकान | रु0 1200/-प्रति मकान |
| (स) | आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान | रु0 800/-प्रति मकान |
| 9 | ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपात कालीन आपूर्ति तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की परिवहन की व्यवस्था। | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के संदर्भ में एन0सी0सी0एम0 के आंकलन पर/आपदा राहत निधि के संदर्भ में राज्य स्तरीय आपदा समिति के आंकलन पर। |

| क्र0सं0 | मद | सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान जाने वाली सहायता की दरें |
|---|---|---|
| 10 | महामारी रोकने हेतु दवाइयां, कीटनाशक तथा विसंक्रामक की व्यवस्था हेतु। | तदैव। |
| 11 | पशुओं एवं मूर्तियों में महामारी रोकने हेतु दवाइयों की व्यवस्था। | तदैव। |
| 12 | प्रभावित/संभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु। | तदैव। |
| 13 | तात्कालिक सहायता/जीवन बचाने हेतु नाव किराये पर लेने की व्यवस्था। | तदैव। |
| 14 | प्रभावित/सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये व्यक्तियों हेतु अस्थायी आवास, खाद्य/कपड़ा दवाइयां आदि। | तदैव। |
| 15 | आवश्यक वस्तुओं की वायुसेना द्वारा आपूर्ति हेतु। | तदैव। |
| 16 | यातायात, विद्युत, जनस्वास्थ्य, पेयजल, बेसिक शिक्षा आदि से सम्बन्धित क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों एवं अवस्थापना की राहत एवं बचाव कार्य हेतु तत्कालिक मरम्मत/पुनर्स्थापन। | तदैव। |
| 17 | क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरण तथा सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य के.f की बरबाद दवाइयों हेतु। | तदैव। |
| 18 | सचल चिकित्सा दल, अस्थायी अस्पतालों अम्बुलेन्स सेवाओं के लिए ईंधन (केवल पेट्रोल, आयल, लुब्रीकेन्टस) | तदैव। |
| 19 | मलवे को हटाने में व्यय | तदैव। |
| 20 | बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे जल निकास। | तदैव। |
| 21 | खोज एवं बचाव कार्यों में व्यय। | तदैव। |
| 22 | मानव एवं पशु लाशों का निस्तारण | तदैव। |
| 23 | खोज एवं बचाव दल के राज्य सरकार | आपदा राहत निधि से व्यय किया जायेगा। |

| क्र0सं0 | मद | सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें |
|---|---|---|
| 24 | खोज, बचाव तथा परिवहन उपकरणों पर व्यय, जिसमें प्रत्येक वर्ष आवंटन का 10% धनराशि आपदा राहत निधि से व्यय। | राज्य स्तरीय आपदा समिति के अनुमोदन पर आपदा राहत निधि से व्यय। |
| 25 | सार्वजनिक उपयोग हेतु 4 डिजिट कोड टेलीफोन-1077 पर व्यय (बिना मीटर की काल के लिए) | आपदा राहत निधि से व्यय किया जायेगा। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर।)

संलग्नक-1

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के 3सरे गुरुवार के लिए पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर का संलग्नक

वर्ष 1999-2000 में जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक झांसी व चित्रकूट धाम मण्डल में हुये व्यय का विवरण

(धनराशि रुपये में)

| मण्डल का नाम | मद का नाम | आयोजनागत | आयोजनेत्तर |
|---|---|---|---|
| **झांसी मण्डल** | | | |
| 1. झांसी | क्रीड़ागंन विकास | -- | 25240 |
| | प्रतियोगिता | 35847 | 5626 |
| | प्रशिक्षण | 75752 | 112997 |
| 2. जालौन | क्रीड़ागंन विकास | -- | 40193 |
| | प्रतियोगिता | -- | -- |
| | प्रशिक्षण | 70994 | -- |
| 3. ललितपुर | क्रीड़ागंन विकास | -- | -- |
| | प्रतियोगिता | -- | -- |
| | प्रशिक्षण | -- | -- |
| **चित्रकूट धाम मण्डल** | | | |
| 1. हमीरपुर | क्रीड़ागंन विकास | -- | -- |
| | प्रतियोगिता | 2780 | 23024 |
| | प्रशिक्षण | 22000 | 30000 |
| 2. महोबा | क्रीड़ागंन विकास | -- | 24990 |
| | प्रतियोगिता | 25249 | 49454 |
| | प्रशिक्षण | 3240 | -- |
| 3. बांदा | क्रीड़ागंन विकास | -- | -- |
| | प्रतियोगिता | 14461 | 2339 |
| | प्रशिक्षण | -- | -- |
| 4. चित्रकूट धाम | क्रीड़ागंन विकास | -- | -- |
| | प्रतियोगिता | -- | -- |
| | प्रशिक्षण | -- | -- |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक 2

## वर्ष 2000-2001 में अक्टूबर, 2004 तक झांसी/चित्रकूट धाम मण्डल का मदवार व्यय विवरण

| मण्डल का नाम | मद का नाम | 2000-2001 | | 2001-02 | | 2002-03 | | 2003-04 | | अक्टूबर 2004 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | आयोजना-गत | आयोजनेत्तर |
| झांसी मण्डल | | | | | | | | | | | |
| 1-झांसी | क्रीड़ांगन | | 79426.50 | | 94999 | | 104000 | | 1118000 | | 92490 |
| | प्रतियोगिता | 238665.70 | 39998.50 | | 285999 | | 361850 | | 375676 | | 103177 |
| | प्रशिक्षण | 129513.65 | 70600 | | 140311 | | 347780 | | 144783 | | 137903 |
| 2-जालौन | क्रीड़ांगन | | 14995 | | 32997 | | 80488 | | 42398 | | 17818 |
| | प्रतियोगिता | 46998 | | 61448 | | | 110993 | | 97512 | | 8435 |
| | प्रशिक्षण | 60114 | | 43242 | | | 35998 | | 3246 | | 707 |
| 3-ललितपुर | क्रीड़ांगन | | 47799 | | 70000 | | 83000 | | 74000 | | 18591 |
| | प्रतियोगिता | 46470.20 | | 70000 | | | 31000 | | 11980 | | 2140 |
| | प्रशिक्षण | 107648.50 | | 70000 | | | 74500 | | 10142 | | 20990 |
| चित्तकूट मण्डल | | | | | | | | | | | |
| 1-हमीरपुर | क्रीड़ांगन | | 55750 | | 59000 | | 70000 | | 66862 | | 21950 |
| | प्रतियोगिता | | 41000 | 70000 | | | 107187 | | 38612 | | 7172 |
| | प्रशिक्षण | | 38745 | 70000 | | | 31500 | | 15463 | | 37263 |

अतारांकित प्रश्न दिनांक 17 मार्च, 2005 के उत्तर

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 मलौवा | क्रीड़ांगन | | | | 15000 | | 18999 | | 19998 | | 9716 |
| | प्रतियोगिता | | 27000 | 70000 | | | 64000 | | 14976 | | 43512 |
| | प्रशिक्षण | | 144998 | | 25000 | | 28996 | | 14069 | | 1609 |
| 3-बांदा | क्रीड़ांगन | | 57835 | | 93795 | | 94000 | | 60495 | | 55627 |
| | प्रतियोगिता | 40000 | | 100000 | | | 174945 | | 88000 | | 71552 |
| | प्रशिक्षण | 123000 | | | 23000 | | 65998 | | 48009 | | 42801 |
| 4-चित्रकूट | क्रीड़ांगन | | | | | | | | | | |
| | प्रतियोगिता | | | | | | | | | | |
| | प्रशिक्षण | 9795 | | | | | 10,000 | | 8000 | | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "घ"

(देखिये अता० प्र० सं०-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर।)

### सरकार के गठन से अब तक सेस से स्वीकृत कार्यों का मण्डीवार विवरण

| क्र०सं० | मण्डी का नाम | धनराशि (लाख रु० में) | क्र०सं० | मण्डी का नाम | धनराशि (लाख रु० में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खैर | 46.76 | 25 | सिरसा | 67.04 |
| 2 | छरा | 30.00 | 26 | जसरा | 36.21 |
| 3 | अतरौली | 35.70 | 27 | बिन्दकी | 31.32 |
| 4 | मथुरा | 18.36 | 28 | प्रतापगढ़ | 295.50 |
| 5 | आगरा | 104.89 | 29 | बरेली | 82.65 |
| 6 | अछनेरा | 149.50 | 30 | उझानी | 13.50 |
| 7 | फतेहपुर सीकरी | 59.78 | 31 | बिसौली | 81.84 |
| 8 | मैनपुरी | 657.81 | 32 | बजीरगंज | 76.18 |
| 9 | बेवर | 61.55 | 33 | बबराला | 616.80 |
| 10 | घिरौर | 166.11 | 34 | सहसवान | 36.00 |
| 11 | एटा | 60.00 | 35 | बस्ती | 153.85 |
| 12 | कासगंज | 13.00 | 36 | पचपेड़वा | 32.00 |
| 13 | आवागढ़ | 209.99 | 37 | उतरौला | 32.00 |
| 14 | फिरोजाबाद | 51.19 | 38 | गोरखपुर | 84.10 |
| 15 | टूण्डला | 70.24 | 39 | बरहजबाजार | 120.97 |
| 16 | सिरसागंज | 21.21 | 40 | आनन्दनगर | 56.15 |
| 17 | शिकोहाबाद | 206.80 | 41 | तमकुहीरोड | 108.71 |
| 18 | हाथरस | 12.00 | 42 | बांदा | 31.00 |
| 19 | सादाबाद | 35.20 | 43 | अतर्रा | 41.00 |
| 20 | आजमगढ़ | 246.11 | 44 | बरखारी | 23.26 |
| 21 | सोहरीघाट | 29.15 | 45 | उन्नरीपुरा | 15.66 |
| 22 | बलिया | 15.00 | 46 | बरगपाल | 63.47 |
| 23 | चितबड़ागांव | 32.00 | 47 | कमालगंज | 20.40 |
| 24 | इलाहाबाद | 160.00 | 48 | मोहम्मदाबाद | 10.28 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्र0सं0 | मण्डी का नाम | धनराशि (लाख रु0 में) |
|---|---|---|
| 49 | इटावा | 751.35 |
| 50 | जसवन्त नगर | 287.38 |
| 51 | भरथना | 818.01 |
| 52 | कन्नौज | 300.39 |
| 53 | छिबरामऊ | 35.93 |
| 54 | दिबियापुर | 167.88 |
| 55 | अछल्दा | 295.03 |
| 56 | लखनऊ | 26.24 |
| 57 | पुरवा | 97.21 |
| 58 | रायबरेली | 24.00 |
| 59 | लालगंज | 13.31 |
| 50 | सिधौली | 30.00 |
| 61 | महोली | 26.25 |
| 62 | शाहाबाद | 79.78 |
| 63 | मुरादाबाद | 90.91 |
| 64 | चन्दौसी | 37.62 |
| 65 | समभल | 314.35 |
| 66 | बहजोई | 276.78 |
| 67 | चांदपुर | 58.31 |
| 68 | नर्जीबाबाद | 17.50 |
| 69 | रामपुर | 66.78 |
| 70 | शाहाबाद (मुरादाबाद) | 17.00 |
| 71 | अमरोहा | 12.69 |
| 72 | हसनपुर | 99.58 |
| 73 | फैजाबाद | 98.98 |
| 74 | नवाबगंज | 83.23 |

| क्र0सं0 | मण्डी का नाम | धनराशि (लाख रु0 में) |
|---|---|---|
| 75 | रिसिया | 45.00 |
| 76 | गफदरगंज | 46.00 |
| 77 | अकबरपुर | 20.45 |
| 78 | मेरट | 87.19 |
| 79 | मवाना | 22.35 |
| 80 | गाजियाबाद | 66.61 |
| 81 | मुरादनगर | 10.71 |
| 82 | बुलन्दशहर | 94.49 |
| 83 | जहांगीराबाद | 47.10 |
| 84 | गुलावठी | 4.22 |
| 85 | डिवाई | 44.14 |
| 86 | अनूपशहर | 6.48 |
| 87 | बड़ौत | 63.90 |
| 88 | खेकड़ा | 16.59 |
| 89 | मुजफ्फर नगर | 31.63 |
| 90 | शामली | 117.89 |
| 91 | कांधला | 14.90 |
| 92 | खतौली | 19.00 |
| 93 | थानाभवन | 31.29 |
| 94 | शाहपुर | 20.16 |
| 95 | शाहगंज | 171.71 |
| 96 | मुंगराबादशाहपुर | 123.81 |
| 97 | जंगीपुर | 60.00 |
| 98 | जर्मनिया | 31.11 |
| 99 | सैदपुर | 70.00 |

पी0एस0यू0पी0-एल0 60 विधान सभा (101)-7-7-05-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।